प्रश्न शाखा का प्रकाशन

मध्यप्रदेश विधान सभा

(खण्ड-12)

फरवरी-मार्च 2021 से दिसम्बर 2022 सत्र
के
प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर

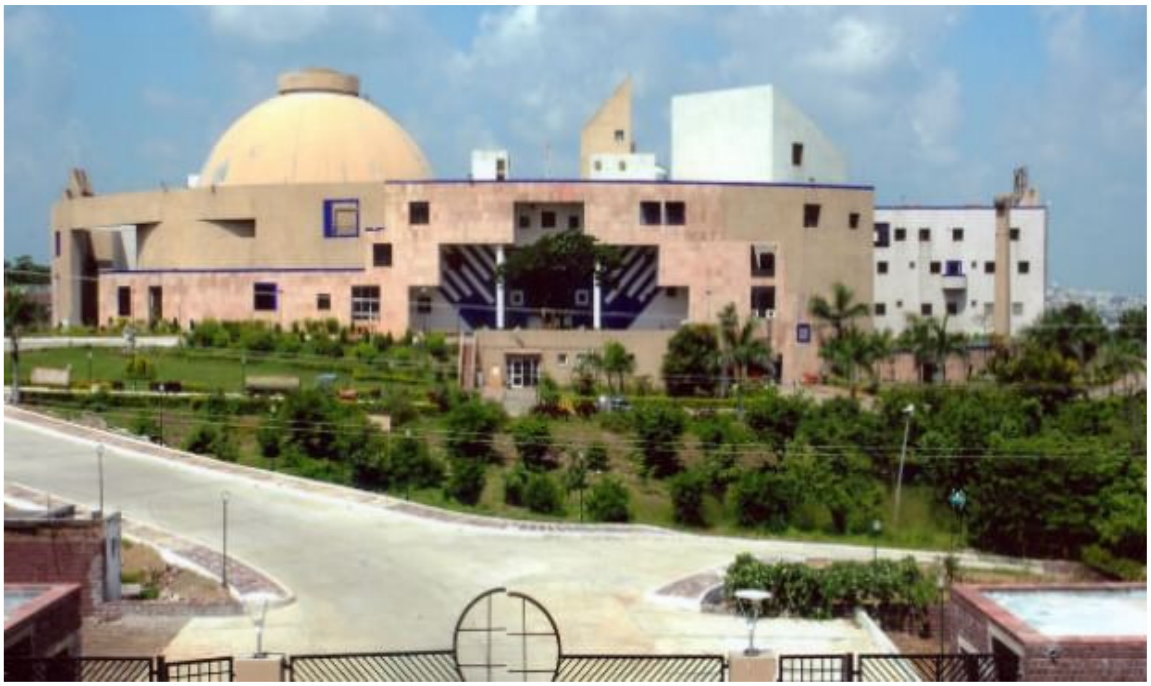

(फरवरी-मार्च 2023 सत्र में पटल पर रखा गया)

मध्यप्रदेश विधान सभा

(पंचदश)

खण्ड-12

फरवरी-मार्च 2021 से दिसम्बर 2022 सत्र

के

प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर

भोपाल

शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय 2023

निर्देशन :	**श्री ए.पी. सिंह**	--	**प्रमुख सचिव**
संपादन :	**श्री बीरेन्द्र कुमार**	--	**अपर सचिव**
	श्री रमेश महाजन	--	**उप सचिव**
	श्री एस.एन. गौर	--	**अवर सचिव**
	श्री नरेन्द्र कुमार मिश्रा	--	**अवर सचिव**
	श्री माधव दफ्तरी	--	**शिष्टाचार अधिकारी**
	श्री गोविन्द पण्डा	--	**अनुभाग अधिकारी**
संकलनकर्ता :	**श्री संजीव सराठे**	--	**सहायक ग्रेड-1**
	श्री प्रवीण जैन	--	**सहायक ग्रेड-2**
	श्री रामगोपाल शुक्ला	--	**उप सहायक मार्शल**
	श्री मनीष बनोदे	--	**सहायक ग्रेड-3**

प्रस्तावना

इस संकलन में मध्यप्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 51 की अपेक्षानुसार **फरवरी-मार्च 2021 से दिसम्बर 2022 सत्र** में शासन द्वारा जिन प्रश्नों के अपूर्ण उत्तर दिये गये थे तथा प्रश्नोत्तर सूची मुद्रित होने के पश्चात् विभागों से प्राप्त जिन उत्तरों को सदन में पृथक से वितरित किया गया था, उन्हें भी सम्मिलित किया गया है.

प्रश्नों के संदर्भ में शासन द्वारा पूर्व में दी गई जानकारी को बड़े कोष्ठक में [.....] दर्शाया गया है.

स्थान : भोपाल (म.प्र.)
दिनांक : 20 फरवरी, 2023

ए.पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

विषय-सूची

क्रमांक (1)	विषय (2)			पृष्ठ संख्या (3)
1.	फरवरी-मार्च 2021 सत्र	--	--	1-8
2.	अगस्त 2021 सत्र	--	--	9-11
3.	दिसम्बर 2021 सत्र	--	--	12-15
4.	मार्च 2022 सत्र	--	--	16-43
5.	सितम्बर 2022 सत्र [जुलाई 2022]	--	--	44-66
6.	दिसम्बर 2022 सत्र	--	--	67-96

फरवरी-मार्च 2021

दिनांक 23 फरवरी, 2021

केंद्र सरकार के नए अध्यादेश

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

1. अता.प्र.सं.45 (क्र. 303) श्री महेश परमार : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मध्यप्रदेश सरकार किसान, व्यापारी, हम्माल तुलावटी मंडी समिति को केंद्र सरकार के नए अध्यादेश से होने वाले नुकसान को बचाने के लिए चिंतित है? यदि है, तो मध्यप्रदेश कृषि मंडी एक्ट 1972 में पंजाब राज्य की तर्ज़ पर नुकसान से बचाने का मसौदा तैयार कर सदन में प्रस्ताव लाकर चर्चा उपरांत बिल पास कर किसानों के हित संशोधन करने का प्रयास कब तक करेगी? **(ख)** क्या सरकार इसी सत्र में देश और प्रदेश के किसान आंदोलन को ध्यान में रखकर पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के तीनों कानूनों के विरुद्ध किसानों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए कौन-कौन से प्रस्ताव, कब-कब विधानसभा में लाकर निर्णय लेने का कार्य करेगी? **(ग)** क्या मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रि-परिषद् के पास किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्रालय से किसानों के लिए पूंजीवाद से बचाने के लिए और सहकारी क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए मसौदा (ड्राफ्ट्स) ला रही है? यदि हाँ तो जानकारी देवें। **(घ)** वर्तमान में केंद्र से पारित तीनों कानूनों पर बिना गुणदोष की चर्चा किए एवं उदर पोषण के संकट से प्रभावित परिवारों के संबंध में आंकलन किए बिना लागू किया जाना उचित है? यदि हाँ, तो किस आधार पर?

किसान कल्याण मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** केन्द्र सरकार द्वारा उक्त अध्यादेश (कालांतर में भारतीय संसद द्वारा पारित अधिनियम) कानून एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 01.12.2021 के द्वारा निरस्त किया जा चुका है। अत: शेष प्रनांश उद्भूत नहीं होता है। **(ख)** उत्तरांश (क) अनुसार प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। **(ग)** इस सबंध में शासन स्तर पर कार्यवाही विचाराधीन नहीं है। **(घ)** उत्तरांश (क) अनुसार प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

किसानों की आय दोगुनी करने की जानकारी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

2. अता.प्र.सं.83 (क्र. 561) श्री जितू पटवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि किसानों की आय 5 वर्षों में दोगुनी कर देंगे? यदि हाँ तो यह किस वर्ष में कहा गया था तथा उस वर्ष में किसानों की औसत वार्षिक आय कितनी थी? **(ख)** क्या विभाग के पास किसानों की वार्षिक आय संबंधित आंकड़े उपलब्ध हैं? यदि हाँ तो वर्ष 2012-13 से 2018-2019 तक किसानों की वार्षिक आय क्या है? **(ग)** प्रश्नांश (ख) का उत्तर यदि नहीं, तो बतावें कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार वार्षिक आय दोगुनी कैसे करेंगे, जब उसकी जानकारी ही नहीं है? **(घ)** वर्ष 2009-2010 से 2020-2021 तक का कृषि बजट अनुमानित तथा वास्तविक बतावें तथा बतावें कि वर्ष 2009-2010 से 2020-21 में कुल कृषि उत्पादन में तथा कृषकों की वार्षिक आय में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हुई?

किसान कल्याण मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(क)** किसानों की आय 5 वर्षों में दोगुनी करने का रोड मैप 2016 में निर्धारित किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है।** किसानों की वार्षिक आय के आंकड़े पृथक से संधारित नहीं किये जाते हैं। **(ख)** किसानों की वार्षिक आय के आंकड़े पृथक से संधारित नहीं किये जाते हैं। **(ग)** विभागीय योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभान्वित कर उनकी आय में वृद्धि के प्रयास किये जाते हैं। **(घ)** वर्ष 2009-2010 से 2020-21 तक का अनुमानित तथा वास्तविक कृषि बजट की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।** वर्ष 2009-10 से 2020-21 में कुल कृषि उत्पादन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।** किसानों की वार्षिक आय के आंकड़े पृथक से संधारित नहीं किये जाते हैं।

दिनांक 8 मार्च, 2021

विभाग द्वारा संचालित संस्थाएं

[जनजातीय कार्य]

3. अता.प्र.सं.58 (क्र. 3193) श्री संजय उइके : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विभाग शैक्षणिक उत्थान के लिए आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के 89 आदिवासी विकासखण्ड में प्राथमिक स्तर से उच्चतर, माध्यमिक स्तर की शालाओं/विशिष्ट/आवासीय संस्थाओं का संचालन कर रहा है? **(ख)** यदि हाँ तो प्रश्नांश (क) अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन सी संस्थाएं संचालित हैं? संस्था का विवरण, बालक एवं बालिकाओं की कुल दर्ज संख्या - उसमें अनुसूचित जनजातियों की दर्ज संख्या की जानकारी उपलब्ध करावें। **(ग)** सभी संस्थाओं में कुल स्वीकृत पद, भरे पद एवं रिक्त पदों की जानकारी संवर्गवार, उपलब्ध करावें। **(घ)** प्रश्नांश **(ख)** में उल्लेखित वर्ष में हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी बोर्ड परीक्षा, परिणाम में दर्ज संख्या के विरूद्ध उत्तीर्ण छात्र एवं छात्राओं का प्रतिशत एवं आदिवासी बच्चों का उत्तीर्ण प्रतिशत उपलब्ध करावें।

जनजातीय कार्य मंत्री : [***(क)*** *जी हाँ।* ***(ख)*** *संस्थावार* ***जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग)*** *संस्थाओं में स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की संवर्गवार* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है। (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।*** **] (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है। (घ) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार है।**

जैविक खेती प्रोत्साहन हेतु भारत सरकार से प्राप्त राशि से लाभान्वित हितग्राही

[जनजातीय कार्य]

4. अता.प्र.सं.127 (क्र. 3764) श्री जालम सिंह पटैल : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विभाग ने वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने हेतु संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास को लगभग 110 करोड़ रूपये आवंटन उपलब्ध कराया था? **(ख)** क्या संचालक, किसान कल्याण और कृषि विकास ने संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय

विकास योजनाएं और आयुक्त, आदिवासी विकास मुख्यालय कार्यालयों को जैविक खेती प्रोत्साहन योजना के जनजाति हितग्राहियों की सूची सॉफ्टकॉपी में उपलब्ध कराई थी? यदि नहीं, कराई तो कब तक कराई जाएगी? **(ग)** संचालक, किसान कल्याण और कृषि विकास द्वारा जैविक खेती प्रोत्साहन अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता और विशेष पिछड़ी जनजाति मद की राशि से लाभान्वित हितग्राहियों की संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करावें।

जनजातीय कार्य मंत्री : [***(क)*** *जी नहीं। संचालनालय आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत गतिविधि (1) जैविक खेती सपोर्ट प्रोग्राम नाईट्रोजन हार्वेस्ट प्लांटिंग राशि रूपये 42.00 करोड़ एवं (2) वर्मी कम्पोस्ट यूनिट राशि रूपये 12.00 करोड़ इस प्रकार कुल राशि रूपये 54.00 करोड़ संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के बी.सी.ओ. कोड में पुनर्रावंटित की गई थी।* ***(ख)*** *जी हाँ।* ***(ग)*** *संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा* ***जानकारी संकलित की जा रही है।*** **] (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।**

दिनांक 9 मार्च, 2021

किसानों की आय

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

5. अता.प्र.सं.140 (क्र. 4114) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मुख्यमंत्री जी ने 08 साल पहले यह घोषणा की थी कि वे किसानों की आय 05 वर्ष में दोगुनी कर देगें? यदि हाँ तो बतावें कि 2013-14 में किसानों की वार्षिक आय क्या थी तथा वर्ष 2019-20 में कितनी थी? **(ख)** क्या मुख्यमंत्री जी के यह संज्ञान में है कि कृषि विभाग के पास किसानों की आय संबंधी आंकड़े नहीं है? यदि हाँ तो मुख्यमंत्री जी की इस घोषणा की मॉनिटरिंग कौन विभाग कर रहा है? **(ग)** मुख्यमंत्री जी ने अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक कुल कितनी घोषणाएं की तथा उन घोषणाओं को पूर्ण करने में कुल कितनी राशि लगेगी? घोषणाओं का स्थान, दिनांक सहित सूची देवें। **(घ)** प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित किस-किस घोषणा पर कार्य शुरू हो गया है तथा कितनों पर कार्य शुरू नहीं हुआ है?

किसान कल्याण मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिनांक 18 फरवरी 2016 को ग्राम शेरपुर जिला सीहोर में आयोजित किसान सम्मेलन के अवसर पर अपने उद्बोधन में किसानों की आय दुगुना करने का संकल्प दिलाया गया था। इसी परिप्रेक्ष्य में म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तक में इस उद्बोधन का सारांश प्रकाशित किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है।** किसानों की वार्षिक आय के आंकड़े विभाग द्वारा संकलित नहीं किये जाते हैं। **(ख)** किसानों की आय के आंकड़े विभाग में संधारित नहीं किये जाते हैं। विभाग से संबंधित माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं की मॉनिटरिंग किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा की जाती है। **(ग)** उल्लेखित अवधि में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विभाग से संबंधित 11 घोषणाएं की गई हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ)** प्रश्नांश (ग)

में उल्लेखित घोषणाओं में से सरल क्र. 1, 2, 3, 7, 8 एवं 9 इस प्रकार 6 घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं। शेष 5 घोषणाओं पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

दिनांक 15 मार्च, 2021

गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं में किये जा रहे भ्रष्टाचार

[सहकारिता]

6. अता.प्र.सं.49 (क्र. 3732) श्री संजय यादव : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधानसभा के प्रश्न क्र. 1247, उत्तर दिनांक 18.03.2020 के जवाब में 16 अवैधानिक रजिस्ट्रियों को निरस्त करने के निर्देश दिये थे तो क्या उक्त निरस्त की कार्यवाही पूर्ण हो गई है? यदि हाँ, तो आदेश क्रमांक, दिनांक बताये। यदि नहीं, तो कब तक की जायेगी? **(ख)** क्या कार्यालय उपायुक्त सहकारिता जिला भोपाल के पत्र क्र. 1626, दिनांक 11.03.2020 में गठित जांच दल द्वारा जांच प्रतिवेदन दे दिया है? यदि हाँ तो उस पर की गई? कार्यवाही से अवगत करायें। यदि जांच प्रतिवेदन नहीं दिया गया है तो कब तक दिया जावेगा? क्या जांच कमेटी गठित के बाद संबंधित समतियों द्वारा भू-खण्ड का पंजीयन करवाया गया है? यदि हाँ, तो सूची दी जाए एवं क्या सहकारी सोसायटी अधिनियम के अध्याय 8-क, पालन हुआ है? **(ग)** भोपाल की कौन-कौन सी सहकारी गृह निर्माण समिति में प्रशासक कब से नियुक्त हैं? प्रशासक नियुक्ति संबंधी क्या प्रावधान हैं एवं कार्यकाल क्या है एवं प्रशासक के उत्तरदायित्व क्या हैं? प्रशासक द्वारा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन न करने पर क्या कार्यवाही की जाती है? **(घ)** सहकारी सोसायटी अधिनियम के अध्याय 8-क, में क्या प्रावधान है? प्रति उपलब्ध करायें। विगत 5 वर्षों में इस प्रावधान का पालन भोपाल की किन समितियों ने नहीं किया है? उनकी सूची देवें एवं पालन नहीं करने पर किन-किन पर अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हैं? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

सहकारिता मंत्री : [***(क)*** *जी हाँ। विधानसभा प्रश्न क्र. 1247 दिनांक 18.03.2020 के जबाव में 16 रजिस्ट्री निरस्त करने के निर्देश दिये गये थे। उप आयुक्त सहकारिता जिला भोपाल द्वारा संस्था प्रशासक को 16 रजिस्ट्री निरस्त करने हेतु पत्र निर्देश किया गया था, पुनः कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता जिला भोपाल के पत्र क्रमांक/3700/विधि/दिनांक 18.11.2020 के द्वारा 16 रजिस्ट्री निरस्त कराने हेतु पत्र लिखा गया था। निरस्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।* ***(ख)*** *जी हाँ। गठित जांच दल द्वारा दिनांक 05.03.2021 को जांच प्रतिवेदन दिया गया है। प्रतिवेदन परीक्षणाधीन है। जानकारी एकत्र की जा रही है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अध्याय 8 (क) के प्रावधानों का पालन नहीं हुआ है।* ***(ग)*** *भोपाल की गृह निर्माण संस्थाओं में प्रशासकों की नियुक्ति की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 अनुसार है****। म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 49 (7) (क) (ख), 53 (1), 53 (12) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। तत्संबधी सहकारी अधिनियम के प्रावधान* ***पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-02 अनुसार है****। प्रशासक का उत्तरदायित्व रजिस्ट्रार के नियंत्रण के तथा ऐसे अनुदेशों जो वह समय-समय पर दे, अध्याधीन रहते*

हुए, संचालक मंडल की या सोसायटी के किसी अधिकारी को समस्त शक्तियों का या उनमें से किसी शक्ति का प्रयोग करने तथा उसके समस्त कृत्यों पर उनके से किसी कृत्य के निर्वहन और समस्त ऐसी कार्यवाहियां जो सोसायटी के हित में अपेक्षित है, करने की शक्ति होगी। प्रशासक द्वारा अपने उत्तर दायित्व को निर्वहन न करने की दशा में सेवा नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है। ***(घ)*** *सहकारी अधिनियम के अध्याय 8-क के प्रावधान* ***पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-03 अनुसार है।*** *गत 05 वर्षों में पालन न करने तथा प्रकरण पंजीबद्ध करने की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-04 अनुसार है।*** *]* **(ख)** जी हाँ। गठित जांच दल द्वारा दिनांक 05.03.2021 को जांच प्रतिवेदन दिया गया है। प्रतिवेदन परीक्षणाधीन है। जी हाँ। **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-05 अनुसार है**। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अध्याय 8 (क) के प्रावधानों का पालन नहीं हुआ है।

गृह निर्माण सहकारी संस्था के सदस्यों की जानकारी

[सहकारिता]

7. परि.अता.प्र.सं. 84 (क्र. 4397) श्री महेन्द्र हार्डिया : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सितारा गृह निर्माण सहकारी संस्था, भोपाल पंजीयन क्र. बीआबी/889 दिनांक 23.4.2002 में पंजीयन दिनांक को कुल कितने सदस्य थे? क्या संस्था में रवि श्रीवास्तव, दिनेश त्रिवेदी, राजेश आर्य, हरिशचंद्र, दिलीप खेर, स्वप्निल तेलंग, मुकेश श्रीवास्तव, मुकेश त्रिवेदी, उषा बख्शी, तनमय तिवारी, श्रीमती प्रमोद त्रिवेदी, संचालक रहते हुए संस्था से भू-खण्ड प्राप्त किया था? **(ख)** उक्त समस्त व्यक्ति किसी अन्य संस्था में संचालक रहे है अथवा वर्तमान में है? यदि हैं तो कौन-कौन सी संस्था में संचालक रहे हैं और इनके द्वारा संचालक मण्डल में रहते हुए अन्य संस्थाओं से भू-खण्ड प्राप्त किए थे? **(ग)** यदि हाँ तो यह मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम 1960 के प्रावधानों तथा उपविधियों के अनुरूप है या नहीं। **(घ)** यदि हाँ तो नियम की प्रति देवें। यदि नहीं, तो इन पर अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई? 11 संचालकों के निर्वाचन अध्यक्ष/प्रशासक की उपस्थिति में विभाग के किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किन तिथियों में करवाए गए जिसमें उपरोक्त सभी या कुछ नाम अन्य संस्थाओं के संचालक मण्डल में रहे हैं?

सहकारिता मंत्री : [***(क)*** *सितारा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या. भोपाल का पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी. 899 दिनांक 23.04.2002 एवं परिसमापन दिनांक 06.02.2007 है। पंजीयन दिनांक को कुल 21 सदस्य थे। संस्था में रवि श्रीवास्तव, दिनेश त्रिवेदी, राजेश आर्य, हरिशचंद्र, दिलीप खेर, स्वप्निल तेलंग, मुकेश श्रीवास्तव, मुकेश त्रिवेदी, उषा बख्शी, तनमय तिवारी, श्रीमती प्रमोद त्रिवेदी, संचालक रहते हुए भू-खण्ड प्राप्त नहीं किए गये थे।* ***(ख)*** *जी नहीं। केवल दिनेश त्रिवेदी एवं स्वप्निल तेलंग अन्य संस्थाओं में निर्वाचित रहे हैं। वर्तमान में दिनेश त्रिवेदी महाकाली गृह निर्माण सहकारी संस्था में दिनांक 11.08.2017 से उपाध्यक्ष तथा इसके पूर्व 2007 के निर्वाचन में संचालक एवं दिनांक 15.05.2008 के सहयोजन से अध्यक्ष और दिनांक 17.04.2012 के निर्वाचन में अध्यक्ष के पद पर रहे हैं। इसके अतिरिक्त दिनेश त्रिवेदी मंदाकिनी गृह निर्माण सहकारी संस्था में वर्ष 2003 में संचालक रहे हैं। स्वप्निल तेलंग वर्ष 2007, वर्ष 2012-13 में हेमा गृह निर्माण सहकारी संस्था में अध्यक्ष रहे हैं। शेष जानकारी एकत्र की जा रही है।* ***(ग)*** *उत्तरांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में*

स्पष्ट उत्तर संभव नहीं है। ***(घ)*** *उत्तरांश 'ख' एवं 'ग' के परिप्रेक्ष्य में संभव नहीं है। सितारा गृह निर्माण सहकारी संस्था के 11 संचालकों के निर्वाचन, निर्वाचन अधिकारी श्री एम.पी. पुरोहित, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 17.11.2002 को कराये गये तत्समय प्रश्नांश 'क' में वर्णित व्यक्तियों के अन्य संस्था के संचालक मण्डल में रहने की कोई जानकारी नहीं है।*] **(ख)** जी नहीं। केवल दिनेश त्रिवेदी एवं स्वप्निल तेलंग अन्य संस्थाओं में निर्वाचित रहें है। वर्तमान में दिनेश त्रिवेदी महाकाली गृह निर्माण सहकारी संस्था में दिनांक 11.08.2017 से उपाध्यक्ष तथा इसके पूर्व 2007 के निर्वाचन में संचालक एवं दिनांक 15.05.2008 के सहयोजन से अध्यक्ष और दिनांक 17.04.2012 के निर्वाचन में अध्यक्ष के पद पर रहे हैं। इसके अतिरिक्त दिनेश त्रिवेदी मंदाकिनी गृह निर्माण सहकारी संस्था में वर्ष 2003 में संचालक रहे हैं। स्वप्निल तेलंग वर्ष 2007, वर्ष 2012-13 में हेमा गृह निर्माण सहकारी संस्था में अध्यक्ष रहे हैं। जी हाँ।

दिनांक 18 मार्च, 2021

कम्पनियों का गठन

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

8. अता.प्र.सं.34 (क्र. 4113) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में कितनी कम्पनी का गठन शासन स्तर पर तथा कितनी कम्पनी का गठन स्थानीय शासन (नगर निगम) स्तर पर किया गया? कम्पनी का नाम, गठन की दिनांक तथा उद्देश्य सहित सूची देवें। **(ख)** क्या कम्पनी द्वारा खरीदी, सेवा लेने तथा सेवा देने पर, विक्रय पर राज्य शासन के भण्डार तथा क्रय के नियम लागू होते हैं या नहीं? यदि कम्पनी में शत्-प्रतिशत शेयर राशि राज्य शासन की है, तो उस पर क्या शासन के भण्डार तथा क्रय के नियम लागू होना चाहिये या नहीं? **(ग)** विभाग जो कार्य कर रहा है, उसी तरह का कार्य करने के लिये किसी कम्पनी का गठन करना क्या स्थापना खर्च में वृद्धि नहीं करेगा? भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देगा तथा पारदर्शिता में कमी तथा सुशासन में गिरावट नहीं करेगा? **(घ)** कम्पनियों किस नियम से स्वीकृत दर पर खरीदी एवं सेवा प्राप्त कर रही हैं? बिना टेण्डर निकाले स्वीकृत दर पर हजारों करोड़ की खरीदी तथा हजारों करोड़ रूपया सेवा कार्य के लिये भुगतान कैसे कर रहे हैं? **(ड.)** अनाप शनाप खर्च एवं खरीदी का सफेद हाथी बनी, क्या इन कम्पनियों को बंद किया जायगा?

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री : [***(क) से (ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।***] **(क)** शासकीय विभागों के अधीन कार्यरत विभागों से प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार की गई **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर दशाई गई** है। **(ख)** राज्य शासन के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियों पर मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 लागू होते हैं। **(ग)** शासन द्वारा दिए गए दायित्वों के निर्वहन के लिए ही कंपनियों का गठन किया जाता है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** एवं **(ड.)** इन कंपनियों द्वारा शासन निर्देश/कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही कंपनियों का संचालन किया जाता है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दिनांक 22 मार्च, 2021

नियुक्तियों में अनियमितता

[सहकारिता]

9. परि.अता.प्र.सं. 107 (क्र. 6033) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** खरगोन जिले में सहकारिता विभाग द्वारा नियम विरुद्ध कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में कोई जांच चल रही है? दोषियों पर अर्थदंड की कार्रवाई हुई है? इस संबंध में हुए समस्त कार्यवाही का विवरण उपलब्ध करावें। **(ख)** खरगोन जिले में सहकारिता विभाग में जो कर्मचारी वर्तमान में कार्यरत हैं, वह सभी नियमित रूप से भर्ती हुए हैं? यदि हाँ तो वर्ष 2005 से प्रश्न दिनांक तक समस्त भर्तियों की विज्ञप्ति, भर्तियों के नियमावली व भर्ती हुए कर्मचारियों का नाम, पता पद, मासिक वेतन सहित सूची देवें। यदि नहीं, तो दोषियों पर क्या कार्रवाई कब तक की जाएगी? **(ग)** जिन कर्मचारियों की नियम विरुद्ध नियुक्ति हुई थी, उनको हटाने के संबंध में जो पत्र जारी किया गया था उसमें प्रश्नकर्ता के नाम का उल्लेख किया गया था? यदि हाँ तो क्या प्रश्नकर्ता के नाम का उल्लेख पत्र में किया जा सकता है? यदि नहीं किया जा सकता तो जिस अधिकारी ने प्रश्नकर्ता का उल्लेख किया, उस पर क्या कार्यवाही की जावेगी और आज दिनांक तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई?

सहकारिता मंत्री : [***(क)*** *जी हाँ। विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1307 दिनांक 12-10-2019 के परिप्रेक्ष्य में तत्सयम जांच की गई थी जिसमें की गई कार्यवाही का* ***विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार*** *है। अर्थदण्ड की कार्यवाही नहीं हुई अपितु दोषियों से क्षति की वसूली की कायर्वाही प्रक्रिया में है।* ***(ख) जानकारी संकलित की जा रही है।*** *(ग) जी हाँ। जी हाँ। कोई भी निर्देश जारी करने हेतु संदर्भ का उल्लेख किया जाता है, इसलिए तत्कालीन विधानसभा प्रश्न तथा प्रश्नकर्ता मान. विधायक का नाम संदर्भ में दिया गया था।* **] (ख)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। दोषियों पर कार्यवाही किये जाने हेतु उप आयुक्त सहकारिता जिला खरगोन को निर्देश दिये गये हैं, समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

दिनांक 25 मार्च, 2021

प्रचार-प्रसार में व्यय राशि

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

10. परि.अता.प्र.सं. 106 (क्र. 6466) श्री विनय सक्सेना : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 में जनसंपर्क तथा माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु कितनी-कितनी राशि का व्यय किन-किन योजनाओं में किया गया? योजनावार विवरण देवें। **(ख)** विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 में प्रचार-प्रसार हेतु निर्धारित बजट प्रावधान तथा व्यय का विवरण योजनावार बतावें।

किसान कल्याण मंत्री : [***(क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** मुख्यमंत्री भावांतर योजना, मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना, फ्लैट भावांतर भुगतान योजना, जय किसान समृद्धि योजना

की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1** तथा जय किसान ऋण माफी योजना की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख)** मुख्यमंत्री भावांतर योजना, मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना, फ्लैट भावांतर भुगतान योजना, जय किसान समृद्धि योजना में प्रचार-प्रसार हेतु वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 में पृथक बजट प्रावधान निरंक रहा। जय किसान ऋण माफी योजना अंतर्गत निर्धारित बजट प्रावधान की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।**

दिनांक 26 मार्च, 2021

धार जिले के अंशकालीन कर्मचारियों का नियमितीकरण

[सामान्य प्रशासन]

11. परि.अता.प्र.सं. 47 (क्र. 6312) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 1023 दिनांक 18.03.2020 के संदर्भ में बतावें कि क्या खण्ड ग में उल्लेख अनुसार दस माह में जानकारी प्राप्त कर ली गई है यदि हाँ तो उस अनुसार धार जिला के अंशकालीन कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है यदि नहीं, तो क्यो? **(ख)** अंशकालीन कर्मचारियों को नियमित करने हेतु क्या निर्देश दिये गये है उनकी प्रति देवें तथा बतावें की उस अनुसार क्या उज्जैन संभाग के किस किस जिले में उन्हे नियमित कर दिया गया है। **(ग)** प्रदेश के जिन जिलों अंशकालीन कर्मचारियों को नियमित किया है वह किस आदेश के तहत किया गया है क्या वह आदेश धार जिले हेतु प्रभावशाली नहीं है। **(घ)** यदि धार जिलें के अंशकालीन कर्मचारियों को अन्य जिलो के अंशकालीन कर्मचारियों से कई साल बाद नियमित करेंगे तो क्या उन्है ऐरियर प्रदान किया जायगा यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री : [***(क)*** *जी हाँ। अंशकालीन कर्मचारियों को नियमित करने का प्रावधान नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।* ***(ख)*** *जी नहीं। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता। उज्जैन संभागन्तर्गत जिलों की जानकारी एकत्रित की जा रही है।* ***(ग)*** *जानकारी एकत्रित की जा रही है।* ***(घ)*** *अंशकालीन कर्मचारियों को नियमित करने का प्रावधान नहीं होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।*] **(ख)** शेषांश उज्जैन संभागान्तर्गत जिला देवास, उज्जैन, नीमच, रतलाम, आगर मालवा, शाजापुर एवं मन्दसौर जिले में किसी भी अंशकालीन कर्मचारी को नियमित नहीं किया गया है। **(ग)** अल्पावधि के लिए अंशकालीन सेवा ली जाती है, इनके नियमितीकरण का प्रावधान नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

अगस्त 2021

दिनांक 9 अगस्त, 2021

आर्थिक भ्रष्टाचार के संबंध में

[गृह]

1. परि.अता.प्र.सं. 22 (क्र. 141) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्न क्रमांक 3025, दिनांक 5/3/2021 के उत्तर में सम्यक सुनवाई उपरांत उचित आदेश पारित किया जा कर निरस्त किया जावेगा, लेख किया था? तो क्या उक्त अधिकारी द्वारा आर्थिक भ्रष्टाचार के कारण उक्त आदेश निरस्त नहीं किया था? यदि नहीं, तो क्यों उक्त आदेश निरस्त नहीं किया था? कारण स्पष्ट करें। **(ख)** उक्त प्रश्न के उत्तर में यह भी बताया था कि कब्जेधारी का नाम परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है तथा उत्तरांश (घ) में उक्त न्यायालय में उभय पक्षों द्वारा स्वामित्व संबंधी किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे? **(ग)** प्रश्नांश (क) से (घ) के अनुसार क्या उक्त अधिकारी के विरुद्ध मामला आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की परिधि में आता है? यदि हाँ तो कब तक अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों? कारण स्पष्ट करें। **(घ)** उक्त प्रश्न के उत्तर भाग (ड.) में लेख किया था कि अपर कलेक्टर छतरपुर के विरुद्ध धारा 167 एवं अन्य धाराओं के तहत भादवि की कार्रवाई नहीं की गई थी, तो क्या अपराधिक प्रकरण दर्ज न करने वाले अधिकारी के विरुद्ध शासन कार्रवाई करने के आदेश जारी करेगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें।

गृह मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** यह सही है कि प्रश्न क्रमांक 3025 दिनांक 05.03.2021 के उत्तर में सम्यक सुनवाई उपरांत उचित आदेश पारित किया जाकर निरस्त किया जावेगा लेख किया गया था। चूंकि न्यायालयीन प्रकरण का निराकरण गुण-दोषों के आधार पर किया जाता है, इसी आधार पर न्यायालय अपर कलेक्टर जिला छतरपुर म.प्र. में न्यायालयीन अपील प्र.क्र. 64/अपील/अ-6/2016-17 का निराकरण उचित आदेश पारित किया गया, जिसकी अपील न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक आर.सी.एम.एस. क्रमांक 1326/अपील/अ-6/2017-18 के माध्यम से प्रस्तुत की गई, जिसमें आदेश दिनांक 07.12.2018 से न्यायालय अपर कलेक्टर छतरपुर का आदेश दिनांक 12.02.2018 को स्थिर रखा गया। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह का आर्थिक भ्रष्टचार किया जाना परिलक्षित नहीं होता। न्यायालय के आदेश से असंतुष्ट व्यक्ति के लिए अपीलीय उपचार उपलब्ध है। **(ख)** जी हाँ। न्यायालयीन निर्णय की समीक्षा का अधिकार केवल वरिष्ठ न्यायालय को प्राप्त है। अन्य को नहीं। **(ग)** जी नहीं। न्यायालय के आदेश से असंतुष्ट व्यक्ति के लिए अपीलीय उपचार उपलब्ध है तथा मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल क्रमांक एफ 2-4/ 2021/सात/शा.7 दिनांक 25.03.2021 के अनुसार न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम, 1985 अन्तर्गत राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। **(घ)** न्यायालयीन प्रकरणों में पारित आदेशों से असंतुष्ट होने पर वरिष्ठ न्यायालय से अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। प्रकरण में न्यायालय नजूल

अधिकारी के नामांतरण आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अपर कलेक्टर न्यायालय में की गई थी, द्वितीय अपील अपर आयुक्त सागर संभाग के न्यायालय में की गई थी। उक्त दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा नजूल न्यायालय के मूल आदेश को स्थिर रखा गया है। अतः अपर कलेक्टर छतरपुर एवं अन्य के विरूद्ध धारा 167 की कार्यवाही नहीं की गई है।

संकर धान बीज किस्मों की जानकारी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

2. परि.अता.प्र.सं. 55 (क्र. 277) श्री हरि सिंह सप्रे : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत एस.आर.आई/कम्पोजिट नर्सरी धान प्रोजेक्ट में स्वीकृत जिलों में वर्ष 2018-19 में अधिसूचित संकर बीज की मांग कितने जिले के उप संचालक कृषि ने की? **(ख)** प्रश्नांश (क) के प्रकाश में प्रदाय किस्मों की जानकारी दें। **(ग)** उक्त बीजों की शासकीय संस्था की अनुमोदित दर क्या थी? अनुमोदित दर सूची और भारत सरकार द्वारा उक्त किस्मों को जारी गजट नोटिफिकेशन नं. तथा जारी होने की दिनांक सहित जानकारी उपलब्ध करायें।

किसान कल्याण मंत्री : [***(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** 26 जिले। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग)** उक्त बीजों की शासकीय संस्था की अनुमोदित दर की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।** अनुमोदित दर की सूची की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।** भारत सरकार द्वारा उक्त किस्मों को जारी गजट नोटिफिकेशन नम्बर तथा जारी होने की दिनांक की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।**

दिनांक 12 अगस्त, 2021

ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया

[उच्च शिक्षा]

3. अता.प्र.सं.137 (क्र. 1130) श्री संजय यादव : क्या उच्च शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2020-21 में बी.पी.एड. एवं एम.पी.एड. ऑनलाइन प्रवेश के लिए के संबंध में प्रश्न दिनांक तक विभाग को कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? **(ख)** क्या उक्त प्रवेश प्रक्रिया की काउंसलिंग के प्रत्येक चरण में कुछ अभ्यर्थियों द्वारा अलग-अलग आवेदन किये गए हैं एवं इन अभ्यर्थियों को हर काउंसलिंग में अलग-अलग अहर्ता अंक दिए गए हैं? यदि हाँ, तो उचित कारण देवें कि किस नियम के तहत दिए गए हैं? इस अनियिमतता एवं अनैतिक कृत्य में कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? **(ग)** उक्त अलग-अलग आवेदन क्रमांक वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रत्येक आवेदन में दिए गए प्रमाण-पत्रों की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराएं। क्या हर बार अलग-अलग प्रमाण-पत्र दिये हैं? क्या खेलकूद संबंधित प्रमाण-पत्र 3 वर्ष से अधिक पुराने होने पर भी मान्य होते हैं? यदि नहीं, तो ऐसे कितने आवेदन हैं जिनमें 3 वर्ष पुराने

खेलकूद प्रमाण-पत्र है? **(घ)** क्या प्रत्येक काउंसलिंग में फिजिकल टेस्ट किया जाना अनिवार्य है? यदि हाँ, तो नियम की प्रति उपलब्ध कराएं। क्या इन अभ्यर्थियों का काउंसलिंग में फिजिकल टेस्ट किया गया है? यदि हाँ, तो किस अधिकारी द्वारा? प्रमाण दिया जाए।

उच्च शिक्षा मंत्री : [***(क)*** *जी हाँ। शिकायत प्रमाणित पाये जाने पर संबंधितों के प्रवेश निरस्त कर बी.पी.एड तथा एम.पी.एड. पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन प्रवेश हेतु दस्तावेजों का सत्यापन, फिटनेस, प्रोफिशिएन्सी टेस्ट आदि के लिये बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल का हेल्प सेंटर परिवर्तित किया गया।* ***(ख)*** *जी हाँ। नियमों में प्रत्येक चरण में फिजिकल टेस्ट का प्रावधान है। अतः फिजिकल टेस्ट में अभ्यर्थी के प्रदर्शन के आधार पर अंक प्रदान किये गये हैं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।* ***(ग)*** *खेलकूद संबंधित प्रमाण-पत्र 03 वर्ष से अधिक पुराने होने पर भी मान्य किये जाते हैं। विस्तृत* ***जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** ***(घ)*** *जी हाँ। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियम की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।*** *प्रवेश नियम/मार्गदर्शी सिद्धांत अनुसार प्रवेश के पूर्व प्रत्येक आवेदक का फिटनेस, प्रोफिशिएन्सी टेस्ट निर्दिष्ट संबंधित हेल्प सेंटर द्वारा किया गया है। हेल्प सेंटर की सूची नियमावली में संग्रहित है।* **] (ग)** जी हाँ। खेलकूद संबंधी प्रमाण-पत्र 3 वर्ष से अधिक पुराने होने पर भी मान्य किए जाते हैं। सत्र 2020-21 की प्रवेश प्रक्रिया में अलग-अलग आवेदन करने वाले बी.पी.एड. तथा एम.पी.एड. पाठ्यक्रम के 249 आवेदन-पत्रों एवं प्रत्येक आवेदन में प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों की सत्यापित प्रतियां (कुल 3319 पृष्ठ) **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।** शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दिसम्बर 2021

दिनांक 20 दिसम्बर, 2021

कृषकों की आय एवं कृषि योग्य भूमि की जानकारी

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

1. अता.प्र.सं.86 (क्र. 309) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन. पी.) : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विगत पांच वर्षों में प्रमुख कृषि फसलों का क्षेत्रफल, उत्पादन तथा उत्पादकता में कितने प्रतिशत का इजाफा हुआ है? **(ख)** प्रश्नाधीन प्रश्न के खण्ड (घ) के सदंर्भ में बतावें कि कृषकों की वार्षिक आय के कितने वर्ष में दोगुनी करने का संकल्प किस वर्ष में किया गया? **(ग)** क्या विभाग के पास कृषकों की वार्षिक आय की जानकारी है? वह दोगुनी हुई या नहीं, यह तय किये जाने हेतु कोई कार्यवाही की जा रही है अथवा नहीं? **(घ)** वर्ष 2004-05 में वर्ष 2010-11 में तथा वर्ष 2020-21 में कृषक तथा खेतीहर मजदूर का प्रतिशत बतावें तथा उक्त वर्षों में कृषि जोतो का औसत आकार बताएं। **(ड.)** वर्ष 2020-21 में कृषि भूमि उपयोग की विस्तृत जानकारी देवें।

किसान कल्याण मंत्री : [***(क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख)** कृषकों की वार्षिक आय पांच वर्ष में दोगुनी करने का संकल्प वर्ष 2016 में किया गया। **(ग)** विभाग में कृषकों की वार्षिक आय की जानकारी संधारित नहीं की जाती है। शेष प्रश्न ही नहीं उठता है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।**

प्रतिनियुक्ति में पदस्थ उप संचालक की जांच

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

2. परि.अता.प्र.सं. 89 (क्र. 387) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या यह सही है कि कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य कार्यालय भोपाल में संयुक्त संचालक स्तर के पर्याप्त अधिकारी होते हुए भी कृषि विभाग से कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय, रीवा में प्रतिनियुक्ति पर अविनाश चतुर्वेदी की पदस्थापना की गई है, जबकि अविनाश चतुर्वेदी उपसंचालक स्तर के अधिकारी हैं? यदि हाँ, तो उपलब्ध संयुक्त संचालकों में से नियुक्त करने की बजाय प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी? **(ख)** रीवा संभाग में किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए 18 मंडियां एवं 19 उपमंडियां बनाई गई हैं, जिसमें से 3 मंडियां सतना, रीवा, नागौद को छोड़कर सभी मंडियां बंद है और सीधी खरीदी करके व्यापारी किसानों को सही मूल्य नहीं दे रहे हैं। उक्त संबंध में प्रतिनियुक्ति पर संयुक्त संचालक अविनाश चतुर्वेदी की भूमिका भी संदेह से परे नहीं है। क्या उक्त संबंध में जांच कराकर संयुक्त संचालक की लापरवाही पर कोई जांच की संस्तुति करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक?

किसान कल्याण मंत्री : [***(क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** जी नहीं। म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड के स्वीकृत सेटअप अनुसार संयुक्त संचालक के भरे पद कम हैं। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** मंडी बोर्ड के रीवा संभाग (जिसमें रीवा तथा शहडोल राजस्व संभाग शामिल हैं) के अंतर्गत 18 कृषि उपज मण्डी समितियां एवं 20 उप मंडियां स्थापित होकर 03 मण्डी समिति एवं 07 उप मंडियों में अनुबंध पत्र से विक्रय हो रहा है और शेष मंडियों तथा उप मंडियों के क्षेत्रांतर्गत सौदा पत्रक के माध्यम से विक्रय संव्यवहार, मंडी के नियंत्रण में, संपादित हो रहे हैं तथा मंडी बोर्ड के पत्र दिनांक 13.12.2021 से अक्रियाशील मंडी प्रांगणों में नियमित रूप से मण्डी कर्मचारी और व्यापारियों को उपस्थित रहकर आवक का निर्धारित प्रक्रिया अनुसार विक्रय, तौल, भुगतान करने हेतु निर्देश जारी किये गये है, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।** उक्त परिस्थिति में शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता हैं।

दिनांक 21 दिसम्बर, 2021

विधानसभा में आयोजित होने वाले कार्यकर्मों की जानकारी

[सामान्य प्रशासन]

3. परि.अता.प्र.सं. 26 (क्र. 353) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक छतरपुर विधानसभा में कौन-कौन से शासकीय आयोजन, लोकार्पण, भूमि पूजन, सेमिनार, जन जागरूकता अभियान आदि आयोजित हुए। इन कार्यकर्मों में मुख्य अतिथि कौन थे? किन-किन कार्यक्रर्मों में स्थानीय विधायक को बुलाने का निर्देश शासन से है? **(ख)** विधानसभा क्षेत्र छतरपुर में होने वाले शासकीय आयोजन, लोकार्पण, भूमि पूजन, सेमिनार, जन जागरूकता अभियान आदि कार्यक्रमों में प्रश्नकर्ता विधायक को न बुलाकर सत्तारूढ़ पार्टी के पदाधिकारियों या जिले के अधिकारियों को मुख्य अतिथि किस नियम से बनाया जा रहा है? **(ग)** प्रश्नांश "क" के अनुक्रम में प्रश्नकर्ता को कार्यक्रम में बुलाने हेतु सूचना या संपर्क कब-कब किया गया? सूचना किस माध्यम से किस तिथि को किस समय किसे दी गई? पावती सहित बतावें।

मुख्यमंत्री : [***(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** छतरपुर विधानसभा अंतर्गत जनपद पंचायत छतरपुर में मार्च 2020 से कोविड-19 महामारी के कारण शासकीय आयोजन, लोकार्पण, भूमि पूजन, सेमिनार आदि से संबंधित कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गये। जिले में आयोजित शासकीय कार्यक्रमों में तथा शिलान्यास, उद्घाटन आदि में क्षेत्र के माननीय विधायकों को आमंत्रित करने के निर्देश हैं। **(ख)** विधानसभा क्षेत्र छतरपुर अंतर्गत कोविड-19 महामारी के कारण कोई भी सार्वजनिक एवं शासकीय कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया गया और न ही सत्तारूढ़ पार्टी के पदाधिकारियों या जिले के अधिकारियों को मुख्य अतिथि बनाया गया। शासकीय आयोजन, भूमि पूजन एवं सेमिनार एवं जन जागरूकता अभियान के आयोजन किए जाते हैं तो उनमें माननीय विधायक/जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाता है। **(ग)** प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दिनांक 24 दिसम्बर, 2021

समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीदी

[सहकारिता]

4. परि.अता.प्र.सं. 53 (क्र. 1179) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था, अचलपुरा शाखा, मिहोना, जिला भिण्ड द्वारा सरसों की खरीदी होने पर 655 क्विंटल सरसों की शार्टेज बताई गई थी? यदि हाँ तो जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. भिण्ड द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था अचलपुरा शाखा मिहोना के प्रभारी समिति प्रबंधक पर दबाव डालकर उक्त शार्टेज सरसों जिसकी राशि रू. 2754378/- बैंक के खाते में जमा कराई गई थी? **(ख)** यदि हाँ तो क्या यह सत्य है कि जिला म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन भिण्ड ने पत्र क्र./क्यू/2021/652 भिण्ड दिनांक 30.01.2021 कलेक्टर भिण्ड को पत्र लिखकर उक्त शार्टेज में परिवहनकर्ताओं को दोषी माना था? यदि हाँ तो क्या जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. भिण्ड ने पत्र दिनांक 14.07.2021 को तथा उपायुक्त सहकारिता भिण्ड ने अपने पत्र क्र./उपार्जन/2021/481 तथा जांच समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में परिवहनकर्ता को उक्त शार्टेज के लिए दोषी माना था? **(ग)** यदि हाँ तो क्या यह भी सत्य है कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था अचलपुरा शाखा मिहोना के प्रभारी समिति प्रबंधक तथा प्रश्नकर्ता द्वारा प्रबंध संचालक, म.प्र. सिविल सप्लाई कार्पोरेशन भोपाल को पत्र द्वारा जबरन जमा कराई गई शार्टेज की राशि को वापिस करने एवं दोषी के विरूद्ध कार्यवाही करने तथा संस्था के प्रभारी समिति प्रबंधक से जमा कराई राशि को वापिस करने के लिए पत्र लिखा था? यदि हाँ तो अभी तक दोषी परिवहनकर्ता के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** संस्था के प्रभारी समिति प्रबंधक से जमा कराई गई राशि कब तक वापिस करा दी जाएगी? समयावधि बताएं। यदि नहीं, तो क्यों?

सहकारिता मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(क)** वर्ष 2019-20 में प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था अचलपुरा द्वारा 41, 614.92 क्विंटल सरसों खरीद की गई थी, जिसमें से 40, 983.32 क्विंटल एम.पी. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के गोदामों में जमा कराई गई थी। शेष मात्रा 631.60 क्विंटल एवं स्टेण्डर्ड गेन 13.92 क्विंटल कुल कमी 645.52 क्विंटल की शार्टेज राशि रू. 26, 52, 720/- के विरूद्ध संस्था के प्रभारी समिति प्रबंधक द्वारा विभिन्न दिनांकों में कुल राशि रू. 24, 00, 000/- जमा की गई थी। **(ख)** जी हाँ, तत्कालीन जिला प्रबंधक म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड भिण्ड द्वारा कलेक्टर भिण्ड को प्रेषित पत्र क्र./क्यू./2021/652 दिनांक 30.01.2021 द्वारा परिवहनकर्ता को दोषी बताया गया था, जो त्रुटिपूर्ण था। समिति प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति अचलपुरा शाखा मिहोना द्वारा यह स्वयं प्रमाणित किया है कि, उनके द्वारा परिवहनकर्ता मेसर्स शुक्ला इंटरप्राईजेस को खरीदी केन्द्र पर धर्मकांटा न होने से भंडारण केन्द्र पर ही धर्मकांटा कराया गया, भंडारण केन्द्र पर जो मात्रा जमा कराई गई है, उसे ही हमारे द्वारा भेजी गई मात्रा मानी जावे। इस प्रकार सरसों में जो कमी परिलक्षित हुई है वह समिति स्तर की होने के कारण समिति प्रबंधक से वसूली योग्य होने के कारण वसूल की गई एवं

परिवहनकर्ता के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। **(ग)** म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा दी गई जानकारी अनुसार प्रश्नांश में पत्र क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख न होने से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि, माननीय सदस्य के किस पत्र क्रमांक एवं दिनांक के संबंध में कार्रवाई बाबत् पूछा जा रहा है, शेष उत्तरांश 'ख' अनुसार। **(घ)** उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मार्च 2022

दिनांक 8 मार्च, 2022

शासन नीति के विरूद्ध की गई पदस्थापना

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

1. परि.अता.प्र.सं. 5 (क्र. 57) श्री केदारनाथ शुक्ल : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या उप संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय रीवा की पदस्थापना उनके गृह स्थान में शासन एवं मण्डी बोर्ड की नीति के विरूद्ध की गई है? यदि हाँ, तो क्यों? **(ख)** प्रश्नांश (क) के विरूद्ध अभी तक कितनी शिकायतें मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल एवं शासन के स्तर पर प्राप्त हुई हैं? उनकी जांच एवं परिणामों की जानकारी दें। **(ग)** क्या उप संचालक के द्वारा उड़नदस्ता माध्यम से सहभागी बनकर कृषि मंडी समिति बैकुंठपुर एवं सीधी में संस्थाओं को दुर्भावना पूर्वक निजी हित में हानि पहुँचाई गई है, इसके लिए प्रबंध संचालक राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा तत्संबंधी नोटिस सचिव एवं उप संचालक को जारी की गई हैं? उनके बारे में आरोपियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही और हानि की वसूली क्या संबंधितों से की जा चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** क्या उड़नदस्ता दल के माध्यम से रामपुर नैकिन के व्यापारी से 40, 000/- रूपयों की रिश्वत ली गई है? इसके लिए शपथ-पत्र के माध्यम से कार्यवाही हेतु सचिव कृषि उपज मंडी समिति सीधी के द्वारा पत्र क्रमांक 591 दिनांक 12/01/2022 के माध्यम से कार्यवाही हेतु लिखा गया है? यदि हाँ, तो रिश्वतखोरों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

किसान कल्याण मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** जी नहीं। म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा अपने सेवकों के लिये जारी स्थानांतरण नीति दिनांक 29.10.2021 की कंडिका 20 के अनुसार कार्यपालिक अधिकारियों/कर्मचारियों को सामान्यत: गृह मंडी क्षेत्र में नहीं पदस्थ किया जाना है। परन्तु श्री अवनीश चतुर्वेदी, उपसंचालक (कृषि) की पदस्थापना मण्डी बोर्ड के आदेश दिनांक 05.04.2021 से कार्य की आवश्यकता एवं प्रशासनिक व्यवस्था के तहत मंडी बोर्ड आंचलिक कार्यालय रीवा (जिसमें रीवा तथा शहडोल राजस्व संभाग शामिल है) में की गई थी। मण्डी बोर्ड सेवा विनियम 1998 के विनियम 25 अंतर्गत म.प्र. राज्य के किसी भी भाग में स्थानांतरित कर पदस्थापना का प्रावधान है। म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के आदेश क्रमांक/21/2022/SAMB दिनांक 06.10.2022 द्वारा श्री अवनीश चतुर्वेदी, प्रतिनियुक्ति उप संचालक, मंडी बोर्ड आंचलिक कार्यालय रीवा की प्रतिनियुक्ति सेवायें मंडी बोर्ड से वापस लेते हुये, संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास म.प्र. भोपाल में पदस्थ किये जाने के फलस्वरूप मंडी बोर्ड भोपाल के आदेश क्रमांक 2039 दिनांक 10.10.2022 से भारमुक्त/कार्यमुक्त किया जा चुका है। **(ख)** प्रश्नांश ''क'' के उत्तर के परिपेक्ष्य में श्री अवनीश चतुर्वेदी तत्कालीन उप संचालक मंडी बोर्ड रीवा के विरूध्द विभिन्न स्तर से म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड में 04 शिकायतें प्राप्त हुई है, जिनकी अद्यतन **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग)** संभागीय उड़नदस्ता दल मण्डी बार्ड रीवा द्वारा दिनांक 04.12.2021 को रामपुर नैकिन की फर्म बालाजी एंटरप्राइजेज एवं

दिनांक 19.11.2021 को फर्म जावेन्द्र किराना स्टोर/जावेन्द्र गुप्ता बैकुण्ठपुर, (बगैर अनुज्ञप्तिधारी फर्म) के प्रतिष्ठान के स्कन्ध का निरीक्षण किया गया, जिसमें कृषि उपज का अवैध भण्डारण पाये जाने पर प्रकरण कृषि उपज मंडी समिति सीधी एवं बैकुण्ठपुर को कार्यवाही हेतु सौंपे जाने पर कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा-19 के प्रावधान तथा धारा-23 के तहत कार्यवाही नहीं करने पर श्री अवनीश चतुर्वेदी, तत्कालीन उपसंचालक, आंचलिक कार्यालय रीवा, श्री हीरामणि त्रिपाठी, प्रभारी सचिव मण्डी समिति बैकुण्ठपुर एवं श्री विनय पाण्डेय सहायक उप निरीक्षक मण्डी समिति सीधी को दिनांक 22.12.2021 से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। संबंधितों द्वारा अपने उत्तर में लेख किया कि पूर्व में फर्म बालाजी इन्टरप्राईजेज द्वारा जमा की गई राशि के अतिरिक्त पांच गुना मण्डी शुल्क/निराश्रित शुल्क अंतर की राशि रूपये 28, 605/- दिनांक 29.12.2021 को मंडी समिति सीधी में जमा की गई है तथा फर्म जावेन्द्र किराना स्टोर से पांच गुना मंडी शुल्क/निराश्रित शुल्क अंतर की राशि रूपये 98, 036/- दिनांक 10.01.2022 को मंडी समिति बैकुण्ठपुर में जमा कराई गयी है। प्राप्त उत्तरों का परीक्षण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्न निर्मित नहीं होता है। **(घ)** प्रश्नागत शिकायत की जांच संयुक्त संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय सागर को मंडी बोर्ड भोपाल के पत्र दिनांक 23.12.2021 से सौंपी गई थी, जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है। जांच में पायी गई वस्तुस्थिति का परीक्षण कर आगामी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।

दिनांक 10 मार्च, 2022

बिना बिल प्रस्तुत किए भुगतान की जानकारी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

2. परि.अता.प्र.सं. 85 (क्र. 1160) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्न क्र. 4028 दिनांक 24.07.2019 के 'क' उत्तर के परिशिष्ट 'अ' में प्रभारी महाप्रबंधक (उपा. एवं मि.) ने नोट में स्वीकारा है कि होशंगाबाद जिले में मिलर्स द्वारा बिल प्रस्तुत नहीं किए गए फिर इन्हें भुगतान किस आधार पर कर दिया गया? क्या इन्होंने बाद में बिल दिए? इन सभी फर्मों के द्वारा प्रस्तुत बिलों की छायाप्रति देवें। **(ख)** उज्जैन जिले के राइस मिलर्स द्वारा दिनांक 01.06.19 से 31.01.22 तक धान की कस्टम मिलिंग हेतु कहाँ-कहाँ से धान प्राप्त की? इनके द्वारा प्रोसेस उपरांत धान मिलिंग एवं परिवहन देयक के बिलों की छायाप्रति देवें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) अवधि के भुगतान की जानकारी फर्म नाम, भुगतान राशि, टी.डी.एस. कटौत्रा राशि, बैंक नाम, बैंक खाता नंबर सहित देवें। **(घ)** प्रश्नांश (क) अनुसार बिना बिल प्रस्तुत किए भुगतान करने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

खाद्य मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** होशंगाबाद जिले में उपार्जित धान की मिलिंग हेतु मिलर्स द्वारा तत्समय देयक प्रस्तुत नहीं किए गए थे एवं वित्तीय वर्ष के अंत में लेखा फाईनल करने हेतु प्रोविजन किया गया था। प्रोविजन के आधार पर ही मिलर को तत्समय भुगतान किया गया था। मिलर्स द्वारा प्रस्तुत किए गए देयकों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे**

परिशिष्ट-अ अनुसार है। **(ख)** उज्जैन जिले के राइस मिलर्स द्वारा दिनांक 01.06.2019 से 31.01.2022 तक धान की कस्टम मिलिंग हेतु जबलपुर एवं उज्जैन जिले से धान प्राप्त की गई है। उज्जैन जिले के राईस मिलर्स द्वारा उज्जैन एवं जबलपुर जिले की धान प्रोसेस उपरांत प्रस्तुत धान मिलिंग एवं परिवहन देयक के बिलों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–ब अनुसार** है। **(ग)** उज्जैन जिले के राइस मिलर्स द्वारा दिनांक 01.06.2019 से 31.01.2022 तक की अवधि में जिला जबलपुर के मिलर्स को किए गए भुगतान की फर्म का नाम, भुगतान राशि, टी.डी.एस कटोत्रा राशि, बैंक का नाम, बैंक खाता नंबरवार सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–स अनुसार** है। जिला उज्जैन में मिलर्स को किए गए भुगतान की जानकारी निरंक है। **(घ)** प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में होशंगाबाद जिले में प्रदाय धान की मात्रा के आधार पर वित्तीय वर्ष के अंत में लेखा फाईनल करनें एवं प्रोविजन के आधार पर ही मिलर को तत्समय भुगतान किया गया था। बिना बिल प्रस्तुत किए भुगतान करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

खाद्यान्न की काला बाजारी की उच्च स्तरीय जांच कराकर कार्यवाही

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

3. अता.प्र.सं.122 (क्र. 1369) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शहडोल एवं रीवा जिले में वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक में कितना-कितना खाद्यान्न किन-किन दुकानों में किस-किस दिनांक को पहुँचाया गया, का विवरण दुकानवार, दिनांकवार जिलेवार देंवे। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार दुकानों में पहुँचाये गये खाद्यान्न में से नि:शुल्क वितरण करने वाले खाद्यान्न की मात्रा कितनी-कितनी थी एवं मूल्य लेकर बिक्री करने वाले खाद्यान्न की मात्रा कितनी-कितनी क्यों थी, का विवरण पृथक-पृथक वर्षवार व माहवार निकायवार देवें। **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार खाद्यान्न कितना-कितना, कब-कब, किन-किन दुकानों से बिक्री किया गया एवं कितनी-कितनी मात्रा में खाद्यान्न दुकानों में शेष बचा का विवरण दुकानवार, वर्षवार, जिलेवार देवें। **(घ)** प्रश्नांश (ग) अनुसार बचे खाद्यान्न का उपयोग कब-कब, किन-किन हितग्राहियों को वितरण किया गया एवं कितना शेष किन-किन दुकानों में बचा है, का विवरण दुकानवार जिलेवार देवें। इसका सत्यापन कब-कब, किन सक्षम अधिकारियों द्वारा किया गया? अगर नहीं किया तो सत्यापन के दौरान किस वाहन का उपयोग किया गया? लॉग बुक की प्रति देते हुए बतावें एवं किस दुकान पर क्या कार्यवाही प्रस्तावित की जा रही? **(ड.)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार खाद्यान्न का वितरण नहीं किया गया। नि:शुल्क खाद्यान्न दिया गया, जो खाद्यान्न नि:शुल्क वितरण करना था, नहीं किया गया। फर्जी आधार पर विक्रय दिखाकर खाद्यान्न की कालाबाजारी की गई। इसके लिये कौन-कौन जबाबदार है? इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर क्या कार्यवाही किन-किन पर करेंगे? अगर नहीं तो क्यों?

खाद्य मंत्री : [***(क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क) जानकारी पुस्कालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्कालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है। दुकानों में पहुंचाये गये खाद्यान्न की मात्रा पात्र परिवारों के लिये आवंटन अनुसार थी। **(ग) जानकारी पुस्कालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार** है। **(घ)** प्रश्नांश की **जानकारी पुस्कालय में रखे परिशिष्ट "स" में**

समाहित है। इसका सत्यापन रेंडम आधार पर प्रतिमाह क्षेत्रीय सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों द्वारा किया गया। शेष भाग का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ड.)** उचित मूल्य दुकानों की POS मशीन के माध्यम से पात्र परिवारों को बायोमैट्रिक सत्यापन के आधार पर नियमित एवं PMGKAY योजना अंतर्गत नि:शुल्क खाद्यान्न का वितरण कराया गया है। खाद्यान्न वितरण में अनियमितता बरतने वाले शहडोल जिले के दो उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। शेष भाग का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

दिनांक 11 मार्च, 2022

मेट्रो ट्रेन तथा स्मार्ट सिटी कार्य का अनुबंध

[नगरीय विकास एवं आवास]

4. परि.अता.प्र.सं. 101 (क्र. 1787) श्री जितु पटवारी : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** इंदौर, भोपाल मेट्रो ट्रेन तथा इंदौर भोपाल स्मार्ट सिटी का कार्य अनुबंध के अनुसार किस दिनांक को पूर्ण होना चाहिये तथा 10 फरवरी 2022 तक कितने-कितने प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है? समयावधि में कार्य पूर्ण न होने पर कार्यावधि बढ़ाने अथवा पेनाल्टी लगाने का अनुबंध अनुसार क्या उल्लेख है? यदि पेनाल्टी लगाई जाती है तो वह किस दर से लगाई जावेगी? चारों अनुबंध की प्रति देवें। **(ख)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 1408 दिनांक 23/12/2021 के खण्ड (ख) का स्पष्ट उत्तर क्यों नहीं दिया गया कि कन्सलटेंट के 600 करोड़ का भुगतान किसके द्वारा किया जायेगा? स्पष्ट उत्तर दिलावें तथा बतावें कि खण्ड (क) में उल्लेखित चारों प्रोजेक्ट में डी.पी.आर. बनाने वाले कन्सलटेंट तथा परियोजना के क्रियान्वयन के लिये जनरल कन्सलटेंट अलग-अलग है? उनका नाम तथा देय राशि तथा डी.पी.आर. की प्रति तथा जनरल कन्सलटेंट के साथ हुये अनुबंध की प्रति देवें। **(ग)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 1408 दिनांक 23/12/2021 के खण्ड (घ) का स्पष्ट उत्तर क्यों नहीं दिया गया कि एक्टिव भूगर्भीय फॉल्ट कहाँ से गुजर रहे हैं तथा मेट्रो रेल से कितनी दूर है? स्पष्ट उत्तर दिलायें तथा बतावें कि संलग्न भूकम्प हैजर्ड मैप में एक्टिव भूगर्भीय फॉल्ट का संकेत क्या है तथा वह इंदौर शहर से किस ओर है? लाल स्याही से निशान लगाकर मैप की प्रति देवें तथा बतावें कि डी.पी.आर. के किस पृष्ठ पर इस बारे में उल्लेख है? **(घ)** इंदौर, भोपाल मेट्रो रेल के क्रियान्वयन के जनरल कन्सलटेंट के प्रमुख - प्रमुख जिम्मेदारी का क्रम अनुसार उल्लेख करें तथा बतावें कि वह न होने पर क्या कार्यवाही की जावेगी अनुबंध के किस-किस पृष्ठ पर इस बारे में उल्लेख है।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [***(क)*** *एवं* ***(ख)*** ***जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** ***(ग)*** *इंदौर शहर के पास से दो एक्टिव भूगर्भीय फॉल्ट जोन (नर्मदा-सोन साउथ फॉल्ट एवं ग्रेट बाउण्ड्री फॉल्ट) गुजर रहे हैं, संबंधित मध्यप्रदेश भूकंप हैजर्ड मेप की* ***प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार*** *है। मेप में लाल चिन्ह द्वारा दर्शित एक्टिव भूगर्भीय फॉल्ट को हाईलाइट कर दर्शाया गया है। एक्टिव भूगर्भीय फॉल्ट के बारे में डी.पी.आर. में कोई उल्लेख नहीं है।* ***(घ)*** *भोपाल एवं इंदौर मेट्रो रेल परियोजनाओं के जनरल कन्सलटेंट के कार्यों (Scope) का विवरण अनुबंध के सेक्शन क्रमांक 6 अंतर्गत टर्म्स ऑफ रिफरेन्स (Terms of Reference - TOR) में पृष्ठ क्रमांक 108 से 138 तक अंकित है तथा*

Deliverables के पूर्ण न होने की स्थिति में अनुबंध के क्लॉज 9.2 पार्ट-II-GCC, पृष्ठ क्रमांक 181, के अनुसार पेनाल्टी लगाये जाने का प्रावधान है।] **(क)** भोपाल तथा इंदौर मेट्रो रेल परियोजना बहु-अनुबंध परियोजना है तथा विभिन्न कार्य अनुबंध पूर्ण होने के विभिन्न तिथि लक्षित है। दोनों परियोजना के अंतर्गत प्रायोरिटी कॉरिडोर को सितम्बर 2023 में तथा संपूर्ण परियोजना को दिसंबर 2025 में पूर्ण किया जाना लक्षित है। फरवरी 2022 की स्थिति में भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के प्रायोरिटी कॉरिडोर का सिविल कार्य 35 प्रतिशत एवं इंदौर मेट्रो परियोजना के प्रायोरिटी कॉरिडोर का कार्य 6.70 प्रतिशत पूर्ण है। अनुबंध अवधि में कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में कार्यावधि बढ़ाने तथा कार्य के विभिन्न अवयवों के लिए पेनाल्टी लगाये जाने का समस्त अनुबंधों में पृथक-पृथक प्रावधान है। मेट्रो रेल परियोजनाओं के सिविल कार्यों से संबंधित अभी तक निष्पादित अनुबंधों की **प्रतिलिपियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार** है। **(ख)** भोपाल एवं इंदौर मेट्रो परियोजना के क्रियान्वयन हेतु जनरल कन्सलटेंट के रूप में M/s DB Engineering & Consulting Gmbh (Lead Member), Geo-data Engineering S.P.A and Louis Berger SAS के कंसोर्टियम (Consortium) को रू. 600, 52, 31, 768/- (रू. छः सौ करोड़ बावन लाख इकतीस हजार सात सौ अड़सठ) राशि पर अनुबंधित किया गया है। भोपाल एवं इंदौर मेट्रो रेल परियोजना में नियोजित जनरल कन्सलटेंट के द्वारा संपादित कार्य का भुगतान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा समय-समय पर अनुबंध में वर्णित शर्तों के अनुरूप किया जाता है। इंदौर एवं भोपाल मेट्रो परियोजना के डी.पी.आर. बनाने का कार्य मेसर्स रोहित एसोसिएटस आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर्स प्रा. लिमिटेड, मुम्बई को रू. 17.95 लाख प्रति किलोमीटर की दर पर आवंटित किया गया था। जनरल कंसलटेंट के अनुबंध की **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2** तथा परियोजना के डी.पी.आर. की **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार** है।

आवंटित आवासों का मरम्मत/संधारण कार्य

[लोक निर्माण]

5. अता.प्र.सं.122 (क्र. 1847) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या लोक निर्माण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** माननीय मंत्रियों, सांसदों, विधायकों को आवंटित आवास के कुछ भाग क्षतिग्रस्त होने, दरवाजे-खिड़कियां, पंखें-लाइट इत्यादि खराब होने की सूचना मिलने के कितने दिन उपरांत उसका मरम्मत/संधारण कार्य करवाया जाता है? **(ख)** प्रश्नकर्ता के आवास में मरम्मत/संधारण कार्य करवाने के कितने आवेदन कब-कब विभाग को प्राप्त हुए? प्रश्न दिनांक तक भी मरम्मत/संधारण कार्य नहीं करवाने का क्या कारण है? कब तक मरम्मत/संधारण कार्य करवाया जाएगा? **(ग)** शासन के समस्त माननीय मंत्रियों को भोपाल में आवंटित आवासों में अप्रैल-2020 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस निधि से कितनी राशि आवंटित कर कितनी राशि के क्या-क्या मरम्मत/संधारण कार्य किए गए? पृथक-पृथक आवासवार, दिनांकवार बताएं। **(घ)** प्रदेश के माननीय सांसदों, विधायकों को भोपाल में आवंटित आवासों में, अध्यक्षीय पूल के समस्त आवासों में अप्रैल-2020 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस निधि से कितनी राशि आवंटित कर कितनी राशि के क्या-क्या मरम्मत/संधारण कार्य किए गए? पृथक-पृथक आवासवार बताएं। **(ड.)** प्रश्नकर्ता को आवंटित अध्यक्षीय पूल के आवास में प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि के क्या-क्या मरम्मत/संधारण कार्य कब-कब किए गए? उक्त कार्यों की पुष्टि किस जिम्मेदार अधिकारी द्वारा की गई? बताएं।

लोक निर्माण मंत्री : [***(क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(क)** सूचना मिलने पर संधारण/मरम्मत का कार्य यथाशीघ्र कराया जाता है। **(ख)** विभाग को दो आवेदन दिनांक 24.03.2021 एवं 16.10.2021 को प्राप्त हुये, जी नहीं, प्रश्न दिनांक तक माननीय प्रश्नकर्ता विधायक के आवास में कराये गये निर्माण कार्य की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग)** माननीय मंत्रीगणों को भोपाल में आवंटित आवास में कराये गये सिविल कार्य की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** एवं विद्युत कार्य की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (घ)** माननीय सांसद/विधायकगणों को भोपाल में आवंटित आवास में कराये गये सिविल कार्य की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार** एवं विद्युत कार्य की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ई अनुसार है। (ड़)** कराये गये कार्यों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है।**

दिनांक 14 मार्च, 2022

अनूपपुर जिले की सहकारी संस्थाओं की जानकारी

[सहकारिता]

6. अता.प्र.सं.77 (क्र. 1812) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अनूपपुर जिले के अंतर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं की विगत तीन वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट में किन-किन संस्थाओं में गंभीर आर्थिक अनियमिततायें पाई गई? विभाग द्वारा उक्त आर्थिक अनियमितताओं के संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की गई है? विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी वर्षवार, संस्थावार उपलब्ध करावें। **(ख)** अनूपपुर जिला अंतर्गत विगत तीन वर्षों में समर्थन मूल्य पर उपार्जन केन्द्रों पर हुई खरीदी में किन-किन संस्थाओं द्वारा खरीदी की गई? खरीदी में कौन-कौन सी व कितनी-कितनी उपज की कितनी-कितनी राशि की शार्टेज हुई? इस हेतु विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की? वर्षवार, संस्थावार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ग)** अनूपपुर जिले में विगत तीन वर्षों में कुल कितनी फर्टिलाईजर प्राप्त हुआ, कितना वितरण किया, वितरण उपरांत कितनी राशि जमा की गई? **(घ)** अनूपपुर जिले में सहकारिता विभाग का विगत तीन वर्ष का आय व्यय का ब्यौरा मदवार, राशिवार, वर्षवार उपलब्ध करावें।

सहकारिता मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है।**

विभागीय अधिकारियों के निर्देशों पर की गयी कार्यवाही

[सहकारिता]

7. परि.अता.प्र.सं. 88 (क्र. 2142) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के विधानसभा प्रश्न क्रमांक–607, दिनांक 09/07/2019 के प्रश्नांश (ग)

उत्तर में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही की गयी? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? **(ख)** प्रश्नकर्ता के विधानसभा प्रश्न क्रमांक–607, दिनांक 09/07/2019 के प्रश्नांश **(घ)** में दिये गये उत्तर अनुसार प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी और क्या कार्यवाही किया जाना क्यों शेष हैं? शेष क्या कार्यवाही किस प्रकार और कब तक पूर्ण की जायेगी? **(ग)** प्रश्नांश (क) क्या कटनी जिले में अपचारी/दोषी/आरोपी कर्मचारियों को वरिष्ट अधिकारियों के निर्देशों के बाद भी उपार्जन कार्यों में संलग्न किया गया है? यदि हाँ, तो क्यों? इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं? इस पर क्या कार्यवाही की जायेगी? **(घ)** प्रश्नांश (ग) आयुक्त सहकारिता के पत्र दिनांक 28/06/2019 एवं दिनांक 29/06/2019 और वर्तमान में वीडियो-कॉन्फ्रेंस में दिये गये निर्देश के बाद भी कटनी जिले में उपार्जन कार्यों में कौन-कौन अपचारी/दोषी/आरोपी कर्मचारी किन-किन केन्द्रों में कब-कब कार्यरत रहे? क्या विभागीय एवं सहकारी बैंकों के अधिकारियों को यह अनियमितता ज्ञात थी? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गयी? कार्यवाही नहीं की गयी तो क्यों? कारण बताइये। यदि नहीं, तो यह किस प्रकार संभव हैं? स्पष्ट कीजिये। **(ड.)** प्रश्नांश (क) से (घ) के परिप्रेक्ष्य में उपार्जन कार्यों में किन-किन अनियमितताओं के किस-किस प्रकरण में क्या-क्या जांच/कार्यवाही किन-किन सक्षम आदेशों से किस नाम, पदनाम के अधिकारियों द्वारा प्रश्न दिनांक तक कब-कब की गयी? जांच/कार्यवाही के परिणाम क्या हैं? क्या शासन/विभाग स्तर से लगातार व्याप्त अनियमितताओं का संज्ञान लिया जाकर कोई कार्यवाही की जायेगी?

सहकारिता मंत्री : [***(क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(क)** जी हाँ, विधानसभा प्रश्न क्रमांक 607 दिनांक 09-07-2019 के उत्तरांश 'ग' में उल्लेखित समितियों में अनियमितता हेतु दोषी पाये गये कर्मचारियों को खरीदी प्रभारी बनाने के संबंध में सहायक आयुक्त सहकारिता जिला कटनी द्वारा समिति प्रबंधक मोहनखेडा, बरही (बाकल) धरवारा, बड़वारा, बडगांव एवं बिलहरी को पत्र क्रमांक 1853 दिनांक 27-11-2019 द्वारा उक्त कार्य की पुनरावृत्ति न करने के संबंध में चेतावनी पत्र जारी किया गया है, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है**। समिति बिलहरी के तत्कालीन खरीदी प्रभारी श्री अवधेश दुबे से अमानक स्कंध की राशि रूपये 1, 73, 414/- जमा कराई जाकर संस्था के आदेश दिनांक 19.05.2020 द्वारा सेवा समाप्त की गई, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है**। **(ख)** उत्तरांश 'क' अनुसार की गई कार्यवाही के साथ-साथ अमानक स्कंध का उपार्जन एजेंसी से निराकरण पश्चात किसानों को अमानक स्कंध की शेष राशि का भुगतान किया गया है। विधानसभा प्रश्न क्रमांक 607 के उत्तरांश 'ख' के परिशिष्ट 2 में दर्शित संस्थाओं में से मुरवारी, कछारगांव एवं गणेश उपभोक्ता भंडार के अपयोजनकर्ताओं से अपयोजन राशि की वसूली की गई है, शेष 03 संस्थाओं के प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रचलन में हैं, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है**। **(ग)** जी हाँ, उत्तरांश 'क' एवं 'ख' में उल्लेखित कार्रवाई के साथ-साथ कटनी जिले में अपचारी/दोषी/आरोपी कर्मचारियों द्वारा की गई अनियमितताओं की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जिन कर्मचारियों को आगामी 01 वर्ष के लिए उपार्जन कार्य से पृथक किया गया, जिन पर अर्थदंड अधिरोपित कर राशि वसूल की गई, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है**। उल्लेखित कार्रवाई के उपरांत संस्था में अन्य कर्मचारी उपलब्ध न होने तथा उपार्जन कार्य की महत्ता एवं समय-सीमा तथा शासन की कृषक कल्याण नीति का लाभ किसानों को पहुंचाने हेतु ऐसे कर्मचारियों को समिति प्रबंधक द्वारा

उपार्जन कार्य में संलग्न किया गया है, अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जी हाँ, उपार्जन केन्द्रों में कार्यरत रहे दोषी अपचारी कर्मचारियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार** एवं इस संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी उत्तरांश 'क', 'ख' एवं 'ग' अनुसार है। **(ड.)** अनियमितताओं के प्रकरण में कराई गई जांच की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार है**, की गई कार्रवाई की जानकारी उत्तरांश 'क', 'ख' एवं 'ग' अनुसार है।

सहकारी उपभोक्ता भंडार बोर्ड बहाल किया जाना

[सहकारिता]

8. अता.प्र.सं.103 (क्र. 2154) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सहकारिता विभाग के पत्र क्रमांक 883/427/2012/15-1 दिनांक अप्रैल 2012 में अंजनी प्राथमिकता उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित चंदला फर्जी शिकायत के आधार पर बोर्ड भंग किए जाने की कार्रवाई की गई थी? **(ख)** प्रश्नांश (क) के अनुसार प्राप्त शिकायतों के आधार पर संयुक्त आयुक्त सहकारिता सागर से जांच कराई गई थी? यदि हाँ, तो जांच की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए। **(ग)** प्रश्नांश (ख) के अनुसार जांच में अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाए गए थे। हाँ या नहीं? यदि हाँ, तो दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी? **(घ)** प्रश्नांश (ग) के अनुसार यदि हाँ, तो क्या कार्रवाई की गई थी? कार्रवाई की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए। **(ड.)** क्या शासन उक्त भंडार बोर्ड को बहाल करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

सहकारिता मंत्री : [***(क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(क)** जी नहीं, उप पंजीयक सहकारी समितियां, जिला छतरपुर के आदेश क्र/विधि/11/644 दिनांक 19.05.2011 द्वारा अंजनी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या. चंदला जिला छतरपुर के संचालक मंडल को म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 53 (1) के तहत अतिष्ठित किया गया था, जिसे न्यायालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थायें, संभाग सागर के आदेश दिनांक 29/03/2012 द्वारा निरस्त किया गया, **विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है**। **(ख)** अंजनी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या. चंदला के संचालक मंडल को अवैधानिक तरीके से भंग किये जाने एवं फर्जी निर्वाचन के संबंध में श्री दिलदार सौदागर द्वारा की गई शिकायत की जांच आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें, म.प्र. के पत्र क्रमांक उप/वि.स./12/253 दिनांक 15.03.2012 के आधार पर संयुक्त आयुक्त सहकारिता सागर संभाग, सागर के द्वारा की गई जांच प्रतिवेदन की प्रमाणित **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। (ग)** जी हाँ। जी हाँ। **(घ)** श्री जी.पी. प्रजापति तत्कालीन सहायक आयुक्त सहकारिता, श्री कृपाल कुम्हार तत्कालीन वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, श्री चतुरेश तिवारी तत्कालीन उप अंकेक्षक एवं श्री निरंजन कुमार पाण्डेय तत्कालीन सहायक ग्रेड-2 एवं श्री के. पाटनकर तत्कालीन उपायुक्त सहकारिता, छतरपुर के विरूद्ध की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है।** श्री घनश्याम डेहरिया तत्कालीन उपायुक्त सहकारिता छतरपुर की एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का अनंतिम प्रशासकीय निर्णय लिया गया। **(ड.)** प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

सहकारी समितियों में भण्डारित खाद की गुणवत्ता की जांच

[सहकारिता]

9. अता.प्र.सं.152 (क्र. 2392) श्री मेवाराम जाटव : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में खरीफ 2021 एवं रबी 2021-22 में बोरोन, जिंक्र एवं प्रोम खाद किस-किस कंपनी की कितनी-कितनी भण्डारित हुई? जिलेवार जानकारी दें। **(ख)** विपणन संघ द्वारा इन जिलों के लिये कितनी-कितनी डी.आई. किस-किस कंपनी की कब-कब जारी की गयी? जिलेवार तिथिवार विवरण दें। **(ग)** खाद के भण्डारण के संबंध में पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, म.प्र. द्वारा जून 2021 में क्या निर्देश जारी किये गये थे? क्या इन निर्देशों का पालन हुआ? **(घ)** सहकारी समितियों में किस कंपनी के बोरोन, जिंक एवं प्रोम खाद की अधिक सप्लाई हुई और क्यों? इसके लिये कौन उत्तरदायी है? क्या इसके भुगतान के पूर्व विपणन संघ ने गुणवत्ता की जांच करायी थी? यदि नहीं, तो क्यों?

सहकारिता मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग)** जी हाँ, पत्र की **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।** निर्देशों का पालन न होने के संबंध में शिकायत प्राप्त नहीं है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** एडवांस क्रॉप केयर का 'प्रोम' उत्तम ऑर्गेनिक का 'जिंक सल्फेट' एवं वरूण फर्टिलाईजर का बोरोन की सहकारी समितियों में अधिक सप्लाई हुई है। जिले की मांग अनुसार प्रदायकों को व्यादेश जारी किये गये है, विपणन संघ के अनुसार गुणवत्ता की जांच के उर्वरक नियंत्रण आदेश (1985) के बिन्दु क्रमांक 27 में उर्वरकों के नमूने लेने के नियम निर्धारण किए गए है, जिसके अनुसार राज्य शासन द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर इंस्पेक्टर नियुक्त किया जाता है। उर्वरक निरीक्षक द्वारा प्राप्त नमूने जिसे शासन से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में परीक्षण कराया जाता है, को ही वैधानिक रूप से मान्य किया जाता है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>दिनांक 15 मार्च, 2022</u>

किसानों को बीमा राशि का प्रदाय

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

10. अता.प्र.सं.83 (क्र. 2287) श्री रामलाल मालवीय : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या आपकी सरकार ने वर्ष 2020-21 और 2021-22 में फसल क्षति के एवज में किसानों को बीमा प्रदान कर दिया गया है? यदि हाँ, तो तहसील घट्टिया के कितने किसानों को कितनी राशि बीमा कंपनी द्वारा दी गई? **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में यदि बीमा राशि जारी की गयी है तो पटवारी हल्कावार लाभान्वित किसानों की संख्या, उनको दी गयी राशि सहित प्रस्तुत करें। **(ग)** क्या आपकी सरकार द्वारा उक्त दोनों वर्षों के लिए फसलों के नुकसान के लिये कोई मुआवजा राशि जारी की गयी है? यदि हाँ, तो कब-कब और कितनी? यदि मुआवजा प्रदान किया गया है तो उज्जैन जिले के लिए कितनी राशि जारी की गयी? तहसीलवार ब्यौरा देवें। **(घ)** विगत

02 वर्षों में उज्जैन जिले में ओलावृष्टि, अतिवृष्टि से हुई फसल क्षति से परेशान होकर कितने किसानों ने आत्महत्या की है? यदि की है तो शासन स्तर से उनके परिवार को क्या सहायता पहुंचाई गयी है और किसानों के साथ इस प्रकार की घटना भविष्य में न हो इसके लिए शासन क्या उपाय कर रहा है अथवा करेगा?

किसान कल्याण मंत्री : [***(क)*** *प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत वर्ष 2020-21 की दावा राशि का भुगतान पात्र कृषकों को कर दिया गया है। वर्ष 2021-22 के दावों की गणना का कार्य प्रक्रियाधीन है। शेष* ***जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** *(ग) वर्ष 2020-21 में बाढ़ एवं अतिवृष्टि तथा वर्ष 2021-22 में ओलावृष्टि के कारण जिले में फसलें प्रभावित हुई थीं। आर.बी.सी. 6-4 के प्रावधानों के अनुसार प्रभावित किसानों को स्वीकृत राहत राशि की* ***जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार*** *है। (घ) विगत दो वर्षों में उज्जैन जिले में ओलावृष्टि अतिवृष्टि से हुई फसल क्षति से परेशान होकर किसान द्वारा की गई आत्महत्या की जानकारी निरंक है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।* **] (क)** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत घट्टिया तहसील में खरीफ 2020 में कुल 53311 पात्र कृषकों को राशि रूपये 62.43 करोड़ एवं रबी 2020-21 में कुल 28306 पात्र कृषकों को राशि रूपये 15.09 करोड़ का भुगतान किया गया है। वर्ष 2021-22 में बीमा कंपनी द्वारा गणना कार्य के पश्चात योजना के प्रावधान अनुसार दावों का भुगतान पात्र कृषकों को किया जावेगा। **(ख)** खरीफ 2020 की पटवारी हल्कावार लाभान्वित किसानों की संख्या तथा उनको दी गयी राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है।** रबी 2020-21 की पटवारी हल्कावार लाभान्वित किसानों की संख्या तथा उनको दी गयी राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है।**

फसल बीमा की जानकारी

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

11. परि.अता.प्र.सं. 70 (क्र. 2307) श्री जितु पटवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत 12 फरवरी 2022 को खरीफ 2020 तथा रबी 2020-21 के लिये कितने-कितने कृषकों को कुल कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? **(ख)** दोनों सीजन की बीमा कंपनी का नाम क्या-क्या है तथा उसे प्रीमियम के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई तथा उक्त बीमा क्लेम राशि में राज्य सरकार ने कुल कितनी राशि दी? यदि हाँ तो बतावें कि वह राशि क्या है तथा उसे किस नियम से दिया गया? नियम देवें। **(ग)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित राशि में प्रतिदिन अनुसार कितनी-कितनी राशि कृषकों को भुगतान हेतु भेजी गई तथा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वितरित बीमा क्लेम की राशि कृषकों को कितने-कितने दिन बाद मिली। **(घ)** प्रश्नांश (क) की राशि प्राप्त करने वालों में कृषक में 1 से 1000 रूपये, 1001 से 2500 रूपये से 2501 से 5000 रूपये एवं 5001 से 10000 रूपये तक बीमा क्लेम राशि प्राप्त करने वाले कृषकों की संख्या खरीफ 2020 तथा रबी 2020-21 अनुसार बतावें।

किसान कल्याण मंत्री : [***(क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख)*** *खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 हेतु एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि. है। शेष* ***जानकारी एकत्रित की जा रही है।***

(ग) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत प्रदेश में मौसम खरीफ 2020 हेतु क्षतिपूर्ति देय राशि रू. 71, 16, 23, 35, 094 कुल 4147224 पात्र कृषकों को एवं रबी-2020-21 मौसम के लिए क्षतिपूर्ति राशि रू. 6, 74, 57, 85, 150 कुल 9, 68, 142 पात्र कृषकों को भुगतान किया गया है। **(ख)** खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 हेतु एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि. है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ 2020 में कुल 4147224 पात्र कृषकों को राशि रूपये 71162335094 तथा रबी 2021-22 में कुल 968142 पात्र कृषकों को राशि रूपये 6745785150 का भुगतान किया गया है। खरीफ 2020 मौसम के लिये कृषक प्रीमियम राशि रूपये 5763904491, राज्यांश प्रीमियम राशि रूपये 20773956638 एवं केन्द्रांश प्रीमियम राशि रूपये 20773956638 इस प्रकार कुल राशि रूपये 47311817767 का भुगतान बीमा कंपनी को किया गया है। रबी 2020-21 मौसम के लिये कृषक प्रीमियम राशि रूपये 3333850215, राज्यांश प्रीमियम राशि रूपये 10888265018 एवं केन्द्रांश प्रीमियम राशि रूपये 10888265018 इस प्रकार कुल राशि रूपये 25110380251 का भुगतान बीमा कंपनी को किया गया है। वर्ष 2020-21 हेतु जारी निविदा के शर्त अनुसार 80-110 मॉडल अंतर्गत बीमा कंपनी द्वारा कुल प्रीमियम का 110 प्रतिशत तक दावा भुगतान किया गया है। 110 प्रतिशत के ऊपर शेष राशि रूपये 621.84 करोड़ राज्य शासन द्वारा भुगतान की गयी है। **(ग)** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ 2020 तथा रबी 2020-21 मौसम के लिए क्षतिपूर्ति देय राशि का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा दिनांक 12.02.2022 से 19.02.2022 के दौरान किया गया था। कुछ किसानों के के.सी.सी. अकाउंट बंद होने के कारण नए खातों की जानकारी बैंकों के माध्यम से प्राप्त होने पर क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान विभिन्न तिथियों में किया गया। **(घ)** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 में राशि रूपये 1000 से कम दावा वाले कृषकों को न्यूनतम राशि रूपये 1000 का भुगतान किया गया है, जिसमें कुल 167265 कृषकों को राशि रूपये 16.72 करोड़ का भुगतान किया गया है। राशि रूपये 1000 से अधिक दावा वाले कृषकों को योजना के प्रावधान अनुसार दावों का भुगतान किया गया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा में हुई अनियमितता
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

12. परि.अता.प्र.सं. 75 (क्र. 2361) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रतलाम जिले में तहसीलवार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2020 तथा रबी 2020-21 के लिये कितने-कितने कृषकों को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया तथा पटवारी हल्कावार प्रति हेक्टेयर कितनी राशि खरीफ 2020 तथा रबी 2020-21 के लिये दी गई? **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार राशि रू 200 से कम, 201 से 500 रू तक, 501 से 1000 रू तक, 1001 से 3000 रू तक, 3001 से 5000 रू तक, 5001 से 10000 रू तक, 10000 रू से अधिक राशि का बीमा क्लेम प्राप्त करने वाले कृषकों की संख्या खरीफ 2020 तथा रबी 2020-21 के अनुसार अलग-अलग बतावें। **(ग)** रतलाम जिले में हल्कों में नुकसान की गणना में काफी अनियमितता हुई है। सैलाना तहसील में कई गांवों को बीमा क्लेम की सूची में शामिल नहीं किया है क्या इस अनियमितता को सुधारने हेतु कोई प्रक्रिया की जावेगी यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** सैलाना तहसील की बीमा क्लेम खरीफ 2020 तथा रबी 2020-21 की किस स्तर के अधिकारी द्वारा किस दिनांक को

चेक की गई तथा अंतिम क्लेम किस दिनांक तक बना तथा उसे बीमा कम्पनी द्वारा किस दिनांक को दिया गया। क्लेम देने में कई महिनों के विलम्ब का कारण बतावें।

किसान कल्याण मंत्री : [***(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ)*** *बीमा क्लेम की गणना बीमा कंपनी द्वारा की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।*] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।** योजनांतर्गत जिलावार एवं फसलवार बीमित राशि भिन्न होती है तथा बीमित इकाई/पटवारी हल्कावार थ्रेशोल्ड उपज भिन्न होती है जिसमें संबंधित मौसम हेतु प्राप्त वास्तविक उपज के आधार पर दावा राशि की गणना की जाती है। अत: पटवारी हल्कावार/फसलवार प्रति हेक्टेयर दावा राशि भिन्न होती है। **(ख)** योजना के अनुसार खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 में रतलाम जिले में राशि रूपये 1000 से कम दावा प्राप्त करने वाले कृषकों को न्यूनतम क्षतिपूर्ति राशि रू. 1000/- का भुगतान किया गया है, जिसमें कुल 7813 किसानों को रू. 7, 81, 300 का भुगतान किया गया है। राशि रू. 1000 से ज्यादा दावा वाले कृषकों को योजना के प्रावधान अनुसार दावा राशि का भुगतान किया गया है। **(ग)** दावों का भुगतान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानों के अनुसार पात्र कृषकों को किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** बीमा क्लेम की गणना बीमा कंपनी द्वारा की जाती है। मौसम खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति राशि की गणना रिमोट सेसिंग तकनीक का उपयोग कर सिंथेटिक क्रॉप लॉस एवं उपज के आधार पर हानियों का आंकलन कर दावा राशि का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा दिनांक 12.02.2022 से 19.02.2022 तक किया गया है। भारत सरकार द्वारा पोर्टल एंट्री से वंचित किसानों के लिए पुन: दिनांक 09 फरवरी 2022 से 22 फरवरी 2022 के दौरान पोर्टल खोला गया था, इस हेतु भी पात्र कृषकों को योजनानुसार भुगतान किया जा चुका है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दलहन घोटाले पर कार्यवाही
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

13. अता.प्र.सं.166 (क्र. 2757) श्री बाला बच्चन : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्न क्र. 53 दिनांक 04.12.2017 के (क) उत्तर में वर्ष 2017-18 में दर्शाई गई उड़द, चना, मसूर, अरहर, मूंग का भुगतान जिन्हें किया गया, उनके नाम, बैंक नाम, बैंक अकाउंट नंबर, भुगतान राशि सहित फसल नाम सहित देवें। **(ख)** क्या इसके संबंध में कोई जांच की गई है, तो उसके जांच प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति देवें। **(ग)** इस जांच प्रतिवेदन के आधार पर की गई कार्यवाही की जानकारी देवें। यदि कार्यवाही नहीं की गई है, तो कारण बतावें। इसमें संबंधितों से कितनी राशि की वसूली की गई है? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें। **(घ)** क्या कारण है कि इस प्रकरण में अब तक एफ.आई.आर. दर्ज नहीं कराई गई है? यह कब तक कराई जाएगी?

किसान कल्याण मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।***] **(क)** नरसिंहपुर जिले में प्रश्न क्रंमाक 53 दिनांक 4.12.17 के (क) उत्तर में वर्ष 17-18 में दर्शायी गयी उड़द, चना, मसूर, अरहर, मूंग का भुगतान जिन्हें किया गया उनके नाम, बैंक नाम, बैंक एकाउंट नम्बर, भुगतान राशि सहित, फसल नाम सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख)** जी हाँ। नरसिंहपुर जिले की विपणन सहकारी समिति मर्या. चांवरपाठा (खुलरी) की जाँच आयुक्त खाद्य,

नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण भोपाल के द्वारा की गयी है, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है** एवं कलेक्टर नरसिंहपुर के नोटशीट दिनांक 10.11.2017 के निर्देश के तारतम्य में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. नरसिंहपुर द्वारा जाँच की गयी थी। जाँच प्रतिवेदन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।** **(ग)** प्रश्नांश ''ख'' के उत्तर में सन्दर्भ में जाँच प्रतिवेदन के आधार पर श्री पी.सी. मीना, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त म.प्र. शासन द्वारा नोटशीट पर कार्यवाही के आदेश दिये गये थे, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है।** श्री चन्द्रशेखर पटेल सहकारी निरीक्षक एवं श्री अमित ठाकुर सहकारी निरीक्षक को आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें म.प्र. भोपाल द्वारा आदेश कमांक/स्था./10/वि.जा 2017/2714 दिनांक 14.7.2017 एवं श्री अमित ठाकुर सहकारी निरीक्षक को आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें म.प्र. भोपाल द्वारा आदेश कमांक/स्था./10/विजॉ 2017/2773 दिनांक 14.7.2017 को निलंबित किया गया था, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''5 अ'', ''ब'' अनुसार है।** विपणन सहकारी समिति मर्या. चांवरपाठा खुलरी समिति के कर्मचारी श्री धनजय पटेल प्रबंधक एवं श्री अभिषेक पटेल विक्रेता को आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक/2673 दिनांक 13.9.2017 एवं उप आयुक्त सहकारिता नरसिंहपुर के पत्र क्रमांक/उरन/विप./ 17/1676 नरसिंहपुर दिनांक 14.9.17 के परिपालन में विपणन सहकारी समिति मर्या. चांवरपाठा खुलरी द्वारा आदेश क्रमांक/विप./17/क्यू दिनांक 14.9.17 के द्वारा श्री धनजय पटेल प्रबंधक एवं विक्रेता श्री अभिषेक पटेल विक्रेता को निलंबित किया गया है, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''6 अ'' अनुसार है।** मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. नरसिंहपुर के जाँच प्रतिवेदन में 1.30 करोड़ रूपये की राशि कृषकों को भुगतान किये जाने हेतु विपणन सहकारी समिति मर्या. चांवरपाठा खुलरी को अपने स्त्रोत से करने का उल्लेख किया था। जिसके परिपालन में समिति द्वारा श्री धनजय पटेल निल. प्रबंधक से राशि रूपये सात लाख एवं श्री अभिषेक पटैल निल. विक्रेता से राशि रू. दो लाख छियासठ हजार वसूल किये गये एवं समिति ने स्वयं के स्त्रोत से कृषकों को उपार्जन राशि रूपये 1.30 करोड़ का भुगतान किया गया है। विपणन सहकारी समिति मर्या. चांवरपाठा खुलरी द्वारा वर्ष 17-18 में दलहन उपज की खरीदी का पूर्ण भुगतान करने का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया गया है, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-7 अनुसार है।** **(घ)** प्रश्नांश ''ग'' के उत्तर में संबंधित दोषी कर्मचारी से समिति द्वारा राशि वसूल कर ली गयी है तथा संबंधित दोषियों पर प्रशासनिक कार्यवाही भी की जा चुकी है एवं कृषकों को उपार्जित राशि का शत्-प्रतिशत भुगतान हो चुका है। अत: एफ.आई.आर. दर्ज कराने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-8 अनुसार है।**

फसल बीमा राशि का भुगतान
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

14. अता.प्र.सं.173 (क्र. 2818) श्री संजय यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बरगी तहसील के किसानों को गत तीन वर्षों में फसल बीमा की राशि कब-कब, कितनी-कितनी प्राप्त हुई? यदि किसी वर्ष की कोई राशि किसानों को जारी नहीं की गई है, तो

उसके विधिसम्मत कारण देवें। **(ख)** वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 की फसल बीमा हेतु प्रीमियम कब जमा हुआ है? बरगी तहसील के किसानों को किस दर से राशि का भुगतान किया जावेगा? **(ग)** क्या दिनांक 12/2/22 को शासन द्वारा फसल बीमा राशि जारी करने हेतु कोई आदेश/पत्राचार किया था? यदि हाँ, तो फसल बीमा की कितनी राशि किसानों को जारी की गई? क्या राशि उसी दिन जारी की गई, जिस दिन तय की गई थी? यदि नहीं, तो उचित कारण क्या रहे? **(घ)** वर्तमान वर्ष में शासन द्वारा फसल बीमा हेतु किस-किस बैंक अथवा कंपनी से अनुबंध किया है? उक्त कंपनी के संचालक कौन-कौन हैं?

किसान कल्याण मंत्री : [*(क) से (ग) **जानकारी एकत्रित की जा रही है।** (घ) वर्तमान वर्ष 2021-22 में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि., एच.डी.एफ.सी. एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. एवं रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में कार्यरत हैं। शेष **जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(क)** ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी अंतर्गत खरीफ 2019 के लिए कुल 8 हितग्राहियों को राशि रूपये 74485 का भुगतान अक्टूबर 2020 से दिसम्बर 2021 तक किया गया है। रबी 2019-20 के लिए कुल 25 हितग्राहियों को राशि रूपये 43128 का भुगतान मार्च 2021 में किया गया है। एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी अंतर्गत खरीफ 2020 मौसम हेतु बरगी विधानसभा क्षेत्र (जबलपुर तहसील) में कुल 684 पात्र किसानों को क्षतिपूर्ति राशि रूपये 34.02 लाख क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान दिनांक 12.02.2022 से 19.02.2022 के दौरान किया गया है। रबी वर्ष 2020-21 में बरगी विधानसभा क्षेत्र में (जबलपुर तहसील) में योजना के अनुसार किसी भी पटवारी हल्का/फसल के लिए उपज में कमी नहीं पायी गयी थी। अत: क्षतिपूर्ति देय नहीं है। वर्ष 2021-22 में बीमा कंपनी द्वारा गणना कार्य के पश्चात योजना के प्रावधान अनुसार दावों का भुगतान पात्र कृषकों को किया जावेगा। **(ख)** योजना अनुसार कृषकों के खाते से प्रीमियम काटने की अंतिम तारीख खरीफ मौसम हेतु 31 जुलाई तथा रबी मौसम हेतु 31 दिसम्बर निर्धारित है। **(ग)** उत्तरांश (क) अनुसार खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 की दावा राशि पात्र कृषकों को दिनांक 12.02.2022 से 19.02.2022 तक जारी की गयी थी। **(घ)** वर्तमान वर्ष 2021-22 में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि. चेयरमेन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर सुश्री गिरिजा सुब्रमणियन एच.डी.एफ.सी. एग्रो जनरल इंश्योंरेंस कंपनी लि. मैनेजिंग डायरेक्टर श्री रीतेश कुमार एवं रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राकेश जैन क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में कार्यरत हैं।

दिनांक 16 मार्च, 2022

संविदा कर्मियों का वेतनमान

[सामान्य प्रशासन]

15. अता.प्र.सं.5 (क्र. 206) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या वर्तमान में मध्यप्रदेश में विभिन्न विभागों में संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं? **(ख)** यदि हाँ तो क्या समस्त संविदा कर्मियों को वेतनमान दिया जा रहा है या नहीं? किन-किन विभागों में वेतनमान दिया जा रहा है व किन में वेतनमान नहीं दिया जा रहा है? वेतनमान नहीं दिये जाने का

क्या कारण है? **(ग)** क्या समस्त संविदा कर्मियों को नियमित किया जा सकता है? क्या नियमितीकरण के संदर्भ में कोई शासन के पास कार्ययोजना है या नहीं है, तो उपलब्ध करवाने का कष्ट करें। **(घ)** कंडिका "क" के अनुसार संविदा कर्मियों का भविष्य क्या है? क्या इन्हें सीधी भर्ती के तहत विभागों में पदस्थ किया जा सकता है? यदि हाँ तो कब तक करेंगे और यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री : [***(क)*** *जी हाँ।* ***(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** ***(ग)*** *सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-5-2/2018/1-3, दिनांक 05 जून, 2018 द्वारा संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर प्रदान किये जाने हेतु नीति-निर्देश जारी किये गये हैं।* ***(घ)*** *उत्तरांश "ग" में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 05 जून, 2018 के पालन में 20 प्रतिशत संविदा कर्मचारी हेतु पृथक से सभी आरक्षण नियमों का समावेश कर पद आरक्षित किये गये हैं।* **] (ख)** जी नहीं। संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को संविदा शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है।

दिनांक 17 मार्च, 2022

अनियमित धान खरीदी की उच्च स्तरीय जांच

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

16. परि.अता.प्र.सं. 18 (क्र. 1362) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शहडोल व रीवा जिले में कितने धान खरीदी केन्द्र स्थापित किये गये थे? इन केन्द्रों में कितनी-कितनी धान खरीदी की गई, का विवरण पृथक-पृथक धान खरीदी केन्द्रवार जिलों का देवें। पानी के कारण धान की कितनी क्षति/नुकसान पहुंची थी, की जानकारी भी पृथक केन्द्रवार देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में खरीदी केन्द्रों से धान का उठाव कब-कब किन वाहन क्र. से कहाँ-कहाँ के लिये किया गया? उठाव के समय धान की मात्रा कितनी थी व इनको कहाँ-कहाँ पर रखा गया? **(ग)** प्रश्नांश (क) अनुसार धान की खरीदी की मात्रा व उठाव व जहां धान एकत्रित (रखी गई) की गई, उस समय धान की मात्रा (वजन) कितनी थी? पृथक-पृथक बतावें। **(घ)** प्रश्नांश (क) में खरीदी केन्द्रों में धान जितनी खरीदी गई, उठाव के समय कितनी मात्रा में उपलब्ध नहीं थी? क्या खरीदी केन्द्रों में अनियमितता की गई एवं धान की गुणवत्ता पर भी ध्यान न देकर मनमानी खरीदी की गई? धान की अन्तर की उच्च स्तरीय जांच समिति बनाकर एवं भुगतान किसानों का कब तक करायेंगे?

खाद्य मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु जिला शहडोल 48 एवं रीवा 124 खरीदी केन्द्र स्थापित किए गए है। उक्त खरीदी केन्द्रों पर समर्थन मूल्य पर खरीदी गई धान की केन्द्रवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। रीवा एवं शहडोल जिले में असामयिक वर्षा से धान खराब नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** जिला शहडोल एवं रीवा में खरीदी केन्द्रों से उपार्जित धान का उठाव अनुबंधित परिवहनकर्ता के माध्यम से उपार्जन अवधि के दौरान कराया गया है। खरीदी केन्द्रों से उपार्जित धान का उठाव की वाहनवार, गोदाम में जमा मात्रावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–ब अनुसार** है। **(ग)** जिला शहडोल एवं रीवा में समर्थन मूल्य पर

उपार्जित धान का उठाव एवं जमा मात्रा की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार** है। **(घ)** शहडोल जिलें में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर 140613.8 मे. टन धान का उपार्जन किया गया है। जिसके विरूद्ध 139431.1 मे. टन धान गोदाम में जमा की गई है, जिसमें 76.1 मे. टन धान की कमी उपार्जन समिति स्तर पर एवं 1114.1 मे. टन धान की कमी परिवहन के दौरान हुई है। रीवा एवं शहडोल जिले में धान की गुणवत्ता संबंधी कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है तथा कृषकों से क्रय की गई धान की पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

दिनांक 21 मार्च, 2022

दैनिक वेतन भोगियों के ई.पी.एफ. कटौत्रे की जानकारी

[उच्च शिक्षा]

17. अता.प्र.सं.91 (क्र. 3170) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या उच्च शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या उच्च शिक्षा विभाग में शासन के निर्देशों के पालन में पत्र क्रमांक 561/61/आ.उ.सी./शाखा 3/2020, दिनांक 24.07.2020 एवं पत्र क्रमांक एफ 8-2/2015/नियम/4 भोपाल, दिनांक 12.03.2015 के अनुसार विभाग में पदस्थ दैनिक वेतन भोगियों के ई.पी.एफ. का कटौत्रा काटा जा रहा है? **(ख)** क्या उच्च शिक्षा विभाग में पदस्थ दैनिक वेतन भोगियों का ई.पी.एफ. नहीं काटा जा रहा है? इसके लिए दोषी कौन है एवं कब तक उक्त कटौत्रा काटा जायेगा? **(ग)** क्या दैनिक वेतन भोगियों की नियुक्ति वर्ष 2010 में नियमानुसार हुई है? यदि हाँ, तो वह स्थाईकर्मी के लिए पात्र हैं अथवा नहीं? शासन के आदेशों के क्रम में उनको स्थाईकर्मी माना जायेगा या नहीं? कारण सहित जानकारी दें।

उच्च शिक्षा मंत्री : [***(क)*** *आयुक्त, उच्च शिक्षा के पत्र क्र. 400/61/मंत्री/शाखा-3/2020, दिनांक 18.03.2020 के तहत समस्त प्राचार्यों को ई.पी.एफ. कटोत्रा काटने के निर्देश दिये गये हैं।* ***जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार*** *है।* ***(ख)*** *एवं* ***(ग)*** *जानकारी* ***जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (ख)** जी नहीं। प्रश्नांश के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी नहीं। उच्च शिक्षा विभाग में वर्ष 2010 में किसी दैनिक वेतन भोगी की नियुक्ति नहीं हुई है। शेष प्रश्नांश उपस्थिति नहीं।

अधिकारी/कर्मचारियों के पदों की स्वीकृति

[नगरीय विकास एवं आवास]

18. अता.प्र.सं.139 (क्र. 3600) श्री कुणाल चौधरी : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विभाग के अंतर्गत 6 प्रमुख कार्यालय/संस्थाओं में अधिकारी कर्मचारियों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा 31 जनवरी, 2022 की स्थिति में कितने-कितने पद खाली है तथा इन संस्थाओं में पिछले पांच वर्षों में किस-किस पद पर कितने-कितने स्थायी कर्मचारियों की भर्ती हुई? **(ख)** प्रश्नाधीन प्रमुख संस्थाओं/कार्यालयों में कितने-कितने दैनिक भोगी कार्यरत हैं तथा कितने ठेकेदार (आउटसोर्स) के कर्मचारी कार्यरत हैं? **(ग)** प्रश्नाधीन प्रमुख कार्यालयों/संस्थाओं में वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक कितने अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे तथा सभी संस्थाओं का वर्ष 2016-

2017 से 2020-21 तक वेतन भत्ते तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन पर खर्च कितना-कितना है? **(घ)** सी.एम. हेल्पलाईन में वर्ष 2021 में किस-किस प्रमुख कार्यालय/संस्था की कितनी शिकायतें दर्ज हुईं? 31 दिसम्बर, 2021 तक कितनी शिकायतों का निवारण किया गया तथा कितनी लंबित रहीं? **(ड.)** प्रश्नांश (क) की संस्थाओं में 20 फरवरी 22 की स्थिति में किस-किस संस्था में कितने-कितने प्रकरण लोकायुक्त ई.ओ.डब्ल्यू. तथा विभागीय जांच हेतु लंबित हैं तथा लोकायुक्त ई.ओ.डब्ल्यू. तथा पुलिस में कितने प्रकरण दर्ज होकर प्रचलन में हैं?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [***(क) से (ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।*** **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। **(ख)** संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल में कोई भी देनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत नहीं है। संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल के अधीन गठित "अग्निशमन प्रकोष्ठ" के अंतर्गत संचालनालय एवं संभागीय कार्यालय हेतु आउटसोर्स के अंतर्गत भृत्य के 6 पद स्वीकृत है। जो वर्तमान में रिक्त है। **(ग)** वर्ष 2021-2022 से 2024-2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार** है। **(ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "द" अनुसार** है।

शासकीय आवासों की साज-सज्जा

[लोक निर्माण]

19. अता.प्र.सं.192 (क्र. 3813) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या लोक निर्माण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** राज्य मंत्रिमण्डल के माननीय मुख्यमंत्री जी सहित किन-किन मंत्रिगणों के भोपाल स्थित शासकीय आवासों पर अप्रैल 2020 से 20 फरवरी, 2022 तक अवधि में साज-सज्जा, अतिरिक्त निर्माण कार्य बिजली पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है? **(ख)** क्या अतिरिक्त निर्माण कार्य की शासन से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की गई थी? यदि हाँ, तो किन-किन मंत्री बंगले की? यदि नहीं, तो क्यों और इसके लिये उत्तरदायी कौन-कौन है? **(ग)** क्या भोपाल के शासकीय आवासों की मरम्मत/लघु मूलक कार्यों के लिये कोई नियम/नीति है? यदि हाँ, तो किस-किस श्रेणी के आवासों के लिये कितनी-कितनी राशि उक्त अवधि में व्यय की गई? कृपया नियम/नीति की प्रति संलग्न करें।

लोक निर्माण मंत्री : [***(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं ब अनुसार है। (ख)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" एवं "ब" अनुसार है।** प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** शासकीय आवासों की विशेष मरम्मत/लघुमूल कार्य के लिए स्वीकृति की नीति वित्तीय अधिकार पुस्तिका 1985 भाग-2 **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स एवं "द" अनुसार है।**

दिनांक 23 मार्च, 2022

शासनादेश का पालन नहीं किया जाना
[सहकारिता]

20. परि.अता.प्र.सं. 45 (क्र. 3114) श्री महेन्द्र हार्डिया : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. 3511/2176/2019/3/एक/ भोपाल, दिनांक 09 मार्च, 2020 को जारी आदेश में शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों के पदोन्नति प्रकरण मान. उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन हैं तब तक राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आई.ए.एस./आई.पी.एस. की तरह उच्च पद पर दी जाने वाली क्रमोन्नति अन्य विभागों में लागू करने के लिए प्रदेश के सभी विभागों को अपने भर्ती नियमों में संशोधन कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे? **(ख)** यदि हाँ तो उक्त प्रश्नांश में उल्लेखित आदेश के पालन में प्रदेश के किन-किन विभागों के भर्ती नियमों में संशोधन कर क्रमोन्नति योजना लागू की है? यदि नहीं, तो सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश का उल्लंघन करने वाले संबंधित विभाग प्रमुखों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** क्या कर्मचारियों को क्रमोन्नति न देकर बिना उच्च पद का प्रभार दिए सेवानिवृत्त किए जाने की नीति है? यदि नहीं, तो सभी विभागों में भर्ती नियमों में संशोधन कर कब तक क्रमोन्नति लागू की जाएगी?

सहकारिता मंत्री : [*(क) जी हाँ। **(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।** (ग) जी नहीं। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।* **]** **(ख)** इन्दौर जिले में 2037 सहकारी संस्थाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -1 (अ) एवं 1 (ब)** में वर्णित तिथि से 30 जून, 2022 की स्थिति पर निर्वाचन पूर्ण नहीं हो सके हैं। इन समस्त सहकारी संस्थाओं में प्रशासक नियुक्त हैं तथा 243 सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाए जाने एवं पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही संस्थित है, जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है।**

कृषि साख समितियों में भण्डारित किये गये खाद
[सहकारिता]

21. परि.अता.प्र.सं. 61 (क्र. 3529) श्री प्रवीण पाठक : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में खरीफ 2021 एवं रबी 2021-22 में डी.ए.पी., सिंगल सुपर फॉस्फेट, वर्मी कम्पोस्ट ए सिटी कंपोस्ट एवं आर्गेनिक मैन्योर और खाद की मात्रा किस-किस कंपनी की कितनी-कितनी भण्डारित हुई? जिलेवार जानकारी दें। **(ख)** विपणन संघ द्वारा इन जिलों के लिये कितनी-कितनी डी.आई. किस-किस कंपनी की कब-कब जारी की गयी? जिलेवार एवं तिथिवार विवरण दें। **(ग)** खाद के भण्डारण के संबंध में पंजीयक, सहकारी संस्थाएं म.प्र. द्वारा जून 2021 में क्या निर्देश जारी किये गये थे? क्या इन निर्देशों का पालन हुआ? यदि हाँ, तो किस-किस स्तर पर एवं क्या? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित बतायें? **(घ)** सहकारी समितियों में किस कंपनी के खाद की अधिक सप्लाई हुई और क्यों? इसके लिये कौन उत्तरदायी है? क्या इसके भुगतान के पूर्व विपणन संघ ने गुणवत्ता की जांच करायी थी? यदि हाँ, तो किस-किस कंपनी की कब-कब एवं क्या रिपोर्ट है? कंपनीवार, जिलेवार जानकारी दें? यदि नहीं, तो क्यों? इसके लिये कौन जिम्मेदार है? इसके लिये विभाग कब तक कार्यवाही करेगा? **(ड.)** गुणवत्ता की जाँच कराने के पश्चात

कितने कंपनियों की जाँच अमानक आयी है और उन पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों और गुणवत्ता अमानक आने की स्थिति में किस किस कंपनी के ऊपर एफ.आई.आर. कार्यवाही हुई? जिलेवार जानकारी दें?

सहकारिता मंत्री : [***(क) से (ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।*** **] (क)** प्रदेश की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में खरीफ 2021 में डीएपी 4,02,152 मे.टन, सिंगल सुपर फॉस्फेट 1,87,598 मे.टन का भण्डारण किया गया एवं रबी 2021-22 में डीएपी 2,21,465 मे.टन, सिंगल सुपर फॉस्फेट 1,34,402 मे.टन, का भण्डारण किया गया। वर्ष 2021-22 में वर्मी कम्पोस्ट 20 मे.टन, सिटी कम्पोस्ट 0 मे.टन, आर्गेनिक मैन्योर 1027 मे.टन एवं अन्य (जिंक, बोरोन, प्रोम) 25,348 मे.टन का भंडारण किया गया, खरीफ वर्ष 2021 एवं रबी 2021-22 की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है**। **(ख)** विपणन संघ द्वारा खरीफ 2021 एवं रबी 2021-22 में दिनांक 08.03.2022 की स्थिति में कुल 27.56 लाख मे.टन की डीआई जारी की गई, जिलेवार, तिथिवार एवं प्रदायकवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है**। **(ग)** जी हाँ, पत्र की **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 4 अनुसार**, विपणन संघ के अनुसार निर्देशों के पालन के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। **(घ)** समितियों में प्रदाय खाद की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार**, जिलों से प्राप्त मांग अनुसार प्रदायकों को व्यादेश एवं प्रस्ताव अनुसार डी.आई. जारी की गई है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। विपणन संघ के अनुसार गुणवत्ता की जांच उर्वरक नियंत्रण आदेश (FCO) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत नमूने प्राप्त कर कृषि विभाग द्वारा कराई जाती है। जांच रिपोर्ट में कम गुणवत्ता पाये जाने पर कृषि विभाग द्वारा कार्रवाई कर विक्रय पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तदनुसार विपणन संघ द्वारा कार्रवाई की जाती है, भुगतान के पूर्व विपणन संघ से गुणवत्ता की जांच नहीं कराई गई, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ड.)** उत्तरांश (घ) अनुसार, विपणन संघ द्वारा कोई जांच नहीं कराये जाने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

निलंबन एवं अभियोजन स्वीकृति

[विधि एवं विधायी कार्य]

22. अता.प्र.सं.95 (क्र. 3861) श्री महेश परमार : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शासन के ऐसे कितने मामले है जिनमें कोर्ट में गलत जवाब देने पर निलंबन किए जाने के आदेश जारी किए है? निलंबित अधिकारियों के नाम, पते और निलंबन तारीख सहित निलंबन आदेश की प्रति के साथ पिछले 05 वर्षों का संपूर्ण ब्यौरा देवें। **(ख)** शासन के पास ऐसे कितने मामले है जिनमें विभागीय रूप से प्रमुख सचिव, सचिव, आयुक्त कलेक्टर आदि के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति मांगी गयी है? उन याचिकाओं की सूची प्राप्ति दिनांक शिकायतकर्ता का नाम पद सहित किस विभाग किस अधिकारी के विरुद्ध पायी गयी उस अधिकारी का नाम, पद और मोबाइल नंबर और प्रकरण की विषय वस्तु सहित अभियोजन स्वीकृति की दिनांक सहित प्रस्तुत करें। **(ग)** शासन के पास विगत 05 वर्षों में कितने विभागों से कितने अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति दी गयी है? उन प्रकरणों में कितने मामले गंभीर कितने मामले सामान्य प्रकृति के थे? वर्गीकरण के

आधार पर अभियोजन स्वीकृति के आदेश की प्रतियाँ उपलब्ध कराएं एवं विभागवार अभियोजन स्वीकृति की प्रतियाँ प्रदान करें।

गृह मंत्री : [***(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** एवं **(ख)** जानकारी निरंक। **(ग)** विगत 05 वर्षों में शासन के 62 विभागों द्वारा 548 अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी की गई है। उन प्रकरणों में सभी मामलें गंभीर प्रकृति के है। अभियोजन स्वीकृति **आदेशों की प्रतियाँ पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

बोरोन जिंक एवं प्रोम प्रदाय कंपनियों को नियम विरूद्ध भुगतान
[सहकारिता]

23. अता.प्र.सं.97 (क्र. 3880) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विपणन संघ द्वारा खरीफ 2021 एवं रबी 2021-22 में किस-किस को बोरोन जिंक एवं प्रोम की कितनी डी.आई. कब-कब जारी की गयी? दिनांकवार जिलेवार जानकारी दें। **(ख)** विपणन संघ द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को यह खाद कब-कब प्रदाय की गयी थी? जिलेवार जानकारी दें। क्या यह खाद समितियों में कंपनियों ने सीधे भण्डारित कर दी और बाद में उसकी डीआई को जारी कर नियमितीकरण की कार्यवाही की गयी? **(ग)** वरूण एवं एडवांस क्राप दोनों कंपनियों के प्रोम का अत्यधिक भंडारण हुआ? यदि हाँ, तो जिंक बोरोन की मात्रा एवं मूल्य बतायें। **(घ)** इन कंपनियों को कब-कब कुल कितना भुगतान किया गया तथा कितना भुगतान अभी शेष है? क्या भुगतान के पूर्व गुणवत्ता परीक्षण के निर्देश थे? यदि हाँ, तो कब-कब भुगतान के पूर्व परीक्षण कराया गया और भुगतान कब-कब किये? जिलेवार जानकारी दें।

सहकारिता मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है**। **(ख)** विपणन संघ द्वारा दी गई जानकारी अनुसार, बोरोन जिंक एवं प्रोम प्रदायकों द्वारा कंसाईनमेंट आधार पर समितियों में सीधे भंडारित किया गया, अत: कब-कब भंडारण किया गया, की जानकारी विपणन संघ के पास उपलब्ध नहीं है, जिलेवार भंडारित खाद की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- दो अनुसार है**। उक्त खाद के विक्रय उपरांत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं जिला विपणन अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से डीआई की मांग की जाती है, प्राप्त प्रस्ताव अनुसार विपणन संघ द्वारा डीआई जारी की जाती है। **(ग)** वरूण फर्टिलाईजर के प्रोम का कोई भंडारण वर्ष 2021-22 में नहीं हुआ है, एडवांस क्रॉप केयर के प्रोम का भंडारण अन्य कंपनियों की तुलना में अधिक हुआ है, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है**। जिंक, बोरोन की मात्रा एवं मूल्य की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है**। **(घ)** वरूण फर्टिलाईजर एवं एडवांस क्रॉप केयर कंपनियों को वर्ष 2021-22 में किये गये भुगतान की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार अनुसार** एवं भुगतान हेतु शेष की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- पांच अनुसार है।** जी हाँ, विपणन संघ द्वारा दिनांक 31.12.2015 को जारी निर्देशानुसार भुगतान के पूर्व गुणवत्ता का परीक्षण नहीं कराया गया, उक्त निर्देशों को विपणन संघ द्वारा दिनांक 29.08.2022 को निरस्त कर दिया गया है, जिलेवार भुगतान की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- चार अनुसार है**।

कर्मचारियों का संलग्नीकरण

[जनजातीय कार्य]

24. अता.प्र.सं.143 (क्र. 4015) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 1810 दिनांक 1 मार्च, 2021 के उत्तर में दिया गया है की मूल पदस्थापना के अतिरिक्त अन्य जगह कोई भी कर्मचारी कार्यरत नहीं है जबकि कार्यालय जिला कलेक्टर खरगोन के द्वारा आदेश क्रमांक 5881/2021 खरगोन दिनांक 22 अप्रैल, 2021 एवं सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग खरगोन का पत्र क्रमांक/1799/आदिम/स्था./2021खरगोन दिनांक 6/3/2021 द्वारा जिला अंतर्गत विकासखंड अंतर्गत संलग्नीकरण किए शिक्षकों का संलग्नीकरण निरस्त करने हेतु आदेश जारी किए गए हैं। क्या यह सही है यदि है तो समस्त आदेशों की छायाप्रति सहित जिन कर्मचारियों का संलग्नीकरण निरस्त किया गया उनके संलग्नीकरण समाप्ति के आदेशों की छायाप्रति देवें। इन कर्मचारियों के रिलीव एवं जॉइनिंग लेटर की छाया प्रति देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार क्या प्रश्नकर्ता को असत्य जानकारी दी गई यदि असत्य जानकारी गई है तो इस प्रकार असत्य जानकारी देने वाले समस्त दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की जाएगी? क्या कर्मचारी सदन को भी गुमराह कर रहे हैं? **(ग)** प्रश्नांश (क) अनुसार जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने प्रश्न के उत्तर का निरीक्षण एवं परीक्षण किया उन अधिकारियों के नाम एवं पदनाम सहित सूची देवें।

जनजातीय कार्य मंत्री : [***(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "एक" अनुसार है। (ख)** विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1810 की त्रुटिपूर्ण जानकारी के संबंध में दोषी अधिकारी/कर्मचारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। प्रति उत्तर प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। **(ग)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "दो" अनुसार है।**

दिनांक 24 मार्च, 2022

कर्मचारियों को आवंटित आवास

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

25. परि.अता.प्र.सं. 15 (क्र. 2040) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर मुख्यालय में सेवानिवृत्त/स्थानांतरण के बाद आवंटित आवास रिक्त करने एवं अतिथि गृह में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के रूकने की समय अवधि सीमा तथा नियम क्या हैं? अलग-अलग जानकारी देवें। **(ख)** विश्वविद्यालय मुख्यालय अंतर्गत अन्यत्र संलग्ननीकृत, स्थानांतरित, सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के नाम, पदनाम जानकारी दी जाए जिन्होंने शासकीय आवास रिक्त नहीं किया तथा इनके द्वारा बकाया राशि कितनी जमा की गई है समय से अधिक अवधि तक शासकीय आवास रिक्त न करने के लिये इनके विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है, बकाया राशि जमा कराते हुए आवास कब तक रिक्त करा लिए जाएंगे? **(ग)** 1 जनवरी 2015 से प्रश्न दिनांक तक कृषि विश्वविद्यालय मुख्यालय अन्तर्गत कर्मचारियों का स्थानांतरण किस नियमों के अन्तर्गत किया है? **(घ)** कृषि

विश्वविद्यालय ग्वालियर मुख्यालय में कार्यरत कर्मचारी अतिथि गृह में रहकर विश्वविद्यालय में सेवायें दे रहे हैं, उनकी जानकारी देवें?

किसान कल्याण मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर द्वारा सेवानिवृत्त/स्थानांतरण के बाद आवंटित आवास रिक्त करने एवं अतिथि गृह में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के रूकने की समय अवधि सीमा तथा नियम की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख)** विश्वविद्यालय मुख्यालय अंतर्गत अन्यत्र संलग्नीकृत, स्थानांतरित, सेवानिवृत्त कर्मचारी जिन्होंने शासकीय आवास रिक्त नहीं किया है की जानकारी नाम, पदनाम सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।** बकाया राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 3 अनुसार है। (ग)** प्रश्नांकित अवधि में विश्वविद्यालय मुख्यालय अंतर्गत कर्मचारियों का स्थानांतरण अधिसूचना क्र. कु.स./स्था./अ.सू./2018/5056 दि. 09.01.2018 के द्वारा स्थानांतरण नीति दिशा निर्देश जारी किये गये है, जिसके अंतर्गत सक्षम स्वीकृति से कर्मचारियों के स्थानांतरण किये गये है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 4 अनुसार है। (घ)** जी नहीं। कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर मुख्यालय में कार्यरत कर्मचारी अतिथि गृह में रहकर सेवायें नहीं दे रहे है।

खरीफ फसल हेतु बैंकों द्वारा जमा प्रीमियम राशि

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

26. अता.प्र.सं.27 (क्र. 2357) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अनूपपुर जिले में वर्ष 2019 की खरीफ फसल का जिले के बैंकों द्वारा कितने किसानों की प्रीमियम राशि जमा की गई, तहसीलवार किसान संख्या, बैंक नाम प्रीमियम राशि सहित देवें? इनमें कितने किसानों की जानकारी प्रधानमंत्री बीमा पोर्टल पर दर्ज की गई, तहसीलवार किसान संख्या देवें? **(ख)** क्या कारण है कि प्रीमियम जमा राशि वाले किसानों की संख्या व पोर्टल में दर्ज किसानों की संख्या में अंतर हैं? **(ग)** वर्ष 2019 खरीफ फसल के नुकसान में हुए सर्वे में कितने किसानों का नाम दर्ज किया गया व उसके समक्ष कितने किसानों को फसल बीमा राशि का भुगतान हुआ? तहसीलवार पृथक-पृथक देवें? जिन किसानों की फसल बीमा राशि का भुगतान नहीं हुआ है, उनकी जानकारी भी तहसीलवार कब तक भुगतान किया जाएगा? वर्ष 2020 की खरीफ फसल के संदर्भ में बतावें कि लंबित दावों का निपटारा कब तक किया जाएगा?

किसान कल्याण मंत्री : [***(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है।** बैंकों द्वारा जिन कृषकों का प्रीमियम नामे कर पोर्टल पर प्रविष्टि की जाती है उन्ही बीमित कृषकों में से पात्र कृषकों को दावा राशि का भुगतान किया जाता है। **(ख)** योजनांतर्गत निर्धारित प्रीमियम दरों पर बैंक द्वारा कृषकों के खाते से प्रीमियम राशि काटी जाती है एवं तदानुसार ही भारत सरकार के फसल बीमा पोर्टल पर उन कृषकों की बीमांकन हेतु प्रविष्टियां निर्धारित समयावधि में की जाती है। यदि कोई बैंक प्रेषित प्रीमियम राशि से अधिक प्रविष्टियां पोर्टल पर दर्ज कराता है तो ऐसी स्थिति में प्रीमियम राशि जमा वाले किसान व पोर्टल पर दर्ज किसानों की संख्या में अंतर आने की संभावना होती है। **(ग)** खरीफ 2019 की बीमित

कृषकों, लाभान्वित कृषकों एवं दावा राशि की तहसीलवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है।** खरीफ 2019 में कोई दावा लंबित नहीं है। खरीफ 2020 मौसम हेतु क्षतिपूर्ति देय राशि रूपये 7.44 करोड़ का कुल 6634 पात्र कृषकों को भुगतान किया गया है।

किसानों को फसल बीमा का लाभ

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

27. परि.अता.प्र.सं. 109 (क्र. 4077) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सतना जिले के अंतर्गत वर्ष 2019-2020, 2020-2021 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन कृषकों द्वारा फसल बीमा कराया था? पंचायतवार जानकारी दें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के जिन कृषकों के द्वारा फसल बीमा कराया था उनमें से कितने कृषकों को फसल बीमा का लाभ प्रदान किया गया है? संख्यात्मक जानकारी दें। **(ग)** प्रश्नांश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्य में जिन पात्र कृषकों को फसल बीमा का लाभ नहीं दिया गया और उनके द्वारा शिकायतें प्रश्नांश (क) की अवधि में की गई हैं, उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? शिकायतवार कार्यवाहीवार विवरण दें।

किसान कल्याण मंत्री : [***किसान कल्याण मंत्री (श्री कमल पटेल) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** एवं **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग)** किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग जिला सतना स्तर पर दिनांक 22.11.2022 की स्थिति में ऑफलाईन प्राप्त शिकायतों की जानकारी निरंक है एवं सी.एम. हेल्पलाईन पोर्टल पर वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2020-21 में बीमित कृषकों की कुल पांच शिकायतें है।

किसानों की आय में वृद्धि

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

28. परि.अता.प्र.सं. 142 (क्र. 4283) श्री जितु पटवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या वर्ष 2017 में रोड मेप तैयार किया गया था कि वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुनी कर दी जायेगी? यदि हाँ, तो बतावें कि इसकी समय-सीमा वित्तीय वर्ष अनुसार मार्च 2022 या कैलेण्डर वर्ष अनुसार दिसम्बर 2022 है? **(ख)** क्या प्रदेश में प्रति व्यक्ति औसत आय स्थिर भाव पर 54.829 रूपये थी, जो वर्ष 2020-21 में 58425 रूपये हो गई याने चार वर्ष में मात्र 6.56 प्रतिशत की वृद्धि हुई? **(ग)** यदि प्रश्नांश (ख) का उत्तर हाँ तो बतावें कि प्रश्नांश (क) में उल्लेखित रोड मेप के अनुसार वर्ष 2020-21 तक कृषकों की आय संबंधी लक्ष्य में कितने प्रतिशत उपलब्धी हो गई?

किसान कल्याण मंत्री : [***(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** जी हाँ। कृषि उत्पादन की अवधि वित्तीय वर्ष अथवा कैलेंडर वर्ष के अनुसार निर्धारित नहीं की जा सकती अत: समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है। **(ख)** प्रति व्यक्ति औसत आय की गणना का कार्य किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा नहीं किया जाता। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** किसानों की आय दोगुनी करने के रोड मैप की प्रस्तावना के आधारभूत बिन्दु **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 पर दिये गए** हैं। पाँच वर्षों में दोगुनी आय के लिए तय किये गए मानक और उनसे होने वाली संभावित आय वृद्धि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे**

परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। रोडमैप में किसानों की आय वृद्धि के लिए किये जाने वाले संयुक्त प्रयासो में कृषि के साथ पशुपालन, मछलीपालन, मुर्गी पालन, उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण, रेशम पालन तथा सामाजिक वानिकी आदि भी सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त किसानों की जोत का आकार, भूमि का प्रकार तथा परिवार के सदस्यों की संख्या में भी एकरूपता नहीं होने के कारण किसानों की आय की गणना के कोई मानक स्थापित नहीं है। प्रथक से किसानों के लिए प्रति व्यक्ति आय की गणना के आंकडे उपलब्ध न होने से बताया जाना संभव नहीं है।

दिनांक 25 मार्च, 2022

अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर स्वत्वों का भुगतान

[वित्त]

29. परि.अता.प्र.सं. 32 (क्र. 2870) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी : क्या वित्त मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश के अधिकारियों/कर्मचारियों को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने पर स्वत्वों के भुगतान के क्या नियम हैं? किन-किन स्वत्वों के भुगतान हेतु क्या अवधि निर्धारित है? शिवपुरी जिले में 01 अप्रैल 2021 से कुल कितने अधिकारी/कर्मचारी किन-किन दिनांकों को सेवानिवृत्त हुए हैं? क्या उन सभी कर्मचारियों के पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) जारी किए जाकर उनके सभी स्वत्वों का भुगतान हो चुका है? यदि नहीं, तो किन-किन कर्मचारियों के पी.पी.ओ. सहित कौन-कौन से स्वत्वों का भुगतान किन कारणों से लंबित है? विभागवार, विकासखण्डवार जानकारी दें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में कितने अधिकारियों/कर्मचारियों को पेंशन भुगतान आदेश तथा स्वत्वों का भुगतान उनके विभाग द्वारा समय पर पेंशन प्रकरण तैयार न करने के कारण अथवा पेंशन एवं कोषालय विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पेंशन प्रकरणों में अनावश्यक लगाई आपत्ति के कारण विलंब से जारी/भुगतान हुए हैं या अब भी लंबित हैं? ऐसे सभी कर्मचारियों की विभागवार नाम एवं पद सहित जानकारी दें? क्या इस हेतु दोषी कार्यालय प्रमुख तथा उनके अधीनस्थ कर्मचारियों सहित पेंशन एवं कोषालय विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है अथवा नहीं? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई है ब्यौरा दें? यदि नहीं, तो क्यों नहीं की गई सकारण उत्तर दें। ऐसे लंबित सभी प्रकरणों का निराकरण कब तक कर दिया जावेगा?

वित्त मंत्री : [***(क)*** *वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक 9-2/2019/नियम/चार दिनांक 16 अक्टूबर 2019* ***पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार****। शेष की* ***जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** संचालक पेंशन,भविष्य निधि एवं बीमा म.प्र.भोपाल द्वारा उपलब्ध करायी गयी,जानकारी अनुसार प्रदेश के अधिकारियों/कर्मचारियों को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने पर स्वत्वों के भुगतान हेतु निम्नानुसार नियम हैं :-1. पेंशन एवं उपादान हेतु म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976। 2.बीमा एवं बचत राशि के भुगतान हेतु समूह बीमा योजना 1985 एवं म.प्र. शासकीय कर्मचारी बीमा सह बचत योजना 2003। 3.सेवानिवृत्ति पर अवकाश नगदीकरण हेतु म.प्र.शासन वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 6-1/2018/नियम/चार,भोपाल दिनांक 08-03-2019। 4.सेवानिवृत्ति पर जी.पी.एफ.राशि के अंतिम भुगतान हेतु म.प्र.सामान्य भविष्य

निधि नियम 1955। संबंधित कार्यालयों द्वारा पेंशन प्रकरण जिला पेंशन कार्यालय को प्राप्त होने पर,पेंशन एवं ग्रेच्युटी के भुगतान आदेश जारी होने के 30 दिवस की अवधि में भुगतान किये जाने के निर्देश हैं। संबधित कार्यालय द्वारा शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति के उपरांत बीमा-सह बचत राशि एवं अवकाश नगदीकरण का देयक कोषालय में प्रस्तुत करने के पश्चात 03 दिवस में भुगतान किये जाने के निर्देश हैं। शिवपुरी जिले में अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 तक 402 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' पर** है। जी नहीं। जिनमें से 380 पी.पी.ओ. जारी किये जाकर पेंशन का प्रथम भुगतान किया जा चुका है एवं 22 प्रकरणों में विभिन्न अन्य कारणों से भुगतान आदेश जारी नहीं किये जा सके हैं। जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' पर** है। 02 प्रकरणों में अवकाश नगदीकरण का भुगतान नहीं हुआ है, जिसकी जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' पर** है। सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीपीएफ/ डीपीएफ/एफबीएफ/जीआईएस/बचत बीमा योजना, 2003 का भुगतान किया जा चुका है। **(ख)** उक्त अवधि में 402 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं, जिनमें से 22 कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण विभिन्न कारणों से लंबित हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' पर** है अधिकांश प्रकरण विभागीय जांच, न्यायालय प्रकरण एवं लोकायुक्त प्रकरण से संबंधित हैं जो निराकरण की प्रक्रिया में हैं। संबंधित विभागों द्वारा पेंशन प्रकरण प्रस्तुत होने पर निराकरण किया जायेगा। अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पेंशन प्रकरण में अनावश्यक लगाई आपत्ति के कारण विलम्ब होने की जानकारी प्रकाश में नहीं है।

राजपत्र के अनुसार की गई कार्यवाही की जानकारी

[वाणिज्यिक कर]

30. परि.अता.प्र.सं. 64 (क्र. 3842) श्री प्रदीप पटेल : क्या वित्त मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालय इंदौर में वर्ष 2015 से वर्ष 2017 की अवधि में शराब कारोबारियों के द्वारा कूटरचित बैंक चालानों के माध्यम से शराब दुकानें चलाने पर विधिक कार्यवाही किये जाने के संबंध में कलेक्टर इंदौर ने आबकारी आयुक्त को अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 2238 दिनांक 27.02.2018 लिखा था जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 27 दिनांक 18.01.2017 की कंडिका 37.6 एवं कंडिका 37.7 के अंतर्गत शराब कारोबारियों के द्वारा निर्धारित अवधि से अत्यधिक विलंब से जमा करवाई गयी राशि को नगद में समायोजित करने का प्रावधान है, अतिरिक्त महाधिवक्ता इंदौर के द्वारा पत्र क्रमांक/डी.ओ./120 दिनांक 04.01.2018 के माध्यम से कलेक्टर इंदौर की दी गई विधिक सलाह के पृष्ठ क्रमांक 10 पर स्पष्ट रूप से कंडिका क्रमांक 36.4 का उल्लेख करते हुए विलंब से प्रत्याभूत ड्यूटी जमा करवाने पर उस प्रत्याभूत ड्यूटी को नगद में समायोजित करने की विधिक सलाह राजपत्र की कंडिका के अनुसार दी है? **(ख)** इसी प्रकार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी एसआरए-11 कार्यालय महालेखाकार भोपाल ने पत्र जावक क्रमांक/62 दिनांक 21.04.2017 से सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालय इंदौर की ऑडिट रिपोर्ट कलेक्टर इंदौर को भेजी है। इस ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार भी बैंक चालान में कूटरचना करके विलंब से जमा करवाई गई लायसेंस फीस की मदिरा प्रदाय नहीं की जा सकती हैं, स्पष्ट रूप से लिखा है। उसके उपरांत

भी उपायुक्त आबकारी (आर) कार्यालय आबकारी आयुक्त ग्वालियर के द्वारा इस संबंध में दिनांक 05.03.2018 को एकल नस्ती आबकारी आयुक्त को लिखकर कूटरचित बैंक चालान से प्रदाय की गई मदिरा को नियमित किए जाने का अनुमोदन किया, जिस पर आबकारी आयुक्त, प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर और मंत्री ने भी हस्ताक्षर किए। क्या ये राजपत्र को कैबिनेट द्वारा निर्धारित करने के अनुसार किया गया है? **(ग)** राजपत्र के अनुसार राशि नगद में समायोजित नहीं की गई? क्या मदिरा नियमित करने का निर्णय राजपत्र निर्धारण करने एवं परिवर्तन करने के अधिकार के अनुसार किया गया है? क्या इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी ली गयी है? अगर नहीं तो कौन-कौन अधिकारी दोषी है? उनके नाम और पदनाम बतावें। यह आपराधिक साजिश रच कर शासन को 41, 73, 73, 670 करोड़ के राजस्व की हानि पहुंचाने वाले आरोपी शराब कारोबारियों को मदद करने/आर्थिक मदद पहुंचाने की श्रेणी में क्या और कैसे नहीं आता है? जानबूझकर आपराधिक साजिश रच कर शासन को राजस्व की हानि पहुंचाने वाले शराब कारोबारियों ने राजपत्र वर्ष 2015, 2016, 2017 के अनुसार निर्धारित अवधि तीन दिन के उपरांत जमा करवाई गई राशि को नगद में समायोजित क्यों नहीं की गई है? **(घ)** क्या इस संबंध में विभाग को शिकायतें प्राप्त हुई हैं? उनकी प्रतियां, निराकरण एकल नस्ती, विधिक राय, कलेक्टर इंदौर के पत्र एवं इस संबंध में लिखी गयी समस्त नोटशीटों एवं समस्त पत्राचार, समस्त आदेश, अंतिम निराकरण आदेश की प्रतिलिपियां देवें एवं बतावें कि क्या आरोपी ठेकेदारों ने निर्धारित अवधि उपरांत जमा करवाई गई राशि को राजपत्र के अनुसार नगद में समायोजित किया जावेगा या नहीं?

वित्त मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** कलेक्टर जिला इंदौर द्वारा आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश को अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 2238 दिनांक 27.02.2018 लिखा गया था, जिसमें निम्नानुसार उल्लेख था :- '' विषयांतर्गत शासन राजस्व को सुरक्षित रखने हेतु ऐसे प्रावधानित बंधनों से छूट देने का निर्णय लिया जाना, साथ ही कूटरचित चालानों के माध्यम से लायसेंसियों द्वारा लिये गये मदिरा प्रदाय, जिसके विरूद्ध विंलब से न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि जमा करायी गई, को मदिरा प्रदाय के विरूद्ध जमा न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि मान्य किये जाने के संबंध में वैधानिक दिशा-निर्देश, ऐसी अपवंचित ड्यूटी राशि का आंतरिक लेखा परीक्षक दल के द्वारा आंकलन कराया जाकर निपटारे की प्रक्रिया हेतु दिशा-निर्देश/उचित आदेश मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधाराण) क्रमांक 27 दिनांक 18 जनवरी 2017 की कंडिका 37.6 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी स्तर से दिया जाना प्रस्तावित है।'' श्री एन.सोनी, अतिरिक्त महाधिवक्ता मध्यप्रदेश द्वारा कलेक्टर जिला इन्दौर को लिखे गये अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 120 दिनांक 04.01.2018 के पृष्ठ क्रमांक 10 पर अधिसूचना दिनांक 18.01.2017 की कंडिका 36.4 को शब्दश: उल्लेखित किया गया है, जिसमें निर्धारित समयावधि के पश्चात विलंब से जमा करायी गई न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि के विरूद्ध मदिरा प्रदाय की पात्रता नहीं होने तथा यह राशि न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि के विरूद्ध नकद में समायोजन योग्य होने का तथा संबंधित पक्ष की संपूर्ण निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि ठीक आगामी पक्ष के प्रथम तीन कार्यकारी दिवसों की समाप्ति तक जमा नहीं कराये जाने पर लायसेंसी को स्वीकृत लायसेंस निरस्त किया जा सकने का उल्लेख है। इस प्रावधान के आधार पर अतिरिक्त महाधिवक्ता ने लायसेंसी का लायसेंस निरस्त किये जा सकने के संबंध में स्थिति स्पष्ट की है। **(ख)** वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी, एसआरए 11, कार्यालय महालेखाकार भोपाल का पत्र

क्रमांक 62 दिनांक 21.04.2017 सहायक आबकारी आयुक्त जिला इन्दौर को संबोधित है तथा यह पत्र कलेक्टर इन्दौर को संबोधित नहीं है। इस ऑडिट रिपोर्ट में बैंक चालानों में कूटरचना करके विंलब से जमा करवाई गई राशि के विरूद्ध मदिरा के प्रदाय के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। प्रश्नांश के भाग "उपायुक्त आबकारी (आर) कार्यालय आबकारी आयुक्त ग्वालियर के द्वारा इस संबंध में दिनांक 05.03.2018 को एकल नस्ती आबकारी आयुक्त को लिखकर कूटरचित बैंक चालान से प्रदाय की गई मदिरा को नियमित किए जाने का अनुमोदन किया, जिस पर आबकारी आयुक्त, प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर और मंत्री ने भी हस्ताक्षर किए क्या ये राजपत्र को केबिनेट द्वारा निर्धारित करने के अनुसार किया गया है" से यह स्पष्ट नहीं है कि इसमें क्या पूछा जा रहा है अत: इस भाग का उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। **(ग)** कूटरचित चालानों की जानकारी प्रकाश में आने के बाद विलंब से जमा करायी गई ड्यूटी की राशि नकद में समायोजित नहीं की गई है। प्रश्नांश के भाग " क्या मदिरा नियमित करने का निर्णय राजपत्र निर्धारण करने एवं परिवर्तन करने के अधिकार के अनुसार किया गया है? क्या इसके लिये कैबिनेट की मंजूरी ली गयी है? से यह स्पष्ट नहीं है कि इसमें क्या पूछा जा रहा है अत: इस भाग का उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। उपरोक्तानुसार मदिरा प्रदाय को नियमित किये जाने के लिये गये निर्णय को शासन द्वारा अपास्त कर दिया गया है तथा इसके अनुक्रम में की जाने वाली पश्चातवर्ती कार्यवाही के बाद ही इस प्रकरण के दोषी अधिकारी, आपराधिक साजिश तथा विलंब से जमा की गयी राशि के समायोजन के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। **(घ)** प्रश्नांश (क) एवं (ग) में उल्लेखित तथ्यों के संबंध में श्री कृष्ण कुमार ताम्रकार द्वारा की गई शिकायती पत्र एवं प्रतिवेदनों की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार** है। अतिरिक्त महाधिवक्ता मध्यप्रदेश से प्राप्त विधिक राय की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार** है। कलेक्टर इन्दौर के पत्र एवं इस संबंध में लिखी गयी समस्त नोटशीटों एवं समस्त पत्राचार, समस्त आदेश, अंतिम निराकरण आदेश की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार** है। निर्धारित समयावधि के पश्चात जमा करायी गई राशि के समायोजन के संबंध में प्रश्नांश "ग" के उत्तर में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

पुरानी पेंशन लागू किया जाना

[वित्त]

31. अता.प्र.सं.115 (क्र. 4287) श्री जितु पटवारी : क्या वित्त मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में 31 जनवरी, 2022 की स्थिति में कितने स्थायी कर्मचारी कार्यरत हैं, जिन्हें पेंशन की पात्रता है उनमें से कितने पुरानी पेंशन योजना (1972) तथा कितने नयी पेंशन योजना (2004) के अंतर्गत पात्रता रखते है? **(ख)** प्रदेश में राज्य की सेवा से सेवानिवृत्त हुये कितने पेंशनधारी 31 जनवरी 2022 की स्थिति में है, उसमें से कितनों को पुराने पेंशन नियम के तहत तथा कितनों को नई पेंशन स्कीम के तहत पेंशन प्राप्त हो रही है? क्या यह सही है, कि किसी शासकीय कर्मचारी की आखरी तनखाह 78 हजार रू (इनहैंड) थी तो क्या यह सही है की उसे नई पेंशन स्कीम के तहत हर माह पेंशन या एन्युटी के नाम पर सिर्फ 3693रू. मिलते हैं तथा पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत 39000 रू. हर महीने मिलते हैं? तो यदि हाँ, तो बतावें कि इतने अंतर का कारण क्या है? **(ग)** क्या शासकीय कर्मचारी को पेंशन की नीति बनाना राज्य का विषय है, यदि हाँ, तो बतावें की

सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी के हित सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की किस योजना में ज्यादा है पुरानी या नई? **(घ)** पेंशन की पुरानी योजना (1972) तथा नई योजना (2004) के प्रमुख पांच अंतर बताएं। **(ड.)** क्या शासन को कर्मचारी संगठनों द्वारा समय-समय पर पुरानी पेंशन योजना (1972) लागू करने के लिये आवेदन मिले है? यदि हाँ, तो बतावें कि क्या शासन पुरानी पेंशन योजना लागू करने के पक्ष में है या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

वित्त मंत्री : [***(क)*** *एवं* ***(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** ***(ग)*** *जी हाँ। नवीन पेंशन योजना में जमा राशि शासकीय सेवक की सेवा अवधि पर निर्भर करती है। प्रत्येक प्रकरण में अलग-अलग स्थिति होती है। दोनों पेंशन योजनाएं पृथक-पृथक है।* ***(घ)*** *पुरानी पेंशन योजना एवं नवीन अंशदायी पेंशन योजना में पृथक-पृथक प्रावधान है। प्रावधानों के संबंध में* ***जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर*** *है।* ***(ड.)*** *जी हाँ। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।* **]** **(क)** संचालक, पेंशन म.प्र.भोपाल द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार प्रदेश में 31 जनवरी, 2022 की स्थिति में कार्यरत नियमित कर्मचारी 6,82,287 हैं, इनमें से पुरानी पेंशन नियम,1976 अंतर्गत 2,41,583 कर्मचारियों को एवं नवीन पेंशन योजना 2005 अंतर्गत 4,40,704 कर्मचारियों को पात्रता है। **(ख)** संचालक, पेंशन म.प्र.भोपाल द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार प्रदेश में 31 जनवरी,2022 की स्थिति में राज्य की सेवा से सेवानिवृत हुये 5,30,039 पेंशनधारी/परिवार पेंशनधारी हैं, इनमें से 5,27,482 पुरानी पेंशन (म.प्र.सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के अंतर्गत) तथा 2557 नयी पेंशन स्कीम 2005 के अंतर्गत (एन्युटी) प्राप्त कर रहे हैं। जी नहीं। नयी पेंशन स्कीम (NPS) के अनुसार अभिदाता की सेवा अवधि में कुल जमा राशि के 40% की एन्युटी अभिदाता द्वारा चयनित सेवा प्रदाता द्वारा एवं प्लान के अनुसार क्रय की जाती है, जिसके आधार पर मासिक पेंशन निर्धारित होती है। यह प्रत्येक NPS कर्मचारी हेतु पृथक-पृथक होती है। मध्यप्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम,1976 के अंतर्गत आर्हतादायी सेवा एवं अंतिम माह के मूल वेतन के आधार पर पेंशन निर्धारित होती है। पृथक-पृथक नियम होने के कारण सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली पेंशन/एन्युटी पृथक-पृथक होगी।

पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाहियां
[सामान्य प्रशासन]

32. परि.अता.प्र.सं. 122 (क्र. 4369) श्री विनय सक्सेना : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिनांक 01 जनवरी, 2021 से प्रश्न दिनांक तक मानवाधिकार आयोग द्वारा पुलिस के खिलाफ कुल कितनी शिकायतें भेजी गईं? **(ख)** इनमें से कितनी शिकायतें एफ.आई.आर. दर्ज न करने के संबंध में थी? **(ग)** उपरोक्त अवधि में एफ.आई.आर. दर्ज करने से मना करने पर कितने अधिकारियों पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 या 155 के तहत कार्यवाही की गई?

मुख्यमंत्री : [***(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** कुल 412 शिकायतें। **(ख)** कुल 46 शिकायतें। **(ग)** अलोच्य अवधि में प्रदेश में किसी भी अधिकारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही की सूचना नहीं है।

सितम्बर 2022 [जुलाई 2022]

दिनाँक 13 सितम्बर, 2022 [दिनाँक 25 जुलाई, 2022]

ग्राम पंचायतों के कार्यों के जांच एवं वसूली

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

1. अता.प्र.सं.62 (क्र. 379) श्री संजय उइके : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या म.प्र. पंचायतराज एवं ग्रामस्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40, धारा 89, धारा 92 के अंतर्गत ग्राम पंचायत के पदाधिकारी को पद से पृथक करने, ग्राम पंचायत के कार्यों की जांच करने एवं जांच उपरांत शासकीय राशि का दुरूपयोग करने बाबत् शासकीय राशि के वसूली के अधिकार विहित प्राधिकारी को दिये गये हैं? **(ख)** यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक बैहर विधानसभा क्षेत्र के किन-किन ग्राम पंचायतों के पदाधिकारी, शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्ध जांच की गई है? जांच उपरांत किन-किन ग्राम पंचायत के किस-किस पदाधिकारी/शासकीय अधिकारी, कर्मचारी के विरूद्ध शासकीय राशि के दुरुपयोग/गबन करने पर कितनी-कितनी राशि आरोपित की गयी एवं किन-किन के द्वारा कब-कब, कितनी-कितनी जमा कराई गई? **(ग)** ग्राम पंचायतों के पदाधिकारी, शासकीय अधिकारी/कर्मचारी से वसूली की गई राशि कब-कब संबंधित ग्राम पंचायतों को दी गई? यदि नहीं, दी गई तो, किन कारणों से नहीं दी गई बतावें। **(घ)** ग्राम पंचायत से वसूल की गई राशि को शासन/जिला पंचायत/संबंधित विभाग में से किनके खाते में जमा करने के अधिकार देने संबंधी अधिनियम/निर्देशों/आदेशों की प्रति उपलब्ध करावें।

पंचायत मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।*** **] (क)** जी हाँ। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। **(ग)** मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालाघाट का पत्र क्रमांक 4573 दिनांक 15.07.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम पंचायत के पदाधिकारी, शासकीय अधिकारी/कर्मचारी से वसूली की गई राशि शासन से विभिन्न योजनाओं से आवंटित राशि जिला पंचायत से ग्राम पंचायतों को राशि आवंटित की गई है। वसूल की गई राशि जिला पंचायत के एकल खाते में जमा कराई गई है। चूंकि राशि विभिन्न योजनाओं से संबंधित है। अत: ये राशि जिला पंचायत के एकल खाते में ही जमा है। उदाहरण के तौर पर यदि फर्जी मस्टर की राशि पंचायत के पदाधिकारी से वसूली जाती है तब यह राशि पंचायत को देने का कोई कारण नहीं बनता है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है।

शासकीय विद्यालयों में प्रवेशित बच्चों की संख्या

[स्कूल शिक्षा]

2. अता.प्र.सं.73 (क्र. 403) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 2358 दिनांक 15.03.2022 के खण्ड (क) के उत्तर के संदर्भ में बतावें कि विभाग द्वारा बताये गये तीनों कारण के बाद भी संख्या 18.97 लाख अधिक क्यों है? **(ख)** 2010-11 से 2020-21 तक आरटीई के तहत 12 लाख निजी विद्यालयों में प्रवेश के बाद

भी निजी विद्यालयों की संख्या में मात्र 4 लाख की वृद्धि ही क्यों हुई? जबकि इस अवधि में शासकीय विद्यालयों में 40.96 लाख की कमी हुई 37 लाख बच्चों ने क्या प्रदेश के बाहर अन्य राज्य में प्रवेश लिया? **(ग)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 2358 के उत्तर के खण्ड (क) में शासकीय विद्यालयों में 2010-11 से 2021-22 तक 32.47 लाख की कमी बताई गई है जबकि संलग्न परिशिष्ट 'एक' के अनुसार यह कमी 40.96 लाख है, बतावें कि सही क्या है? **(घ)** 2021-22 तथा 2022-23 में शासकीय तथा निजी विद्यालयों में प्रवेशित कक्षा 01 से 08 तक के विद्यार्थियों की संख्या बतावें।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** ऐसे छात्र जिनका शाला में प्रवेश नहीं हुआ है उनका परीक्षण कर 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने हेतु शासन द्वारा समुचित प्रयास किये जा रहे हैं। **(ख)** जी हाँ। उत्तरांश (क) अनुसार। **(ग)** 40.46 लाख की कमी हुई है। **(घ)** सत्र 2021-22 में यू-डाईस के अनुसार कक्षा-1 से 8 तक शासकीय स्कूलों में 6752244 एवं निजी विद्यालय में 4829364 छात्रों को विद्यालय में प्रवेश दिया गया है। वर्ष 2022-23 यू-डाईस डाटा संकलन में है।

ग्राम पंचायतों की जानकारी उपलब्ध कराना

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

3. अता.प्र.सं.95 (क्र. 526) श्री उमंग सिंघार : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या धार जिले की गंधवानी विधानसभा क्षेत्र में जनपद पंचायत तिरला अंतर्गत ग्राम पंचायत खिड़कीयाकला, सिंधकुआ, सेमलीपुरा, जुनापानी बोरी, शिवसिंगपुरा, सादड़ीयाकुआ, उकाला, कछावदा, अंजनाई एवं निमखेड़ा में वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा एवं जनभागीदारी, अ.ज.जा. बस्ती मद, पंचपरमेश्वर एवं 14वां, 15वां वित्त मद के अभिसरण से विभिन्न सामुदायिक निर्माण कार्य किये गये हैं? **(ख)** प्रश्नांकित **(क)** अनुसार यदि हाँ, तो उक्त ग्राम पंचायतों में कौन से कार्य अभिसरण से किये गये हैं? किये गये कार्यों की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति की राशि सहित ग्राम पंचायतवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ग)** क्या उक्त पंचायतों में कार्यों की स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा से अनुमोदन किया गया या जनपद पंचायत की सामान्य सभा की बैठक अथवा सामान्य प्रशासन समिति की बैठक में अनुमोदन किया गया हैं? **(घ)** उक्त पंचायतों में कार्य हेतु जारी किये गये मजदूरी के संपूर्ण मस्टर रोल की कार्यवार कुल अकुशल संख्या व व्यय राशि, मूल्यांकन राशि कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र एवं कार्यों में उपयोग में ली गई सामग्री पर व्यय राशि की जानकारी ग्राम पंचायतवार उपलब्ध करावें। **(ड.)** क्या उक्त ग्राम पंचायतों में प्रश्नकर्ता द्वारा कार्यों की गुणवत्ता को लेकर एवं विभिन्न जानकारी को लेकर पत्राचार किया गया था? यदि हाँ, तो कौन-कौन से पत्र जारी किये गये थे? साथ ही उक्त के संबंध में जिला पंचायत द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है? यदि कार्यवाही नहीं की है तो क्यों तथा इसका जिम्मेदार कौन है?

पंचायत मंत्री : [***(क)*** *जी हाँ।* ***(ख) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है। (ड.)*** *जी, हाँ।* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार*** *है। अतएव शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।* **] (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। **(ग)** जी हाँ। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है।

बी.एड. प्रवेश हेतु आयु सीमा

[स्कूल शिक्षा]

4. अता.प्र.सं.107 (क्र. 572) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन द्वारा अपने शिक्षकों को विभागीय बी.एड. हेतु अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष निर्धारित कब से और क्यों की गई है? **(ख)** क्या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय में बी.एड. प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का कोई भी बंधन नहीं है? इस प्रकार शासन द्वारा बी.एड. प्रवेश में दोहरा मापदण्ड कैसे और क्यों अपनाया जा रहा है? क्या विभागीय तथा गैर-विभागीय बी.एड. हेतु अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष का बंधन समस्त किया जाएगा? नहीं तो क्यों नहीं? स्पष्ट करे। **(ग)** स्कूल शिक्षा विभाग तथा माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा अपने कर्मचारियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने तथा बी.एड. एवं एम.एड. देने के क्या नियम हैं? नियमों से अवगत कराया जाए? **(घ)** उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु बी.एड. तथा एम.एड. करने की विभागीय अनुमति प्रदान नहीं करने के दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** सत्र 2008-2009 से। आयुसीमा 50 वर्ष किये जाने का कारण यह है कि प्रशिक्षण उपरांत ऐसे शिक्षकों का, अधिकतम अवधि तक शिक्षण कार्य में उपयोग हो। **(ख)** जी हाँ, अशासकीय महाविद्यालय में बीएड प्रवेश हेतु आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है। जी नहीं, स्पष्टीकरण उत्तरांश (क) में वर्णित कारण अनुसार है। **(ग)** बी.एड. एवं एम.एड प्रशिक्षण प्राप्त करने के नियमों की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (घ) बी.एड. एवं एम.एड हेतु चयनित विभागीय शिक्षकों को प्रशिक्षण की अनुमति न देने पर संबंधितों के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 में किये गये प्रावधान अनुसार, नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

नगरीय निकाय तथा पंचायत चुनाव में आरक्षण की जानकारी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

5. परि.अता.प्र.सं. 98 (क्र. 872) श्री जितु पटवारी : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** पंचायत के पिछले चुनाव में तथा 2022 के होने वाले चुनाव पंच, सरपंच में जनपद वार्ड तथा जिला पंचायत वार्ड के कितने-कितने पद थे तथा उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य के कितने पद थे तथा है? **(ख)** वर्ष 2022 के चुनाव में पिछले चुनाव की तुलना में पिछड़े वर्ग के पंच, सरपंच जनपद तथा जिला पंचायत वार्ड के पद में संख्या तथा प्रतिशत में कितनी कमी या वृद्धि हुई? **(ग)** नगर पंचायत नगर पालिका तथा नगर निगम में पिछले चुनाव तथा 2022 के होने वाले चुनाव में पार्षद के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य के कितने-कितने पद थे तथा है इन पदों में पिछड़ा वर्ग के पद का प्रतिशत क्या है तथा उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? **(घ)** क्या यह सही है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा नगरीय निकाय तथा पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के नियम बनाने के बाद भी इस सरकार ने मात्र 12 से 14 प्रतिशत आरक्षण देकर चुनाव करवा लिये? यदि हाँ, तो क्या यह पिछड़े वर्ग के साथ धोखा नहीं है?

पंचायत मंत्री : [***(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार है। (ग) एवं (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।*** **] (ग) एवं (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार** है।

दिनाँक 14 सितम्बर, 2022 [दिनाँक 26 जुलाई, 2022]

लेटर पेड़ पर फर्जी शिकायत

[सामान्य प्रशासन]

6. अता.प्र.सं.51 (क्र. 602) श्री जालम सिंह पटैल : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा पत्र क्रमांक JSP/NSP/8233 दिनांक 30/05/2022 को लेटर पेड पर फर्जी शिकायत के संबंध में पत्र कलेक्टर जबलपुर को दिया गया है यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई? **(ख)** यदि उक्त पत्र पर कार्यवाही नहीं की गई है तो क्यों नहीं की गई है इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, की तो कब तक की जावेगी?

मुख्यमंत्री : [***(क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** माननीय श्री जालम सिंह पटेल विधायक महोदय के लेटर पेड़ पर की गई शिकायत के संबंध में जांच प्रतिवेदन भेजने हेतु कार्यालय कलेक्टर जिला जबलपुर से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर को निर्देशित किया गया था किन्तु उनके द्वारा सामान्य रूप से कमेटी गठित कर शिकायत की जांच कर शिकायत को नस्तीबद्ध कर प्रतिवेदन कार्यालय कलेक्टर जबलपुर को प्रेषित किया था। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर द्वारा उक्त शिकायत को गंभीर शिकायत के रूप में फर्जी लेटर पेड़ के संबंध में प्रथम दृष्टया अपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाना था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया। अत जांच प्रतिवेदन नियमानुसार न होने के कारण कार्यालय कलेक्टर जबलपुर के पत्र क्र 6150/अधीक्षक/46/2022/जबलपुर दिनांक 30/09/2022 प्रेषित कर अपराधिक प्रकरण दर्ज कर जानकारी चाही गई थी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर ने अपने पत्र क्रमांक शिकायत/2022/12254/जबलपुर दिनांक 31/10/2022 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि थाना ओमती, जबलपुर में माननीय विधायक श्री जालम सिंह पटेल, जिला नरसिंहपुर के फर्जी लेटर पेड़ के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। **(ख)** प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज अनुसार पुलिस विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में कार्यवाही प्रचलन में है।

फूड सैंपलिंग के संबंध में

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

7. अता.प्र.सं.117 (क्र. 803) चौधरी सुजीत मेर सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मुख्यालय भोपाल में आने वाले सभी पत्र/नस्ती/आवेदन/मांग पत्र पहले कार्यालय में आवक होकर संबंधित शाखा को वितरित होते है? क्या खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम अंतर्गत दी जाने वाली पेपर स्लिप हेतु जिलो के मांग पत्र/आवेदन पत्र मुख्यालय भोपाल में आवक कराये जाते है? यदि नहीं, तो किस नियम से? नियम

बताये। किस अधिकारी द्वारा मुख्यालय में इन मांग पत्र/आवेदन पत्रों को बिना आवक किये उक्त पेपर स्लिप की अनुमति से मार्क कर प्रदाय की जाती है? नाम, पदनाम सहित बताए? क्या ये वही अधिकारी हे जो इंदौर पदस्थापना के दौरान 1-1/2 (डेढ़ वर्ष) से अधिक समय तक निलंबित रहे थे तथा 3 वेतनवृद्धि रोकी गयी थी? **(ख)** प्रश्नांश (क) में पेपर स्लिप जारी करने की अनुमति देने वाले उक्त अधिकारी को किस अधिकारी द्वारा पेपर स्लिप जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है, आदेश की प्रति उपलब्ध कराएं। **(ग)** क्या पूर्व में फूड सैंपल की अदला-बदली रोकने के लिये पेपर स्लिप स्टीकर युक्त प्रदाय की जाती थी? यदि हाँ, तो किस सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर स्टीकर युक्त पेपर स्लिप के स्थान पर साधारण पेपर स्लिप छपवाकर देना शुरू कर दी गयी? आदेश एवं अनुमोदन नस्ती की प्रति देवें? कब से बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना स्टीकर वाली पेपर स्लिप प्रदाय की जा रही है? इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है? दोषी अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : [***(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(क)** से **(ग)** के संबंध में- जांच हेतु कार्यालय के आदेश क्रमांक- 04/वि.स./खाद्य/1/2022/5062 भोपाल दिनांक 05.09.2022 द्वारा 02 सदस्यीय जांच दल गठित किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर** है। जांच प्रचलन में है।

दिनाँक 16 सितम्बर, 2022 [दिनाँक 28 जुलाई, 2022]

भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड में अवैधानिक नियुक्ति

[नगरीय विकास एवं आवास]

8. परि.अता.प्र.सं. 39 (क्र. 797) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड भोपाल में पब्लिक रिलेशन आफीसर (पी.आर.ओ.) के पद हेतु क्या नेशनल और प्रदेश के अखबारों में विज्ञापन जारी हुआ? हाँ अथवा नहीं? यदि हाँ, तो विज्ञापन की छायाप्रति प्रदाय की जाए। यदि नहीं, हुआ तो B.C.L.L द्वारा कौन सी सरकारी प्रक्रिया के तहत पी.आर.ओ पद की नियुक्ति की गई? इसका विवरण दिया जाए। **(ख)** क्या जिस प्रक्रिया के तहत पी.आर.ओ. पद की नियुक्ति की गई, इसी प्रक्रिया के तहत 2013 से 2021 तक बी.सी.एल.एल. में किसी कर्मचारी/अधिकारी की नियुक्ति की गई? यदि हाँ, तो पद और नियुक्त कर्मचारी/अधिकारी का नाम बताने का कष्ट करें। **(ग)** बी.सी.एल.एल. द्वारा 13/10/2021 को प्रतिवेदन तैयार किया गया। इस प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही हुई? श्री संजय सोनी के विरूद्ध हुई F.I.R. के उपरान्त B.C.L.L. के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** क्या B.C.L.L. में जिस कर्मचारी की प्रथम नियुक्ति आदेश न हो तो उस कर्मचारी को संविलियन के आधार पर विभाग का पद दिया जा सकता है? यदि हाँ, तो यह किस सरकारी प्रक्रिया के आधार पर दिया जा सकता है?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** जी नहीं। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड कम्पनीज अधिनियम-1956 अंर्तगत पंजीकृत संस्था है तथा बी.सी.एल.एल. के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बिन्दु क्र. 203 के उपबिन्दु 'एस' (To appoint

and Suspended Employees etc.) के तहत बी.सी.एल.एल. बोर्ड कर्मचारियों संबंधी निर्णय लेने में सक्षम है। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड के प्रारंभिक समय में श्री संजय सोनी की सेवायें बीसीएलएल द्वारा अधिकृत मेन पॉवर सप्लायर एजेंसी बिजनेस प्रमोशन के माध्यम से प्राप्त की गई थी। परन्तु वर्ष-2008 में उक्त बिजनेस प्रमोशन एजेंसी की सेवायें सक्षम स्वीकृति उपरांत बंद किये जाने एवं उक्त एजेंसी के माध्यम से कार्यरत श्री संजय सोनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अनुमोदन की प्रत्याशा में पूर्ववत् बीसीएलएल कार्यालय में रखे जाने का निर्णय लिया गया। बीसीएलएल की 30वीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठक दिनांक 25/01/2020 के एजेण्डा बिन्दु क्र.-31 (4) में भी श्री संजय सोनी द्वारा किये गये कार्य की पुष्टि बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से की गई थी। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड कम्पनी की 36वीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठक दिनांक 05/05/2022 के एजेण्डा बिन्दु क्र.- (3) में लिए गए निर्णय अनुसार बोर्ड द्वारा एचआर पॉलिसी एवं संचानालय द्वारा हब एंड स्कोप मॉडल अंतर्गत प्रेषित पत्र दिनांक 04/10/2018 तथा उक्त कर्मचारी की बोर्ड बैठक दिनांक 25/01/2020 में की गई सेवा पुष्टि संबंधित निर्णय का अवलोकन उपरांत दिनांक 25/01/2020 में की गई पुष्टि संविलियन प्रकृति होने एवं बीसीएलएल एच.आर. पॉलिसी अंतर्गत अनुमोदित पद की अर्हताओं को पूर्ण करने के फलस्वरूप श्री संजय सोनी के संविलियन को पी.आर.ओ. पद के विरूद्ध मान्य किया गया है। **(ख)** जी हाँ। श्री गुलाब पटेल को भृत्य के पद पर पदस्थ किया गया है। **(ग)** बी.सी.एल.एल. द्वारा 13/10/2021 के प्रतिवेदन को भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड कम्पनी की 36वीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठक दिनांक 05/05/2022 में प्रस्तुत किया गया, जिस पर बोर्ड द्वारा एचआर पॉलिसी एवं संचानालय द्वारा हब एंड स्कोप मॉडल अंतर्गत प्रेषित पत्र दिनांक 04/10/2018 तथा उक्त कर्मचारी की बोर्ड बैठक दिनांक 25/01/2020 में की गई सेवा पुष्टि संबंधित निर्णय का अवलोकन उपरांत दिनांक 25/01/2020 में की गई पुष्टि संविलियन प्रकृति होने एवं बीसीएलएल एचआर पॉलिसी अंतर्गत अनुमोदित पद की अर्हताओं को पूर्ण करने के फलस्वरूप श्री संजय सोनी के संविलियन को पी.आर.ओ पद (संविदा) पर मान्य किया गया है। श्री संजय सोनी के विरूद्ध हुई F.I.R. के संबंध में बीसीएलएल को पुलिस थाना से प्राप्त पत्रों का बीसीएलएल द्वारा विधिवत् समयवधि में उत्तर प्रेषित कर दिया गया है। विभाग द्वारा इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड बी सी एल एल भोपाल को पत्र क्रमांक/123/शा-11/परिवहन/2018/7448 भोपाल दिनांक 21-04-2022 को कार्यवाही करने हेतु प्रेषित किया गया है। जिसकी प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर** है। **(घ)** जी हाँ। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड कम्पनीज अधिनियम-1956 अंर्तगत पंजीकृत संस्था है तथा बी.सी.एल.एल. के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बिन्दु क्रमांक-203 के उपबिन्दु 'एस' (To Appoint and Suspended Employees etc.) के तहत बी.सी.एल.एल. बोर्ड कर्मचारियों संबंधी निर्णय लेने में सक्षम है।

कॉलोनी सेल को प्राप्त शिकायतें

[नगरीय विकास एवं आवास]

9. अता.प्र.सं.114 (क्र. 1239) श्री मनोज चावला : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रतलाम जिले में मार्च 22 से जून 22 तक कॉलोनी सेल को कितनी शिकायतें

प्राप्त हुई हैं? प्र.क्र.1383 दिनांक 21/3/22 में जिन 70 शिकायतों का उल्लेख है, बताएं कि जून 22 की स्थिति में कितनी शिकायतों पर अभी तक जांच पूर्ण नहीं हुई तथा कितनी शिकायतों पर अभी तक जांच प्रारंभ ही नहीं हुई है? **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जिन शिकायतों पर जांच पूर्ण हो गई उसमें कितनी शिकायतों पर पुलिस में प्रकरण दर्ज किया गया तथा पूर्व में प्राप्त 70 शिकायतों तथा मार्च 2022 से जून 2022 तक प्राप्त शिकायतों की प्रति देवें। **(ग)** रतलाम जिले में कितने पंजीकृत/अधिकृत मैरिज गार्डन तथा मार्केट हैं? उनकी सूची देवें तथा बतावें कि उनमें से किस-किस मैरिज गार्डन तथा मार्केट में स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण किया है तथा उन्हें किस किस दिनांक को नोटिस दिया गया है? नोटिस की प्रति देवें। **(घ)** रतलाम नगर निगम द्वारा नगर सुधार न्यास की कॉलोनियों में लीज नवीनीकरण पर वर्ष 1994 से 2016 तक मध्य प्रदेश भूमि अंतरण अधिनियम 2016 लागू होने के पूर्व तथा लागू होने के बाद लीज नवीनीकरण नामांतरण शुल्क पेनल्टी तथा अधिक भार के रूप में कुल कितनी कितनी राशि वसूली गई तथा अंतरण नियम 2016 के पूर्व 16 नगर निगम में से अन्य किस नगर निगम में इस प्रकार की राशि वसूली गई।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [***(क)*** *प्रश्नांकित अवधि में रतलाम जिले के नगर निगम रतलाम के कॉलोनी सेल को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है एवं जिला कलेक्टर के कार्यालय सेल को 10 शिकायतें प्राप्त हुई है। नगर निगम रतलाम से संबंधित 01 शिकायत की जाँच पूर्ण नहीं हुयी है एवं 01 शिकायत की जाँच हेतु संबंधित प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण नगर निगम द्वारा जाँच प्रारंभ नहीं की गई है।* ***(ख)*** *29 शिकायतों पर पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज की गई है एवं 01 शिकायत पर एफ.आई.आर. दर्ज कराने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है और ग्रामीण क्षेत्र की 01 शिकायत पर एफ.आई.आर. दर्ज करने हेतु लिखा गया है। पूर्व की 70 शिकायतें विभिन्न माध्यमों से की गई थी जिनकी सभी प्रतियां जिले के कालोनी सेल में उपलब्ध नहीं है, प्रश्नांकित अवधि में प्राप्त 10 शिकायतों की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट"अ" अनुसार है।*** *(ग) नगर निगम रतलाम क्षेत्रान्तर्गत 19 पंजीकृत मैरिज गार्डन है कि* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है।*** *एवं नगर निगम में पंजीकृत मार्केट की पृथक से सूची संधारित न होने से उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है, जिन मैरिज गार्डन तथा मार्केट में स्वीकृत नक्शे के विपरित निर्माण किया गया है कि जानकारी एवं नोटिस की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार है। (घ)*** *नगर निगम, रतलाम की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट"द" अनुसार है।*** *अन्य नगर निगमों की* ***जानकारी संकलित की जा रही है।*** **] (घ)** शेष 15 नगर पालिक निगम ग्वालियर, मुरैना, इन्दौर, खण्डवा, बुरहानपुर, उज्जैन, देवास, भोपाल, सागर, रीवा, सिंगरौली, सतना, जबलपुर, कटनी एवं छिन्दवाड़ा की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार है।**

शासकीय बंगलों से वसूली

[लोक निर्माण]

10. अता.प्र.सं.150 (क्र. 1343) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या लोक निर्माण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** राजधानी भोपाल के 74 बंगला स्थित बी, सी एवं डी श्रेणी के शासकीय बंगले

किन-किन व्यक्ति/संस्था/समाज के नाम विभाग के अभिलेख में कब से आवंटित है? उक्त बंगले किस-किस पात्रता से आवंटित हैं? **(ख)** प्रश्नांकित बंगले में अप्रैल 2020 से प्रश्न दिवस तक कितनी-कितनी राशि के क्या-क्या निर्माण कार्य व साज सज्जा हेतु लघु मूल कार्य कितनी राशि के कराये गये हैं एवं कराया जाना प्रस्तावित है? **(ग)** प्रश्नांकित बंगलों पर कितना-कितना किराया कब-कब से बकाया है, किराया वसूली के लिये विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

लोक निर्माण मंत्री : [***(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।**

प्रधानमंत्री आवास में व्याप्त अनियमितताएं

[नगरीय विकास एवं आवास]

11. अता.प्र.सं.152 (क्र. 1347) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या नगर पालिका निगम भोपाल, ग्वालियर एवं इंदौर में पदस्थ अधि./कर्म. को उनके मूलपद के विरूद्ध प्रभारी का प्रभार दिया गया है? यदि हाँ तो 20 मार्च 2022 से प्रश्न दिनांक तक सौंपे गये प्रभार के प्रभारियों के नाम, मूल पदनाम, सौंपे गये प्रभारी के प्रभार का नाम/दायित्व कहां पर पदस्थ है, नगर निगम में कब नियुक्त हुये हैं अथवा प्रतिनियुक्ति पर कब से हे अथवा सेवानिवृत्त होने पर संविदा आधार पर नियुक्त, किस के विरूद्ध कब से और कौन सी जांच प्रचलन में है, सहित समस्त जानकारी का गौशवारा बनाकर नियुक्ति आदेश/निर्देश/नियम सहित बतायें। **(ख)** उपरोक्त के संबंध में क्या प्रधानमंत्री आवास बनाये जा रहे हैं? यदि हाँ तो कहाँ-कहाँ पर, कितने-कितने कब से, कितनी लागत के, केन्द्र एवं राज्यांश राशि, किस-किस फर्म/ठेकेदार को किस दर पर एग्रीमेन्ट पर, कार्य में विलंब के कारण एवं आर्थिक दण्ड, रेरा पंजीयन/प्रारंभ अवधि/कार्य समाप्ति अवधि, प्रोजेक्टवार अधिकारियों के नाम पदनाम, पदस्थी अवधि, प्रोजेक्टवार समस्त आवश्यक अनुमतियां, योजना के लक्ष्य में से कितना लक्ष्य प्राप्त, कितना किस कारण से शेष, कब तक लक्ष्य प्राप्त किया जायेगा निश्चित समय-सीमा सहित संपूर्ण जानकारी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र की जानकारी सहित निगमवार पृथक-पृथक बतायें? **(ग)** उपरोक्त के संबंध में पर्यावरण विभाग से अनुमतियां ली गई हैं? यदि हाँ तो प्रयोजनवार अनुमतियों की जानकारी, कार्यक्षेत्र में किस फर्म से क्या कार्य कराया गया है? सहित संपूर्ण जानकारी बतायें।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [***(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ग" अनुसार** है।

गरीबी रेखा के कूपन से काटे गये नाम

[नगरीय विकास एवं आवास]

12. परि.अता.प्र.सं. 134 (क्र. 1351) श्री कुणाल चौधरी : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या यह सही है कि शासन ने गरीबी रेखा के कूपन बनाना तथा सामान्य कूपन बनाना, कूपन में नये नाम बढ़ाना इत्यादि पर रोक लगा दी है? यदि हाँ तो कारण

बतावें। यदि नहीं, तो वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक प्रदेश में किस-किस जिले में गरीबी रेखा के कितने कूपन बने तथा सामान्य कूपन कितने बने तथा कूपन में कितने नाम बढ़े तथा घटे? **(ख)** क्या लीज रेंट लगभग 100-150 रू. जमा करने पर विलंब होने पर ब्याज के साथ दस हजार रू. पेनाल्टी लेने का संपत्ति अधिनियम 2016 में प्रावधान है? यह पेनाल्टी राशि कैसे कानूनन उचित है? किस-किस नगरीय निकाय में लीज रेंट जमा करने पर विलंब पर रू. 10000/- पेनाल्टी ली जा रही है? **(ग)** अमृत परियोजना तथा अमृत-2 परियोजना हेतु किस-किस नगरीय निकाय को कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य के लिये दी गई? निकाय की राशि किस प्रकार तय की गई? **(घ)** क्या नगरीय क्षेत्र में एक भूमि विकसित प्लाट के दो टुकडों में विक्रय कर देने पर नगरीय निकाय में नामांतरण नहीं किया जाता है? क्या यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर किया जा रहा है? यदि हाँ तो शासन लाखों मध्यम वर्गीय परिवारों की इस समस्या का समाधान क्यों नहीं करता?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [***(क)*** *जी हाँ। मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक 257 भोपाल, दिनांक 7 जून 2017 द्वारा लोक सेवाओं के प्रदान की जानकारी अधिनियम 2010 में संशोधन कर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सेवायें क्रमांक 9.1 से 9.4 में बी.पी.एल./ए.पी.एल. राशन कार्ड जारी होने की सुविधाओं को हटाकर नवीन पात्रता पर्ची जारी होना, नाम सुधार, नाम जोड़ना, नाम काटना, पता परिवर्तन एवं स्थानांतर (मध्यप्रदेश के अंदर) की सुविधाओं को जोड़ा गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कंडिका 4 (1) के अनुसार भौतिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में राशन कार्ड जारी करने का प्रावधान है। हितग्राहियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ ऑनलाइन जारी पात्रता पर्ची (ई-राशन कार्ड) के द्वारा प्रदाय किया जा रहा हैं। अतः मैन्युअली राशन कार्ड जारी करना अप्रासंगिक हो गया है। जिस कारण से दिनांक 15.01.2021 को समस्त कलेक्टर्स को राशन कार्ड/डुप्लीकेट राशन कार्ड जारी नहीं करने के लिये निर्देश दिये गये थे। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।* ***(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** ***(ग)*** *अमृत मिशन अंतर्गत राज्य वार्षिक कार्ययोजना (SAAP) में स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु परियोजनाओं की प्रगति एवं निकायों की मांग के आधार पर राशि/लिमिट जारी की गई है। अमृत-2.0 योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों में नियुक्त डी.पी.आर. कंसल्टेंट को भुगतान हेतु लिमिट, उपलब्ध कराई गई है।* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार*** *है।* ***(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (ख)** जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ) जी नहीं।**

<u>दिनाँक 17 सितम्बर, 2022 [दिनाँक 29 जुलाई, 2022]</u>

शिकायत पत्रों का परीक्षण

[जनजातीय कार्य]

13. परि.अता.प्र.सं. 13 (क्र. 378) श्री संजय उइके : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्न क्रमांक 1342 दिनांक 24/12/2021 के उत्तर में शिकायत पत्रों में उल्लेखित बिन्दुओं का

परीक्षण किया जाकर परीक्षण में निम्न तथ्य प्रकाश में आने पर जांच हेतु समिति गठित की जावेगी दिया गया था? **(ख)** यदि हाँ, तो प्रश्नकर्ता के शिकायत पत्रों का परीक्षण किस अधिकारी द्वारा किया जा रहा है? उस अधिकारी का नाम एवं पदनाम बतावें? परीक्षण में क्या तथ्य मिले उसकी जानकारी देवें? परीक्षण हेतु जारी आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। **(ग)** विभाग द्वारा शिकायत पत्रों की सीधे जांच न कराकर शिकायत पत्रों के तथ्यों की जांच कराने का निर्णय किन कारणों से लिया गया है? क्या यह सही है कि शिकायत पत्रों के बिन्दुओं की सीधे जांच न कराकर अनियमितता करने वालों को बचाया जा रहा है?

जनजातीय कार्य मंत्री : [***(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।***] **(क)** जी हाँ। **(ख)** श्री हरजिंदर सिंह, प्रबंध संचालक, मैपसेट। जाँच में किसी भी संस्था को अनुबंध से विपरीत भुगतान नहीं किया गया है। **(ग)** तथ्यों के आधार पर, जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

खरीफ फसलों के लिए खाद्य मांग एवं आपूर्ति

[सहकारिता]

14. अता.प्र.सं.29 (क्र. 566) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** गुना, अशोकनगर, राजगढ़, विदिशा, सीहोर एवं रायसेन जिले में खरीफ की बुआई प्रारंभ होने के उपरांत खाद वितरण सोसायटियों में प्रश्न दिनांक तक कितनी मांग प्राप्त हुई है? जिलेवार पृथक-पृथक बतायें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में मांग के अनुरूप सोसायटियों में कितना खाद कब-कब आया? मांग एवं आपूर्ति में कितना अंतर है? इस अंतर को पूर्ण करने के लिए विभाग ने क्या लक्ष्य निर्धारित किये हैं? लक्ष्य पूर्ति की निश्चित समय-सीमा बतायें। **(ग)** मूंग तुलाई हेतु सोसायटियों में रजिस्ट्रेशन नहीं होने के क्या कारण हैं? इस संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? उन पर विभाग ने क्या संज्ञान लिया है? विलंब के लिए जिम्मेदारी तय की गई है? यदि हाँ, तो कब तक मूंग रजिस्ट्रेशन कार्य प्रारंभ हो जायेगा? **(घ)** क्या डी.ए.पी. 1 हेक्टे. पर 3 बोरी एवं यूरिया 1 हेक्टे. 5 बोरी दी जा रही है? यह नियम कब और किसने बनाये हैं? नियमों की प्रति सहित संपूर्ण जानकारी दें। अधिक खाद उपलब्ध कराने हेतु जनप्रतिनिधियों से पत्र प्राप्त हुए हैं? यदि हाँ, तो उन पर कब और क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

सहकारिता मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।***] **(क)** प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में कृषक सदस्यों से मांग प्राप्त किये जाने की कोई प्रक्रिया नहीं है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** उत्तरांश (क) के अनुक्रम में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन हेतु पंजीयन का कार्य दिनांक 18.07.2022 से प्रारंभ किया गया, पंजीयन के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त न होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 में उर्वरक क्रय हेतु भूमि सीमा निर्धारित न होने से संचालक कृषि द्वारा उर्वरक क्रय किये जाने के लिये भूमि सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। समिति के सदस्यों को उनकी पात्रता, मांग एवं उपलब्धता के आधार पर उर्वरक प्रदाय किया जाता है। बैंकों से प्राप्त जानकारी अनुसार जन प्रतिनिधियों से कोई पत्र प्राप्त नहीं है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

न्यायालयीन प्रक्रिया को सुगम बनाया जाना

[विधि एवं विधायी कार्य]

15. अता.प्र.सं.40 (क्र. 842) कुँवर रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** राजस्व के एवं अन्य आपराधिक प्रकरण का निराकरण 10-15 वर्षों तक न्यायालय में विचाराधीन रहता है। इस लम्बी न्यायालयीन प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु न्यायालय में स्टाफ की पूर्ति के संबंध में क्या शासन द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है? **(ख)** शासन द्वारा कोर्ट की प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की गई है, जिससे न्यायालयीन प्रक्रिया सुगम व सरल हो सके। **(ग)** क्या न्यायालय में प्रचलित राजस्व के प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु अधिवक्ता वर्ग को एक निश्चित टारगेट दिया जाना प्रस्तावित किया गया है? **(घ)** यदि प्रश्नांश (ग) का उत्तर यदि हाँ, तो क्या समयावधि में टारगेट पूरा करने वाले अधिवक्ता वर्ग को प्रोत्साहन स्वरूप उन्हें पुरस्कृत करने की कोई प्रक्रिया विभागांतर्गत प्रचलित है। यदि हाँ, तो क्या यदि नहीं, तो क्यों?

गृह मंत्री : [***(क)*** *शासन के समक्ष अधीनस्थ न्यायिक जिला स्थापनाओं हेतु रिजर्व पूल के अंतर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कुल 3288 एवं डाटा एंट्री आपरेटर्स के 690 पदों के सृजन हेतु मामला लंबित है।* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार।*** *साथ ही, जिला न्यायालयों में अंग्रेजी स्टेनोग्राफर्स एवं हिन्दी स्टेनोग्राफर्स के 1127 अतिरिक्त पदों को सृजित किये जाने हेतु मामला शासन के समक्ष प्रेषित किया गया है।* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार। (ख) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (ख)** से **(घ)** जी नहीं।

स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी

[जनजातीय कार्य]

16. ता.प्र.सं. 15 (क्र. 1150) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. में जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में वर्ग एक, वर्ग दो, वर्ग तीन एवं वर्ग चार के कितने स्थाई एवं अस्थाई पद स्वीकृत हैं एवं कब से स्वीकृत हैं? **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत पदों में कितने पद भरे हैं, कितने रिक्त हैं, कब से रिक्त हैं एवं कब तक भरे जायेंगे? **(ग)** रिक्त पदों की वजह से जो कार्य प्रभावित हो रहे हैं, उनका संचालन कैसे किया जा रहा है?

जनजातीय कार्य मंत्री : [***(क)*** *जनजातीय कार्य विभाग के वर्ग 'एक' एवं वर्ग 'दो' के पदों का विवरण* ***संलग्न परिशिष्ट अनुसार*** *है। वर्ग 'तीन' तथा वर्ग 'चार' के पदों की* ***जानकारी संकलित की जा रही है। (ख)*** *भरे एवं रिक्त पदों का विवरण* ***संलग्न परिशिष्ट अनुसार*** *है। वर्ग 'तीन' एवं वर्ग 'चार' के पदों की* ***जानकारी संकलित की जा रही है। (ग)*** *उपलब्ध अधिकारियों/कर्मचारियों का यथासंभव बेहतर उपयोग किया जाकर कार्य संपादित कराया जा रहा है।* **] (क)** वर्ग एक के 55 स्थाई तथा 177 अस्थाई पद,वर्ग दो के 447 स्थाई तथा 11332 अस्थाई पद, वर्ग तीन के 1456 स्थाई तथा 97488 अस्थाई पद, वर्ग चार के 3070 स्थाई तथा 6393 अस्थाई पद स्वीकृत है। पद योजनाओं/संस्थाओं की स्वीकृति के साथ ही स्वीकृत है। **(ख)** वर्ग एक के 55 भरे तथा 177 रिक्त पद, वर्ग दो के 4360

पद भरे तथा 4719 रिक्त, वर्ग तीन के 75399 पद भरे तथा 23545 रिक्त, वर्ग चार के 7031 पद भरे तथा 2432 रिक्त है। शासकीय सेवको के आकस्मिक निधन होने एवं समय-समय पर सेवानिवृत्ति होने से पद रिक्त है तथा पदोन्नति के पद माननीय उच्चतम न्यायालय से स्थगन होने के कारण वर्ष 2016 से रिक्त है। पदोन्नति पर माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन होने से पदोन्नति के पद भरे जाने की समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। सीधी भर्ती के पदों को भरे जाने की प्रक्रिया मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग/पी.ई.बी. के माध्यम से एवं अनुकंपा नियुक्ति के माध्यम से निरंतर है।

तारांकित प्रश्न क्र. 1674 दिनांक 14 मार्च 2022 के संबंध में

[सहकारिता]

17. परि.अता.प्र.सं. 39 (क्र. 1281) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विषयांकित प्रश्न के प्रश्नांश **(ग)** में माननीय मंत्री सहकारिता म.प्र. शासन द्वारा आयुक्त सहकारिता के कर्मचारी सेवा नियम अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में कर्मचारियों की नियुक्ति व उनका वेतन निर्धारण करने का दायित्व संबंधित संस्था को बताया गया हैं यदि विभाग के नियमों के पालन का दायित्व संबंधित संस्थाओं का ही हैं तो विभाग की ओर से प्रत्येक जिलों में उप-पंजीयक सहकारिता का क्या दायित्व हैं? विभाग के नियमों का कड़ाई से पालन करवाना मुख्यत: उप-पंजीयक सहकारिता का हैं अत: संस्था द्वारा नियम का पालन न करवाने के लिए शासन द्वारा संबंधित उप-पंजीयकों पर क्या कार्यवाही की गई हैं? यदि नहीं, की गई हैं तो कब तक की जाएगी? **(ख)** प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा नियम विरूद्ध नियुक्तियों तथा वेतन निर्धारण से जो ऋण असंतुलन की स्थिति बनी हैं उसकी प्रति-पूर्ति शासन कैसे करेगा? **(ग)** भविष्य में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों से संस्थाओं को प्राप्त ऋण पूरा-पूरा वापस किया जाए यह सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने क्या कदम उठाए हैं? **(घ)** प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को अच्छा वेतन मिल सके इसके लिए शासन क्या योजना बना रहा हैं?

सहकारिता मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** जी नहीं। विषयांकित प्रश्न के प्रश्नांश (ग) के उत्तर में नियम अनुसार कर्मियों के वेतन भुगतान का दायित्व संबंधित संस्था का बताया गया है। सेवानियम अनुसार पालन किया जाना संस्था का दायित्व है। पालन न होने के संबंध में सहकारी अधिनियम की धारा 55 (2) में प्रकरण लगाया जाता है। उसका निराकरण करने का दायित्व जिला कार्यालय प्रमुख का है। इस प्रकार का कोई प्रकरण प्राप्त होने पर नियमानुसार सुनवाई कर निराकरण किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा नियम विरूद्ध नियुक्तियों तथा वेतन निर्धारण से ही ऋण असंतुलन की स्थिति नहीं बनी हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** वितरित ऋण की अधिकतम वसूली किये जाने के प्रयास बैंक एवं संस्था स्तर पर किये जा रहे हैं। **(घ)** कर्मचारियों के वेतन का भुगतान बैंक खातों के माध्यम से किये जाने एवं सेवा नियम के प्रावधानों से कम वेतन नहीं दिये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। पैक्स कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन भुगतान किये जाने हेतु पृथक वेतन खाता संचालित किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

गृह निर्माण समिति द्वारा प्रदाय प्रकोष्ठ की जानकारी

[सहकारिता]

18. अता.प्र.सं.68 (क्र. 1349) श्री सुखदेव पांसे : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता के दिनांक 14.03.2022 के तारांकित प्रश्न क्र. 2372 के उत्तरांश (ख) में विभाग द्वारा बताया गया है कि संबंधित गृह निर्माण समिति के 40 में से 19 सदस्यों को प्रकोष्ठ प्रदाय किये जा चुके हैं? यदि हाँ, तो जिन सदस्यों को प्रकोष्ठ प्राप्त हो चुके हैं उनका तथा जिन्हें प्रकोष्ठ प्राप्त नहीं हुए हैं उनके नाम, पते आवंटित प्रकोष्ठ क्रमांक सहित सूची प्रदाय करें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित शेष सदस्यों को अब तक प्रकोष्ठ प्रदाय नहीं किये जाने का क्या कारण है? संपूर्ण दस्तावेज सहित बतावें। उक्त सदस्यों को प्रकोष्ठ प्रदाय कराये जाने हेतु विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? दस्तावेज सहित जानकारी दें। जिन सदस्यों को अब तक प्रकोष्ठ नहीं प्राप्त हुए हैं? उन्हें कब तक प्रकोष्ठ आवंटित कर दिये जावेंगे? **(ग)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जिन सदस्यों को प्रकोष्ठ आवंटित नहीं हुए हैं उनके प्रकोष्ठों की भौतिक स्थिति क्या है? क्या उन पर किसी और का आधिपत्य है अथवा आवंटित किये गये हैं? यदि हाँ, तो उक्त संबंध में आधिपत्यकर्ता/आवंटिती के नाम, पते सहित सूची प्रदाय करें तथा उक्त आधिपत्य को हटाने/आवंटन निरस्त करने हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की है? दस्तावेज सहित जानकारी देवें।

सहकारिता मंत्री : [***(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 एवं 02 अनुसार है।** **(ख)** तत्कालीन दोषी संचालक मण्डल के विरूद्व म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 53 (1) क्रमांक/विधि/2012/3606 दिनांक 10.10.2012 को आदेश पारित कर उपायुक्त सहकारिता जिला भोपाल के द्वारा संस्था को अधिक्रमित कर श्री व्ही.के. गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया, आदेश की **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 अनुसार है।** प्रशासक को संस्था के कोई अभिलेख प्रभार में प्राप्त न होने के कारण उपायुक्त सहकारिता जिला भोपाल के द्वारा आदेश क्रमांक/विधि/2012/4016 दिनांक 20.11.2012 के द्वारा श्री आर.के. खत्री, सहकारी निरीक्षक को जप्ती अधिकारी नियुक्त किया गया, आदेश की **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-04 अनुसार है।** जप्ती अधिकारी को संस्था का रिकार्ड प्राप्त न होने पर न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी टी.टी. नगर भोपाल के द्वारा क्रमांक 47/अ.वी.आ.स.स./दिनांक 18.01.2013 को संस्था के पूर्व अध्यक्ष से संस्था के अभिलेख कब्जे में लेने हेतु संदिग्ध निक्षेप स्थान की तलाशी के लिये वारंट जारी किया गया था, आदेश की **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-05 अनुसार है**, किन्तु इसके बावजूद संस्था के कोई अभिलेख प्रशासक को प्राप्त नहीं हुये। संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाए भोपाल संभाग भोपाल के आदेश क्र/पंजी./2015/1362 दिनांक 19.11.2015 द्वारा म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 49 (7) (क-ख) के अन्तर्गत श्री राजीव जैन, सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया, आदेश की **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-06 अनुसार है।** प्रशासक द्वारा संस्था के निवर्तमान अध्यक्ष श्री अजय डेविड को अभिलेख प्रभार में देने हेतु पत्र प्रेषित किया गया जो दिये गये पते पर न मिलने की टिप्पणी के साथ वापस आ गया। अभिलेख प्राप्त न होने के कारण प्रशासक द्वारा

दिनांक 12.05.2017 को म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 76 (2) के अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति की कार्यवाही प्रस्तावित की गई, आदेश की **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-07 अनुसार है**। सही पता ज्ञात न हो पाने के कारण कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो सकी। उपायुक्त सहकारिता जिला भोपाल द्वारा प्रशासक को दोषी पदाधिकारियों के विरूद्व एफ.आई.आर. दर्ज कराने हेतु निर्देशित किया एवं गैर सदस्यों को पंजीकृत कराये गये प्रकोष्ठों के दोहरा विक्रय पत्रों के निष्पादन को शून्य कराने बाबत निर्देशित किया गया। अभिलेखों के अभाव में जिन सदस्यों को प्रकोष्ठ प्राप्त नहीं हुए है, उन्हें कब तक प्रकोष्ठ आवंटित कर दिये जावेंगे, की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ग)** प्रशासक द्वारा अभिलेख प्राप्त न होने के कारण मौके पर विनायक परिसर में प्रकोष्ठों का भौतिक सत्यापन किया गया। प्रशासक द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन अनुसार 44 फ्लेट निर्मित एवं 41 रहवासी निवासरत पाये गये तथा 3 फ्लेट पर ताला लगा पाया गया, स्थल परीक्षण **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-08 अनुसार है**। चूंकि संस्था का मूल अभिलेख अप्राप्त है, अतः जिन सदस्यों को प्रकोष्ठ आवंटित नहीं हुये है, उनके संबंध में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर कोई निर्णय लिया जाना संभव नहीं है।

डिफॉल्टर साख सहकारी समितियां

[सहकारिता]

19. परि.अता.प्र.सं. 46 (क्र. 1363) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** ग्वालियर चम्बल सम्भाग में कितनी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियाँ डिफॉल्टर है जून 2022 की स्थिति में जिलावार समितियों की संख्या दी जावे। **(ख)** उक्त तिथि पर कितनी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के कितने प्रबन्धकों एवं कितने कर्मचारियों पर कितनी राशि शेष हैं? जो लम्बे समय से बकाया निकल रही है उनके खिलाफ अभी तक क्या कार्यवाही की गई है समितियों की संख्या दोषी कर्मचारियों की संख्या एवं बकाया राशि की जानकारी दी जावे? **(ग)** क्या यह सही है कि समितियों के डिफॉल्टर होने से उन पर खाद नहीं दिया गया है। उक्त सम्भागों में कितनी समितियों पर अप्रैल मई 2022 तक यूरिया, डी.ए.पी नहीं पहुँचाया गया है विलम्ब के क्या कारण रहे हैं तथ्यों सहित पूर्ण जानकारी दी जावे। **(घ)** उक्त सम्भागों को केन्द्र से कितनी मात्रा में यूरिया, डी.ए.पी उपलब्ध कब कराया गया है तथा प्रदेश शासन ने जिलों में कब उठाव कराया गया, पूर्ण जानकारी जून 2022 की स्थिति के अनुसार दी जावे।

सहकारिता मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** 572 साख सहकारी समितियाँ डिफाल्टर है, जून 2022 की स्थिति में जिलेवार समितियों की संख्या की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है**। **(ख)** उक्त तिथि पर 286 प्राथमिक सहकारी समितियों के 136 प्रबंधकों एवं 214 कर्मचारियों इस प्रकार कुल 350 प्रबंधकों एवं कर्मचारियों पर राशि रूपये 4297.56 लाख शेष है। बकाया राशि के खिलाफ की गई कार्यवाही, समितियों की संख्या, दोषी कर्मचारियों की संख्या एवं बकाया राशि की जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है**। **(ग)** जी नहीं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है**। **(घ)** 30 जून 2022 तक ग्वालियर संभाग में यूरिया 27,891 मे.टन व डीएपी एवं कॉम्पलेक्स 17,854 मे.टन तथा चम्बल संभाग में यूरिया 20,349 मे.टन व

डीएपी एवं काम्पलेक्स 8,216 मे.टन सहकारिता क्षेत्र में उपलब्ध कराया जा चुका है। जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है**।

खाद की गुणवत्ता की जांच

[सहकारिता]

20. परि.अता.प्र.सं. 52 (क्र. 1389) श्री प्रवीण पाठक : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में खाद भण्डारण तथा भण्डारण उपरांत वितरण/उठाव तथा गुणवत्ता की जांच के क्या नियम हैं? कितनी प्राथमिक साख समितियां भण्डारण हेतु अधिकृत हैं? इन समितियों में 01 जनवरी 2021 से उत्तर दिनांक तक किस-किस कंपनी की कौन-कौन सी खाद की कितनी मात्रा भण्डारित की गई? जिलेवार एवं कंपनीवार जानकारी दें। **(ख)** क्या भण्डारित खाद के वितरण/उठाव के पूर्व गुणवत्ता की जांच हुई? यदि हाँ तो किस कंपनी के किस खाद की? जांच में कितने नमूने किस कंपनी के अमानक पाये गये? अमानक पाये जाने पर क्या कार्यवाही की गई? कितने दोषियों/कंपनियों पर एफ.आई.आर. दर्ज हुईं? कंपनीवार एवं जिलेवार जानकारी दें। **(ग)** खाद भण्डारण के संबंध में पंजीयक सहकारी संस्थाओं द्वारा कोई आदेश/निर्देश उक्तावधि में दिये गये? यदि हाँ तो इन निर्देशों का कितनी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा पालन किया? कितनी समितियों द्वारा नहीं किया? पालन नहीं करने पर उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? निर्देश की प्रति तथा जिलेवार जानकारी उपलब्ध करायें।

सहकारिता मंत्री : [***(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में खाद भंडारण उपरांत वितरण एवं उठाव के संबंध में पंजीयक सहकारी संस्थायें द्वारा दिये गये **निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है**। गुणवत्ता की जांच कृषि विभाग एवं विपणन संघ द्वारा क्रमश: उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं विपणन संघ के पत्र क्र. 7924 दिनांक 31.12.2015 के तहत कराये जाने का प्रावधान है। विपणन संघ द्वारा दिनांक 31.12.2015 को इस बाबत निर्देश जारी किये गये थे परन्तु भुगतान के पूर्व गुणवत्ता का परीक्षण नहीं कराया गया, दिनांक 31.12.2015 को जारी पत्र दिनांक 29.08.2022 को विपणन संघ द्वारा निरस्त कर दिया गया है। उर्वरक भंडारण हेतु 4511 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां अधिकृत है, भंडारित खाद की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख)** जी हाँ, कृषि विभाग द्वारा लिये गये नमूनों की जांच उसके परिणाम एवं की गई कार्रवाई की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार**, विपणन संघ द्वारा जारी पत्र दिनांक 31.12.2015 के परिप्रेक्ष्य में कोई जांच नहीं कराई गई। **(ग)** जी हाँ, निर्देशों का पालन भंडारण हेतु अधिकृत प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा किया गया है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता, निर्देश की प्रति उत्तरांश (क) अनुसार।

सहकारिता के चुनाव

[सहकारिता]

21. अता.प्र.सं.86 (क्र. 1403) श्री सुनील उईके : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश में पृथक सहकारिता चुनाव आयोग का गठन कर चुनाव संपादित कराने पर मंत्री

महोदय विचार करेंगे? जिससे सहकारिता के चुनाव निष्पक्ष हो सके। **(ख)** क्या मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजाति आरक्षित क्षेत्रों में संविधान प्रदत्त अधिकार के तहत सहकारिता के चुनाव में अध्यक्ष पद आरक्षित रखे गये थे? यदि हाँ, तो इसे सरकार ने संशोधन कर अनुसूचित जाति के हितो पर कुठाराघात किया है। क्या इसे पुन: विचार में लाकर संशोधन किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** मध्यप्रदेश में सहकारिता के चुनाव विगत कई वर्षों से लंबित है उसे कब तक कराये जायेंगे? **(घ)** सहकारिता के संविधान में संशोधन कर दो विषय विशेषज्ञों की समितियों में नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? क्या वर्तमान में समितियों के चुनाव में विषय विशेषज्ञों की भर्ती की गई है? यदि हाँ, तो विधानसभा जुन्नारदेव में हुये निर्वाचनों में विषय विशेषज्ञों के नामों की सूची प्रदाय करें।

सहकारिता मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** प्रदेश में वर्ष 2013 से सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन हेतु पृथक म.प्र. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी का गठन किया गया है, जिनके द्वारा सहकारी संस्थाओं के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन कराये जा रहे हैं। **(ख)** जी हाँ, 97वें संविधान संशोधन के परिपालन में वर्ष 2013 में म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 में उक्त प्रावधान संशोधित किया गया है। जी नहीं, 97वें संविधान संशोधन के परिपालन में सहकारी अधिनियम में संशोधन किए जाने से उसे पुनर्स्थापित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। **(ग)** प्रदेश में निरंतर सतत प्रक्रिया के तहत राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन की कार्यवाही गुणदोष के आधार पर की जा रही है। अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(घ)** जी हाँ, म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 48 (9) के अनुसार "बैकिंग प्रबंधन, वित्त के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले व्यक्ति या सहकारी सोसाइटी द्वारा हाथ में लिए जाने वाले उद्देश्यों तथा गतिविधियों से संबंधित किसी अन्य क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति संचालक मंडल के सदस्य के रूप में सहयोजित किए जायेंगे, परन्तु ऐसे सहयोजित सदस्य उपधारा (8) में विनिर्दिष्ट पंद्रह संचालकों के अतिरिक्त दो से अधिक नहीं होंगे"। वर्तमान में जिन समितियों द्वारा विषय विशेषज्ञों के सहयोजन हेतु आवेदन किया गया था, उन समितियों में विषय विशेषज्ञों के सहयोजन की कार्यवाही की गई है। विधानसभा जुन्नारदेव में हुए निर्वाचनों के लिए प्राप्त आवेदनों में विषय विशेषज्ञों का सहयोजन किये जाने का आवेदन नहीं किये जाने के कारण विषय विशेषज्ञों का सहयोजन नहीं किया गया है, अत: जानकारी निरंक है।

नियमों में उपविधियों के संसोधन की प्रक्रिया

[सहकारिता]

22. अता.प्र.सं.92 (क्र. 1415) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश सहकारी समिति नियमो में उपविधियों के संशोधन की प्रक्रिया के संबंध में क्या प्रावधान है? क्या यह सही है कि उपविधियों में प्रस्तावित संशोधन आमसभा की सूचना के साथ सदस्यों को भेजा जाना चाहिये? **(ख)** यदि हाँ, तो मध्यप्रदेश राज्य सहकारी की आमसभा की सूचना दिनांक 02/06/2022 के साथ उपविधियों में प्रस्तावित संशोधन की सूचना सदस्यों को एवं पंजीयक सहकारी संस्थाओं को भेजी गई थी? **(ग)** यदि नहीं, तो आवास संघ की आमसभा द्वारा उपविधियों के

संशोधन के संबंध में लिया गया निर्णय विधि विरूद्ध है इसे कब तक निरस्त किया जायेगा? **(घ)** मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम की धारा 49 (ई) में शीर्ष सहकारी संस्थाओ में प्रबंध संचालक की नियुक्ति के क्या प्रावधान है क्या आमसभा द्वारा लिया गया निर्णय इस प्रावधान के विरूद्ध है यदि हाँ, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी?

सहकारिता मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है/*** **] (क)** उपविधि संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है**। जी हाँ। **(ख)** मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ की वार्षिक साधारण सभा की सूचना दिनांक 02-06-2022 से सभी सदस्यों एवं आयुक्त सहकारिता को भेजी गई। **(ग)** आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश के द्वारा पत्र दिनांक 14-09-2022 से संशोधन प्रस्ताव को निरस्त किया जा चुका है। **(घ)** प्रावधानों की **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है**, आवास संघ की उपविधि क्रमांक 51 में प्रस्तावित संशोधन में संघ के प्रबंध संचालक के पद पर संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त अधिकारी को रखे जाने का प्रावधान किया गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49 ई (1) के अंतर्गत जिन संस्थाओं में राज्य शासन द्वारा अंशपूंजी में अभिदान किये गये है वहां पर राज्य शासन स्तर से प्रथम वर्ग के अधिकारी के पद श्रेणी से अनिम्न श्रेणी के प्रबंध संचालक की नियुक्ति का प्रावधान है। प्रस्तावित संशोंधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने से आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं के पत्र दिनांक 14.9.2022 से संशोधन प्रस्ताव निरस्त किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

नियम विरूद्ध फसल बीमा की जांच

[सहकारिता]

23. अता.प्र.सं.93 (क्र. 1416) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधानसभा सत्र अगस्त 2021 के प्रश्न क्र. 728 में दी गई जानकारी के परिप्रेक्ष्य में क्या डी.एच.एफ.एल. बीमा कंपनी की जिन बैंकों द्वारा उनसे पॉलिसी ली गयी, उनके मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को विदेश यात्रा पर भेजा गया था? यदि हाँ, तो उनके नाम, विदेश यात्रा पर जाने का दिनांक, विदेश यात्रा पर एवं उनसे संबंधित अन्य यात्रा पर हुए व्यय की जानकारी दें। क्या आचरण नियमों के अंतर्गत यह उचित है? **(ख)** क्या उक्त पॉलिसियों में कोई एजेन्ट/ब्रोकर था? मास्टर पॉलिसी की प्रति दी जावे। **(ग)** इस संबंध में कितनी जांच कब से लंबित है? जांच पूर्ण नहीं करने के लिए कौन उत्तरदायी है? उन पर क्या कार्यवाही की जावेगी?

सहकारिता मंत्री : [***(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है/*** **] (क)** प्रश्नांकित विधानसभा सत्र 2021 के प्रश्न क्रमांक 728 में दी गई जानकारी के परिप्रेक्ष्य में डी.एच.एफ.एल. बीमा कंपनी से 6 जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों यथा- बालाघाट, खरगोन, धार, झाबुआ, मंदसौर, राजगढ़ द्वारा पॉलिसी ली गई थी। उक्त बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के द्वारा रूरल को-ऑपरेटिव बैंक इनक्लूजन कॉन्क्लेव 2018 में सम्मिलित होने के लिये विदेश यात्रा हेतु अपेक्स बैंक से मांगी गई अनुमति के परिप्रेक्ष्य में दी गई अनुमति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है**।

विदेश यात्रा पर जाने की दिनांक एवं इनसे संबंधित अन्य यात्रा पर हुये व्यय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्टि के प्रपत्र-02 अनुसार है**। उक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के नियोक्ता अपेक्स बैंक से प्राप्त जानकारी अनुसार आचरण नियमों के पालन करने की शर्त पर ही विदेश यात्रा की अनुमति दी गयी थी। **(ख)** उक्त पॉलिसियों में कोई एजेन्ट/ब्रोकर नहीं था। मास्टर पॉलिसी की **छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 अनुसार है। (ग)** इस संबंध में एक जांच दिनांक 01-11-2019 से प्रक्रियाधीन है। समय-समय पर जाँच दल के सदस्यों के स्थानांतरण होने के कारण प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

जनजातीय अनुसंधान एवं विकास के कार्य

[जनजातीय कार्य]

24. परि.अता.प्र.सं. 66 (क्र. 1427) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विभाग का नाम जनजातीय कार्य ही क्यों है? इसका नाम जनजातीय कल्याण और विकास क्यों नहीं है? क्या विभाग का उद्देश्य मात्र आदिवासी योजना तथा उपयोजना की राशि खर्च करना है? उसका यह लक्ष्य नहीं है कि इससे जनजातीय का कल्याण और विकास हो? **(ख)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 2118 दिनांक 14.03.2022 के संदर्भ में बतावें कि क्या जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्था द्वारा सभी उन्हीं बिन्दुओं पर अनुसंधान तथा जनजाति का विकास किया जायेगा जो विभाग द्वारा संस्था को निर्देशित किये जावेंगे? यदि हाँ, तो बतावें कि पिछले 05 वर्षों में विभाग ने संस्था को किस-किस बिन्दु पर अनुसंधान तथा किस विषय पर विकास करने हेतु निर्देशित किया? निर्देश की प्रति देवें तथा किये गये कार्य के परिणाम से अवगत करावें। **(ग)** क्या विभाग जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्था को बाल मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, किशोर मृत्यु दर, गर्भवती महिला मृत्यु दर, जनजाति की औसत आयु, जनजाति में कुषोषण का प्रतिशत, जनजाति की प्रति परिवार वार्षिक आय, जनजाति के पास 2000 में कुल जमीन तथा जून 2022 में कुल जमीन, जनजाति कृषक की औसत जोत, जनजाति में 2000 में तथा जून 2022 में कृषक तथा खेतिहर मजदूर का प्रतिशत संबधी अनुसंधान करने हेतु निर्देशित करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

जनजातीय कार्य मंत्री : [***(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार विभाग का नाम जनजातीय कार्य विभाग किया गया है। प्रदेश में जनजातियों का समग्र विकास ही विभाग का उद्देश्य है। जी नहीं। जी नहीं। **(ख)** जी हाँ। विभाग द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में विभिन्न विकास योजनाओं के मूल्यांकन के लिए निर्देश दिये जाने पर संस्था द्वारा अध्ययन किया जाता है। संस्था द्वारा किये गये अध्ययन की **जानकारी पुस्तकालय रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है**। संस्था को प्राप्त निर्देशों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है**। **(ग)** आवश्यकता अनुसार अनुसंधान कार्य कराया जाता है।

सीधा प्रदाय से खाद प्राप्त करना

[सहकारिता]

25. अता.प्र.सं.108 (क्र. 1452) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** खरगोन जिले में विगत 3 वर्षों में किस-किस सोसाइटी में सीधा प्रदाय के माध्यम

से खाद प्राप्त हुआ एवं किस-किस संस्था में सीधा प्रदाय से खाद प्राप्त नहीं हुआ क्या कारण है? सीधा प्रदाय से खाद प्राप्त नहीं होने का क्या कारण है? समय पर डिमांड नहीं दी या समय पर डीडी नहीं दिया तथा सीधा प्रदाय में डिमांड भेजने के बाद भी प्राप्त नहीं हुआ? संपूर्ण जानकारी देवें एवं डिमांड भेजने के बाद भी यदि सीधा प्रदाय से खाद प्राप्त नहीं हुआ तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है शासन के पैसे के दुरुपयोग की कार्रवाई किस पर की जावेगी? **(ख)** खरगोन जिले में सीधा प्रभाव के लिए संस्थाओं द्वारा भेजे गए पत्रों की छायाप्रति देवें एवं किस दिनांक को रेक से वेयरहाउस/भंडारण/गोदाम में खाद खाली हुआ विगत 3 वर्षों की संपूर्ण जानकारी दें।

सहकारिता मंत्री : [***(क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** खरगोन जिले की समस्त 128 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को खाद का सीधा प्रदाय किया गया है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** सीधे प्रदाय के लिये संस्थाओं द्वारा पत्र भेजे जाने की प्रक्रिया नहीं है। रैक पाइंट से संस्थाओं के गोदामों में सीधे प्रदाय किये गये खाद की दिनांकवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** एवं रैक पाइंट से विपणन संघ के गोदामों में भंडारित खाद की दिनांकवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।**

बैंकों द्वारा शासकीय योजनाओं हेतु ऋण प्रदाय

[सहकारिता]

26. परि.अता.प्र.सं. 78 (क्र. 1457) श्री मुरली मोरवाल : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश की विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए गत तीन वर्षों में कौन-कौन सी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा कितना-कितना कर्ज दिया गया है? बैंकवार, योजनावार समितियों की संख्या, किसानों की संख्या तथा राशि की जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** उपरोक्त में कितना कर्ज वसूल किया गया है तथा कितना कालातीत हो गया है? बैंकवार, योजनावार समितियों की संख्या, किसानों की संख्या तथा राशि की जानकारी उपलब्ध करावें। **(ग)** बैंकों द्वारा कालातीत ऋणों की वसूली हेतु क्या उपाय किये गये हैं?

सहकारिता मंत्री : [***(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** विभिन्न सरकारी योजनाओं में 38 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा गत तीन वर्षों 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में दिये गये कर्ज की बैंकवार, योजनावार, समितियों की संख्या, किसानों की संख्या तथा राशि की समिति स्तर की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार** तथा बैंक स्तर की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 एवं 4 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है** तथा बैंक स्तर की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -3 एवं 4 अनुसार है। (ग)** प्रदेश की जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों एवं उनसे संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा कालातीत ऋणों की वसूली हेतु सहकारी अधिनियम अंतर्गत धारा 84, क्रिस योजना, कर्मचारियों द्वारा कालातीत सदस्यों से सतत् संपर्क करना आदि प्रयासों के द्वारा कालातीत ऋणों की वसूली की जाती है।

PACS कर्मचारियों की सुविधाएं

[सहकारिता]

27. अता.प्र.सं.123 (क्र. 1485) श्री सुनील सराफ : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश की लगभग 4300 सहकारी समितियों PACS में लगभग 550 कार्यरत कर्मचारियों को लागू सेवा नियम 28.09.2018 के अनुसार कर्मचारियों की नियमितीकरण प्रक्रिया क्या पूर्ण कर ली गई है? क्या सेवा नियम में दर्शित कर्मचारी भविष्य निधि एवं ग्रेज्युटी का PACS संस्थाओं में कर्मचारियों को लाभ दिया जा रहा है? **(ख)** PACS में कार्यरत कर्मचारी को शासन का कर्मचारी माना जा रहा है या श्रमिक माना जा रहा है? स्पष्ट करें। **(ग)** प्रमुख सचिव सहकारिता के आदेश क्रमांक 474/170/2022/15-/दिनांक 28.03.2022 में PACS कर्मचारियों की सेवाएं अत्यावश्यक प्रवृत्ति की मानी गई हैं तो फिर इन्हें पी.एफ., ग्रेज्युटी व अन्य शासकीय कर्मचारियों की तरह सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही हैं? **(घ)** इन्हें कब तक प्रश्नांश (क) व (ग) अनुसार सभी सुविधाएं प्रदान की जाएगी?

सहकारिता मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** जी नहीं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जी नहीं। **(ख)** पैक्स में कार्यरत कर्मचारी संस्था के कर्मचारी हैं। **(ग)** पैक्स कर्मचारियों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत खाद्यान्न वितरण एवं अन्य जनहित के कार्यों में संलग्न होने से इनकी सेवाएं अत्यावश्यक प्रवृत्ति की मानी गई हैं। ये राज्य शासन के कर्मचारी न होकर संस्था के कर्मचारी हैं। **(घ)** सेवा नियम अनुसार सुविधायें दिये जाने हेतु निर्देश हैं।

चिकित्सालयों को बिना ई.टी.पी. एवं एस.टी.पी. प्लांट के संचालन की अनुमति

[चिकित्सा शिक्षा]

28. परि.अता.प्र.सं. 90 (क्र. 1490) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश के कौन-कौन से निजी एवं शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के साथ संलग्न चिकित्सालयों में ई.टी.पी. तथा एस.टी.पी. प्लांट हैं तथा किन-किन में नहीं है? उनके नाम पता सहित बतायें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त चिकित्सालयों ने कब-कब म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से चिकित्सालय संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये? उनकी अनापत्ति प्रमाण-पत्र व दिनांक सहित अलग-अलग जानकारी दें। **(ग)** उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में किन-किन चिकित्सालयों में बिना ई.टी.पी. तथा एस.टी.पी. प्लांट के म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनापत्ति प्रदान की गई? अनापत्ति जारी करने वाले अधिकारी का नाम एवं पद सहित बतायें। **(घ)** क्या म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनापत्ति के बिना तथा ई.टी.पी. तथा एस.टी.पी. प्लांट के बिना किन-किन अधिकारियों द्वारा चिकित्सालय संचालन की अनुमति प्रदान की गई है? उन अधिकारियों के नाम एवं पद सहित विवरण दें। क्या उपरोक्त नियम विरूद्ध अनुमति दिये जाने वालों के विरूद्ध जांच कराकर कार्यवाही कराई जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री : [***(क)*** *शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालयों की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार।*** *निजी चिकित्सालयों से संबंधित* ***जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख)*** *शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार।*** *निजी चिकित्सा महाविद्यालयों से संबंधित* ***जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) जानकारी***

पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 एवं '2' अनुसार। (घ) *उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।*] **(क)** निजी चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालयों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है**। **(ख)** निजी चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालयों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है।**

आवास राहत गृह निर्माण सहकारी समिति की जांच एवं कार्यवाही

[सहकारिता]

29. अता.प्र.सं.126 (क्र. 1491) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या आवास राहत गृह निर्माण सहकारी समिति भोपाल की श्री सुधाकर पांडे द्वारा जांच की गई थी? यदि हाँ, तो जांच प्रतिवेदन की प्रति दें। **(ख)** आवास राहत गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वर्ष 2020 से 2022 में कितने भू-खण्डों की रजिस्ट्रियां किस आधार पर किस-किस को कब-कब की गई? **(ग)** क्या इनमें से कई सदस्यों द्वारा अपने भू-खण्ड अन्य व्यक्तियों को विक्रय कर दिये गये हैं? यदि हाँ, तो किस-किस को कब-कब तथा इसकी अनुमति आवास राहत गृह निर्माण द्वारा कब-कब दी गई? **(घ)** आवास गृह निर्माण सहकारी समिति को शासकीय भूमि किन सदस्यों को आवंटित करने के लिये उपलब्ध कराई गई थी? प्रश्नांकित तिथि तक समिति के कितने पात्रताधारी सदस्यों द्वारा अपने भू-खण्ड अन्य व्यक्तियों को विक्रय किये गये और उनकी अनुमति कब-कब समिति द्वारा दी गई? भू-खण्ड का क्रमांक, साईज एवं सदस्य का नाम, पता तथा अनुमति देने वाले अधिकारी के नाम बतायें।

सहकारिता मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।***] **(क)** जी हाँ। जांच प्रतिवेदन की **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है**। **(ख)** से **(घ)** उपायुक्त सहकारिता, जिला भोपाल द्वारा प्रश्नांश की जांच आदेशित की गई है। प्रश्नांश जांच निष्कर्षाधीन।

अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही

[सहकारिता]

30. अता.प्र.सं.130 (क्र. 1496) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** गौरव गृह निर्माण सहकारी संस्था के संबंध में वर्ष 2018 से उत्तर दिनांक तक कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई, उन शिकायतों की जांचोपरांत क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो उसके लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा की जावेगी तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? **(ख)** प्रश्नांश (क) के अनुसार जांच रिपोर्ट के आधार पर 10.01.2020 म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 76 (2) का कारण बताओ सूचना पत्र संस्था के किन-किन पदाधिकारियों को तामील करवाया गया है? यदि तामील नहीं हुआ तो उस पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** प्रश्नांश (ख) के अनुसार संस्था के जिन पदाधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया उसी आधार पर संचालक मण्डल को क्या बहाल किया है? यदि हाँ, तो क्या संचालक मण्डल दोषी नहीं था? यदि दोषी था तो धारा - 76 (2) के तहत कार्यवाही क्यों नहीं की गई? बहाल होने के पूर्व एवं बहाल करने के बाद आज दिनांक तक कितने भूखण्डों की रजिस्ट्रियां पात्र

पदाधिकारी द्वारा करवाई गई हैं? यदि पात्र नहीं था तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जावेगी तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? **(घ)** प्रश्नांश **(ग)** के अनुसार पूर्व त्रिस्तरीय जांच के अनुसार 16 भूखण्डों की रजिस्ट्री निरस्त करने का दायित्व श्री बबलू सातनकर, उपायुक्त, सहकारिता, जिला-भोपाल की पत्नि के नाम भूखण्ड होने से उसे निरस्त कराने हेतु किसे अधिकार दिया गया था? क्या उसके द्वारा निर्धारित समयावधि में रजिस्ट्री निरस्त करवाई गई है? यदि नहीं, तो क्या उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

सहकारिता मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** 83 शिकायतें, की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार**, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** 09 संस्था पदाधिकारियो को पृथक-पृथक स्पीड पोस्ट सूचना पत्र प्रेषित किये गये थे। 07 लिफाफे तामील नहीं होने पर समाचार पत्र के माध्यम से सूचना पत्र तामील कराया गया, **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है**। **(ग)** जी नहीं। संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थायें, भोपाल संभाग भोपाल के द्वारा म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 53 (12) के अंतर्गत उपायुक्त सहकारिता जिला भोपाल के द्वारा जारी आदेश दिनांक 28-01-2020 को आदेश दिनांक 01-10-2021 से निरस्त करने के कारण। धारा 76 (2) के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन। संचालक मंडल के बहाल होने के पूर्व एवं बाद में संस्था के प्रबंधक द्वारा भूखंडों की रजिस्ट्री कराई गई थी, जिसके विरुद्ध कार्यवाही हेतु कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं के द्वारा उपायुक्त सहकारिता जिला भोपाल को निर्देशित किया गया है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** श्री आर.एस. उपाध्याय, संस्था प्रशासक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला भोपाल। जी नहीं। अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

उर्वरकों की गुणवत्ता की जांच

[सहकारिता]

31. अता.प्र.सं.136 (क्र. 1509) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा दिनांक 31.12.2015 को गुणवत्ता की जांच के संबंध में क्या निर्देश उर्वरक समन्वय समिति द्वारा लिये गये? निर्णय के संदर्भ में जारी किये गये थे? जारी निर्देशों की प्रति दें। **(ख)** उक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में 2015 से अभी तक विपणन संघ के अधिकारियों द्वारा कितने रासायनिक उर्वरकों की गुणवत्ता का परीक्षण कब-कब कराया गया? प्रत्येक परीक्षणवार जानकारी दें। **(ग)** यदि परीक्षण नहीं किये गये तो इसके लिये कौन उत्तरदायी है? उनके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** क्या उर्वरकों की गुणवत्ता का परीक्षण न कराकर विपणन संघ के अधिकारियों द्वारा उर्वरक समन्वय समिति के निर्णयों का पालन नहीं किया जा रहा है? इसके लिये कौन उत्तरदायी है? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी?

सहकारिता मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल द्वारा दिनांक 31.12.2015 को गुणवत्ता की जांच के संबंध में पत्र जारी किया गया था। इस संबंध में उर्वरक समन्वय समिति द्वारा निर्देश नहीं लिए गए, दिनांक 31.12.2015 को

जारी निर्देश की **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है**। **(ख)** जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल द्वारा दिनांक 31.12.2015 को गुणवत्ता की जांच के संबंध में जारी पत्र उर्वरक नियंत्रण आदेश (FCO), 1985 के अनुरूप न होने से विपणन संघ के पत्र क्र./खाद प्रशासन/3498/2022 दिनांक 29.08.2022 से निरस्त कर दिया गया है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। विपणन संघ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत विपणन संघ के अधिकारियों द्वारा लिया गया नमूना वैधानिक रूप से मान्य नहीं होने से विपणन संघ के अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जी नहीं, विपणन संघ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उर्वरक समन्वय समिति द्वारा इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अत: विपणन संघ के अधिकारियों द्वारा उर्वरक समन्वय समिति के निर्णयों का पालन न करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

उपविधियों में संशोधन

[सहकारिता]

32. अता.प्र.सं.137 (क्र. 1512) श्री सुखदेव पांसे : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जन औषधि सहकारी संघ के पंजीयन हेतु नियुक्त संगठनकर्ता के पत्र में पंजीयन की क्या शर्त थी? पत्र की प्रति दें। **(ख)** क्या पंजीयन के पूर्व संगठनकर्ता द्वारा/पंजीयन अधिकारी द्वारा इस तथ्य की पुष्टि की गई कि प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति हो गई है? **(ग)** पंजीयन के समय कुल कितने सदस्य थे, कितने सदस्य शर्त की पूर्ति कर रहे थे और कितने नहीं? नाम सहित जानकारी दें। जो संस्थाएं शर्त पूरी कर रही थी, उनकी उपविधियों में कब संशोधन हुए? क्या संशोधन में अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया? **(घ)** अधिकांश सदस्य संस्थाओं द्वारा उक्त शर्त की पूर्ति न करने के बाद भी पंजीयन के लिये कौन उत्तरदायी है, उन पर क्या कार्यवाही कब तक की जायेगी? उपविधियों में त्रुटिपूर्ण संशोधन के लिये कौन उत्तरदायी है? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

सहकारिता मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** म.प्र. राज्य सहकारी जन औषधि विपणन संघ मर्यादित भोपाल के पंजीयन हेतु नियुक्त संगठनकर्ता को कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं म.प्र. द्वारा जारी पत्र क्र./नवाचार/2017/186 दिनांक 23.11.2017 की **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग)** पंजीयन के समय कुल 21 प्रर्वतक सदस्य थे, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है**। उपभोक्ता भंडारों की उपविधियों में संशोधन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।** उपविधियों के संशोधन में अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की जांच के निर्देश दिये गये है। **(घ)** पंजीयन के पूर्व **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** 19 प्रर्वतक सदस्य प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडारों द्वारा अपनी उपविधियों के उद्देश्यों में संशोधन करा लिया गया है, शेष जांच निष्कर्षाधीन।

दिसम्बर 2022

दिनांक 19 दिसम्बर, 2022

राज्य सड़क संपर्कता योजनांतर्गत सड़कों की स्वीकृति

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

1. परि.अता.प्र.सं. 2 (क्र. 22) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता द्वारा मांग करने पर आगामी अनुपूरक बजट में इंटरलिकिंग योजना/राज्य सड़क सम्पर्कता योजना अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख मार्गों की स्वीकृति प्रदान करने पर माननीय मंत्री महेन्द्रसिंह सिसौदिया के पत्र क्रमांक 2241/मंत्री/पं.ग्रा.वि./20 दिनांक 22.09.2022 को प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को मार्ग निर्माण हेतु कार्यवाही करने के निर्देश के संबंध में स्वीकृति हेतु क्या कार्यवाही की गई है? कितनी रोडों की स्वीकृति प्रदान की गई है? **(ख)** प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 18.11.2022 को पत्र द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, प्रमुख सचिव को अटलावदा व चंदोडिया के मध्य नदी पर स्टॉप डेम बनाने की मांग करने पर आगामी बजट में स्वीकृति हेतु क्या कार्यवाही की गई है? **(ग)** प्रश्नकर्ता द्वारा विधायक निधि से 01 जनवरी 2020 से 21.11.2022 तक किन-किन निर्माण कार्यों हेतु राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है? उनमें से कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं, कितने अपूर्ण हैं तथा कितने अप्रारंभ हैं? कारण सहित वर्षवार पृथक-पृथक विवरण दें। **(घ)** विधायक निधि से ग्राम नरसिंहगढ़ में माताजी मंदिर के पीछे पुलिया निर्माण लागत रू. 1819591 मनरेगा से दिनांक 20.02.2021 को स्वीकृति प्रदान की गई थी? यदि हाँ, तो अधिकारियों द्वारा जानबूझकर निर्माण में किये गये विलम्ब के लिये उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है? **(ड.)** विधायक निधि द्वारा 01 जनवरी 2014 से वर्ष 2018 तक कितनी राशि टैंकर, प्रतीक्षालय तथा अन्य विकास कार्यों हेतु स्वीकृत की गई? प्रत्येक का वर्षवार पृथक-पृथक विवरण दें। **(च)** 01 जनवरी 2018 से दिनांक 21.11.2022 तक विधानसभा क्षेत्र में शासन की विभिन्न योजनाओं जिसकी कार्य एजेंसी पंचायत/आरईएस है में कितने सामुदायिक भवन, मांगलिक भवन, आंगनवाड़ी भवन, किचन शेड, स्वच्छता परिसर, तालाब निर्माण, गौशाला निर्माण, प्रा.वि., माध्यमिक विद्यालय भवनों, खेत सड़क योजना की स्वीकृति प्रदान की गई? उनमें से कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं कितने अपूर्ण हैं तथा कितने अप्रारंभ हैं? स्थान के नाम, राशि सहित वर्षवार विवरण दें व उनमें से कितने कार्यों की राशि संबंधित एजेन्सी द्वारा निकाल ली गई परंतु निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया है? **(छ)** प्रश्नकर्ता द्वारा कलेक्टर/जिला पंचायत सीईओ उज्जैन को खेत सड़क योजना/सुदूर सड़क योजना में (1) पिपलोदा पंथ से लुहारी, (2) झिरमिरा से बरखेड़ा, (3) डाबरी से बनबना, (4) परमारखेड़ी से गिन्दवानिया, (5) सरवना से पचलासी, (6) भैंसोला से घिनोदा आदि के प्रस्ताव पूर्व में तथा दिनांक 18.11.2022 को पत्र क्रमांक 4650 के द्वारा स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये? यदि हाँ, तो क्या स्वीकृति प्रदान कर दी गई है?

पंचायत मंत्री : ***[(क)*** *मान. विधायक के पत्र में उल्लेखित सभी मार्ग दोहरी संपर्कता अंतर्गत है। इस हेतु राज्य संपर्कता योजना की निरंतरता नहीं है, अतः पत्र में वर्णित सड़कों का निर्माण किया जाना*

*संभव नहीं है। **(ख) जानकारी संकलित की जा रही है। (ग)** ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है।** शेष **जानकारी संकलित की जा रही है। (घ)** विधायक निधि से ग्राम नरसिंहगढ़ में माताजी मंदिर के पीछे पुलिया निर्माण लागत राशि रूपये 18,68,000/- तथा मनरेगा मद से राशि रूपये 4,22,000/- कुल राशि रूपये 22,90,000/- की स्वीकृति प्राप्त हुई। उक्त कार्य की स्वीकृति राशि 31 मार्च 2021 को प्राप्त हुई। माह अप्रैल 2021 में कार्य प्रारंभ करने के प्रयास किए गए परंतु स्वीकृति उपरांत कोरोना महामारी एवं मनरेगा कन्वर्जेंस होने के कारण मजदूरों की अनुपलब्धता होने से माह मई 2021 अंत तक लेआउट देने के पश्चात् भी कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया। तत्पश्चात् ग्रामीणजनों द्वारा पुलिया निर्माण स्थल तथा शमशान मार्ग एक ही होने से नींव खोदने से आवागमन अवरूद्ध होगा इस हेतु कार्य वर्षा ऋतु उपरांत किए जाने का निवेदन किया गया। वर्षा ऋतु पश्चात् माह फरवरी 2022 तक पानी भरा होने के कारण कार्य कराना संभव नहीं था। मार्च 22 से कार्य प्रारंभ कर पुलिया का 60 प्रतिशत कार्य वर्षा ऋतु के पूर्व तक किया गया। कार्य वर्तमान में प्रगतिरत है। **(ड.) जानकारी संकलित की जा रही है। (च)** प्रश्नांकित अवधि में विधानसभा क्षेत्रांतर्गत विभिन्न योजना में कार्य एजेन्सी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा कराए गए कार्यों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है** तथा पंचायत राज संचालनालय से सामुदायिक भवन, मांगलिक भवन, आंगनवाड़ी भवन निर्माण से संबंधित प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।** मनरेगा में 1 जनवरी 2018 से दिनांक 21.11.2022 तक विधानसभा क्षेत्र में तालाब, गौशाला, खेत सड़क स्वीकृति/पूर्ण/अपूर्ण/प्रगतिरत की वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है। (छ)** प्रश्नांकित खेत सड़क योजना/सूदूर सड़क योजना में (1) पिपलोदापंथ से लुहारी, दूरी लगभग 2 किमी (2) झिरमिरा से बरखेडा, दूरी लगभग 3 कि.मी. (3) डाबरी से बनबना दूरी लगभग 3 किमी (4) परमारखेडी से गिंदवानिया, दूरी लगभग 1.5 कि.मी. (5) सरवना से पचलासी दूरी लगभग 2 कि.मी. (6) भैंसोला से घिनोदा दूरी लगभग 4 कि.मी. आदि कार्यों की लागत व दूरी ज्यादा होने से मनरेगा योजना अंतर्गत कार्य किया जाना संभव नहीं है। जिले से प्राप्त जानकारी अनुसार इन सड़कों के प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृति हेतु वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किये जा चुके है।]* **(ख)** प्रश्न में उल्लेखित कार्य विभागीय योजना के दिशा निर्देश के अनुरूप न होने के कारण योजना में शामिल नहीं किया गया। **(ग)** ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ई अनुसार** है। **(ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-फ अनुसार है।**

प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

2. परि.अता.प्र.सं. 84 (क्र. 398) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शहडोल व रीवा जिले में प्रधानमंत्री आवास के कितने प्रकरण स्वीकृत कर राशि जारी की गई, का विवरण जनपदवार, जिलेवार बतावें। इनमें से हितग्राहियों के खाते में कितनी-कितनी राशि कब-कब भेजी गई? कितनी शेष है? आवासों की भौतिक स्थिति भी बतावें। **(ख)**

प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत आवासों में मजदूरी की राशि कितनी-कितनी, कब-कब, किन-किन मजदूरों के खाते में भेजी गई? उनके खाता नम्बर व नाम सहित की जानकारी देवें एवं कितने हितग्राहियों को मजदूरी की राशि देना शेष है, क्यों? कारण सहित बतावें। **(ग)** प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत प्रकरणों में कितने आवासों का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया तथा क्यों? कारण सहित विवरण जनपदवार, जिलों का देवें। इनको कब तक प्रारंभ करावेंगे? कितने हितग्राहियों को सूची से अलग कर लाभ से वंचित किया गया तथा क्यों? वंचित हितग्राहियों का सूची में सरल क्रमांक क्या है, की जानकारी जनपदवार, जिलेवार एवं पंचायतों की देवें। **(घ)** प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत आवासों में बालू कम दर पर उपलब्ध कराये जाने बाबत् क्या निर्देश शासन के हैं? क्या शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही की गई एवं कितने हितग्राहियों को कम दर पर बालू उपलब्ध कराई गई, का विवरण हितग्राहीवार, जनपदवार एवं जिलेवार देवें। **(ड.)** प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत आवासों के हितग्राहियों से प्रश्नांश (ख) अनुसार मजदूरी का समय से भुगतान नहीं किया जा रहा है, प्रश्नांश (ग) अनुसार पात्रों को अपात्र कर लाभ से वंचित किया गया एवं प्रश्नांश (घ) अनुसार बालू सस्ते दर पर उपलब्ध कराने बाबत् कार्यवाही नहीं की गई, मंहगे दाम पर बालू हितग्राहियों को क्रय करना पड़ रहा है। उपरोक्त अनियमितताओं के लिये कौन-कौन जिम्मेदार हैं, का विवरण पद व नाम सहित देवें। उन पर क्या कार्यवाही करेंगे? अगर नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री : ***[(क)*** *जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है।* ***(ख)*** *मनरेगा पोर्टल nrega.nic.in पर रिपोर्ट R 6.18 पर उपलब्ध है। खाते नम्बर की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं रहती है। वर्तमान में मनरेगा योजना में मजदूरी का भुगतान लंबित नहीं है।* ***(ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।*** *आवास निर्माण हितग्राही द्वारा किया जाता है, अत: समय बताया जाना संभव नहीं है। पात्र हितग्राहियों को सूची से अलग नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।* ***(घ)*** *बालू कम दर पर उपलब्ध कराने हेतु मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 30.08.2019 में प्रावधान किया गया है। प्रश्न के शेष भाग की* ***जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ड.)*** *हितग्राहियों को मजदूरी का भुगतान निर्धारित समय से किया जा रहा है। जिलों द्वारा किसी भी पात्र हितग्राही को लाभ से वंचित नहीं किया गया है। प्रश्न के शेष भाग की* ***जानकारी एकत्रित की जा रही है।]*** **(घ)** खनिज साधन विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार स्वीकृत आवासों में बालू कम दर पर उपलब्ध कराये जाने बावत अभी कोई योजना लागू नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ड.)** हितग्राहियों को मजदूरी का भुगतान निर्धारित समय से किया जा रहा है। जिलो द्वारा किसी भी पात्र हितग्राही को लाभ से वंचित नहीं किया गया है। खनिज साधन विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण तथा व्यापार) नियम, 2019 में प्रावधान न होने शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जे.पी. नोवस्ता सीमेन्ट फैक्ट्री की जांच

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

3. परि.अता.प्र.सं. 85 (क्र. 401) श्री पंचूलाल प्रजापति : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रीवा जिला अन्तर्गत जे.पी. नोवस्ता सीमेन्ट फैक्ट्री किस

वर्ष से संचालित है? पत्थर उत्खनन की लीज किन-किन ग्रामों में तथा औद्योगिक अथवा माईनिंग द्वारा लीज की अनुमति, पत्थर उत्खनन की गहराई की सीमा, जमीन की आराजी नं, रकवा, नक्शा व रायल्टी कब तक कितनी राशि जमा की गई तथा उद्योग में लाभान्श राशि का अंश भाग जो विधान सभावार सार्वजनिक कार्यों में खर्च की जाती है, वह राशि मनगवां विधानसभा क्षेत्र में कहाँ-कहाँ, कितनी-कितनी खर्च की गई? नहीं की गई तो क्यों? **(ख)** प्रश्नांश (क) के सन्दर्भ में क्या जे.पी. नोवस्ता सीमेन्ट फैक्ट्री द्वारा पत्थर की तोड़ाई ब्लास्टिंग व ड्रिलिंग द्वारा की जाती है? उसके गर्जने से मकानों में दरारें आ जाती हैं एवं उसके अधिक आवाज होने से कमजोर दिल वालों की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है? गड्ढों की कितने मीटर तक गहराई व खुदाई पश्चात् गड्ढों की भराई व वृक्षारोपण कार्य करने के लिये भी शासन से क्या अनुमति है? क्या गड्ढे खुदाई के बाद खुला छोड़ दिया जाता है, कोई सुरक्षा नहीं की जाती है? इस कारण से मवेशी व आमजन गिर कर मर जाते हैं। **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संबंध में क्या जे.पी. नोवस्ता सीमेन्ट फैक्ट्री द्वारा खुली (लूज) सीमेन्ट तैयार कर क्लींकर, उत्तर प्रदेश पैकिंग हेतु वाहन वॉकर एवं टेलर के माध्यम से भेजा जाता है तथा फैक्ट्री में कोयले से बिजली बनाते हैं, जिसके प्रदूषित धुएं से व ब्लास्टिंग के प्रदूषण से वहां के लोगों को गंभीर बीमारी हो जाती है तथा फैक्ट्री का प्रदूषित पानी करियारी नाला व नदी में छोड़ा जाता है, उसे मवेशी पीकर मर जाते हैं एवं फसलें भी नष्ट हो जाती हैं। **(घ)** फैक्ट्री संचालित वर्ष से आज तक कितने लोगों की मृत्यु हुई? कितने लोगों को सहायता रोजगार दिया गया? पीड़ित परिवार को क्या-क्या सुविधा प्रदान की गई? बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत करें। शासन की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है, इसलिये उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर प्रश्नकर्ता के समक्ष जांच कराई जावेगी, जिससे वस्तुस्थिति ज्ञात हो सके?

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री : *[(क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।]* **(क)** रीवा जिला अंतर्गत जे.पी. नौबस्ता सीमेंट फैक्ट्री वर्ष 1986 से संचालित है। खनिपट्टा संबंधी खनिज संसाधन विभाग से प्राप्त **जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित** है। उद्योग में लाभांश राशि को विधानसभावार कार्यों में खर्च किये जाने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** खनिज संसाधन विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार जे.पी. नौबस्ता सीमेंट फैक्ट्री द्वारा पत्थर उत्खनन में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त की जाकर, खान सुरक्षा निदेशालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कन्ट्रोल ब्लास्टिंग (डीप होल ड्रिल एण्ड नॉन इलेक्ट्रिकल डिटोनेटर) तकनीक का प्रयोग कर ब्लास्टिंग की जाती है। आस-पास के मकानों में उसके धमाकों से दरार पड़ने का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है और न ही जनहानि जैसी स्थिति निर्मित हुयी है। पत्थर उत्खनन का कार्य भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अनुमोदित खनन योजना के तहत् किया जाता है व उत्खनन के पश्चात उत्खनित क्षेत्र का उपयोग रेनवाटर हार्वेस्टिंग के लिये एवं समतलीकरण किया जाकर वृक्षारोपण के लिये किया जाता है। समय-समय पर भारतीय खान ब्यूरो व खान सुरक्षा निदेशालय द्वारा निरीक्षण किया जाता है। वर्तमान में लगभग 22 मीटर गहराई तक खनन कार्य किया गया है, खनन के पश्चात क्षेत्र को खुला छोड़े जाने एवं मवेशी व आमजन के गिरकर मरने संबंधी कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। **(ग)** खनिज संसाधन विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार वर्तमान में सीमेंट प्लांट बंद होने से सीमेंट बाहर नहीं भेजा जा रहा है। कंपनी द्वारा संचालित पावर प्लांट जो कि कोयले से

संचालित होता है, विगत तीन वर्षों से बंद है। जल व वायु के प्रदूषित होने संबंधी कोई जानकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संज्ञान में नहीं लायी गई है। प्रबंधन द्वारा जल के उपचार हेतु 1200 के.एल.डी. क्षमता का सीवेज उपचार संयंत्र लगाया गया है व उपचरित जल का उपयोग हार्टिकल्चर में किया जाता है। प्रश्नांश अनुसार प्रदूषित जल किसी नाले/नदी में नहीं छोड़ा जाता है। पशुओं को बीमारी एवं फसलों के नष्ट होने जैसी स्थिति प्रकाश में नहीं आई है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार रीवा जिले के जे.पी. नोवस्ता सीमेंट फैक्ट्री संबंधित क्षेत्र में प्रदूषित धुएं से व ब्लास्टिंग के प्रदूषण से आमजन को गंभीर बीमारी की शिकायत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। पर्यावरण विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार उद्योग द्वारा कोल आधारित केप्टिव पावर प्लांट का संचालन किया जाता है, जिसकी प्रक्रिया से उत्पन्न धुएं एवं अन्य प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ई.एस.पी. प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित किया गया है। प्रदूषण स्तर मानकों के अनुरूप पाया जाता है। उद्योग द्वारा दूषित जल करियारी नदी एवं नालों में प्रवाहित नहीं किया जाता है। **(घ)** खनिज संसाधन विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रश्नांश अनुसार फैक्ट्री संचालन से अब तक मृत्यु होने संबंधी कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>परिशिष्ट - "एक"</u>

अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री की जांच

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

4. परि.अता.प्र.सं. 86 (क्र. 402) श्री पंचूलाल प्रजापति : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रीवा संभाग अंतर्गत अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री कहॉ-कहॉ संचालित है? प्रत्येक का पंजीयन कब-कब, किस-किस सन में किन शर्तों के तहत उद्योग लगाने की अनुमति शासन द्वारा प्रदान की गई है? जिलेवार जानकारी प्रदान करें। पत्थर उत्खनन की लीज किन ग्रामों में कितने एरिया को औद्योगिक अथवा माइनिंग द्वारा लीज की अनुमति किस-किस आराजी नं. रकवा, नक्शा व रायल्टी कब-कब कितनी राशि शासन को जमा की गई है तथा कितने अवैध उत्खनन कितनी जमीनों पर होती है? **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में पत्थर उत्खनन कितने मीटर गहरा खुदाई की अनुमति तथा उत्खनन पश्चात गड्ढों की भरपाई व वृक्षारोपण का कार्य कहॉ-कहॉ कराया गया है? नहीं तो क्यों? उत्खनन पश्चात गड्ढों में बरसात में पानी भर जाता है जिसमें मवेशी गिर कर मर जाते हैं एवं करियारी नाले एवं नदी में प्रदूषित पानी छोड़े जाते हैं जिसका आदमी भी उपयोग कर बीमार पड़ जाते हैं, फसलें भी नष्ट हो जाती हैं, फैक्ट्री के द्वारा तेज ब्लास्टिंग से मकानों में दरारे आ जाती है एवं कमजोर दिल वालों का हार्ट-अटैक से मृत्यु हो जाती है? **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संबंध में क्या अल्ट्राटेक फैक्ट्री द्वारा खुली लूज़ सीमेंट तैयार कर क्लीकर, वलकरों एवं ट्रेलरों द्वारा उत्तर प्रदेश भेजकर पैकिंग कराई जाती है? फैक्ट्री में कोयले से बिजली बनाते हैं जिसके प्रदूषित धुएं से दमा, श्वास, टी.वी. कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होती है? फैक्ट्री में लगा प्रदूषण नियंत्रक यंत्र नाम मात्र का है। क्या फैक्ट्री की जांच उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर प्रश्नकर्ता के समक्ष कराई जावेगी? जिससे हो रहे भ्रष्टाचार का उजागर हो सके?

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री : ***[(क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।]*** **(क)** प्रश्नांश में उल्लेखित अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री को लगाने हेतु विभाग द्वारा कोई अनुमति जारी नहीं की गई है। पर्यावरण विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार रीवा संभाग के अंतर्गत अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री को मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निम्नानुसार जल/वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियमों के अंतर्गत उद्योग लगाने हेतु आवश्यक जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करने की शर्तों पर अनुमति प्रदान की गई है :- 1. मेसर्स सीधी सीमेंट वर्क्स (मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड) जिला सीधी को दिनांक 24/10/2017 एवं दिनांक 18/06/2019. 2. मेसर्स बेला सीमेंट वर्क्स (मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड), जिला रीवा को दिनांक 31/10/2017 एवं दिनांक 13/06/2019. 3. मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (यूनिट - मैहर सीमेंट वर्क्स), जिला सतना को दिनांक 22/07/2020 एवं दिनांक 07/01/2021. खनिज विभाग से प्राप्त स्वीकृत खनिपट्टों का वांछित विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** में दर्शित है। **(ख)** खनिज संसाधन विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार जिला रीवा स्थित कंपनी की बेला इकाई खदान क्षेत्र में खनन कार्य भारतीय खान ब्यूरो के द्वारा अनुमोदित खनन योजना के आधार पर किया जाता है तथा गड्ढों को खनिज के पूर्ण निष्कर्षण के पश्चात वापस भरा जाता है, जो अनुमोदित खनन योजना में प्रस्तावित होता है, खनन योजना में प्रस्तावित अनुसार वृक्षारोपण किया जाता है, यदि किसी विशेष क्षेत्र को अनुमोदित खनन योजना में जल भण्डार वर्षा जल संचयन के लिए में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है, तो इसे वापस नहीं भरा जायेगा, इसे जलाशय में परिवर्तित किया जायेगा। वर्तमान में खनन कार्य अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जा रहा है। अभी तक 61145 वृक्ष खदानों के भीतर लगाये गये हैं। कारखाना परिसर के भीतर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और न्यूट्रीलाईजेशन पिट लगाया गया है, कोई भी प्रदूषित पानी नहीं छोड़ा जाता है। खान में खनन कार्य करने के पूर्व खान सुरक्षा महानिदेशालय से डीप होल ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग की अनुमति प्राप्त है, ब्लास्टिंग में उपयोगित बारूद उच्च गुणवत्ता का रहता है, जिससे की ब्लास्ट द्वारा उत्पन्न होने वाला कंपन बहुत ही कम होता है, जिससे आस-पास के क्षेत्र में किसी भी निर्माण या संरचना को कोई नुकसान नहीं होता है। कंपनी द्वारा ब्लास्टिंग का अध्ययन भी कराया गया है, जिसमें दिये गये सुझावों एवं निर्देशों का पालन करते हुए ही प्रत्येक ब्लास्ट किया जाता है, जिससे आस-पास किसी भी प्रकार की क्षति होना संज्ञान में नहीं आया है। जिला सतना स्थित कंपनी की सरला नगर मैहर द्वारा खनन का कार्य भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अनुमोदित खनन योजना के तहत किया जाता है। खनिज का पूर्ण दोहन करने के बाद मिट्टी की भराई का कार्य अनुमोदित खनन योजना एवं खान बन्द करने की योजना के तहत किया जाता है एवं उसके ऊपर वृक्षारोपण अनुमोदित खनन योजना अनुसार किया जाता है। कंपनी द्वारा उत्खनन किये जा रहे गड्ढों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से चारो तरफ कटीली तार की फेंसिंग एवं ब्रिक्स बाउण्ड्री वाल एवं बायो फेंसिंग द्वारा सुरक्षित किया गया है, जिसके कारण मवेशियों एवं जन सामान्य का आना-जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहता है। कंपनी द्वारा खदान का पानी संग्रहित कर आस-पास के किसानों को आवश्यकतानुसार कृषि कार्य हेतु उपलब्ध कराया जाता है एवं कॉलोनी एवं प्लांट पेयजल हेतु उपयोग किया जाता है, जिसका हर 6 माह में अधिकृत एजेन्सी के माध्यम से जाँच कराया जाता है। प्रदूषित पानी नाले या नदी में नहीं छोड़ा जाता है। खान में खनन कार्य करने के पूर्व खान सुरक्षा महानिदेशालय से ब्लास्टिंग की

अनुमति प्राप्त की है। ब्लास्टिंग का कार्य निर्देशों का पालन करते हुए ही किया जाता है, जिससे आस-पास किसी भी प्रकार की क्षति होना तथा आस-पास के क्षेत्र में किसी भी निर्माण या संरचना को कोई नुकसान होना नहीं पाया गया। साथ ही कारखाना एवं माईन्स परिसर के अंतर्गत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है प्रदूषित पानी छोड़े जाने का प्रश्न ही नहीं है। जिला सीधी स्थित कंपनी की इकाई हेतु स्वीकृत खनिपट्टों में खदानवार 10 से 40 मीटर की गहराई में खनन कार्य भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार किया गया है। खनिज का पूर्ण दोहन करने के पश्चात मिट्टी भराई का कार्य किया जायेगा एवं उसके ऊपर सघन वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। अभी तक कुल 96444 वृक्षों का वृक्षारोपण खदानों की सीमा में किया गया है। मवेशीयों के गड्ढों में गिरने एवं नाले एवं नदी में प्रदूषित पानी छोड़े जाने का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। कंपनी द्वारा खान में खनन करने के पूर्व खान सुरक्षा निदेशालय से डीप होल ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग की अनुमति प्राप्त की गई है। तेज ब्लास्टिंग से मकानों में दरारे आने एवं कमजोर दिल वालों का हार्ट अटैक से मृत्यु होने जैसी घटना प्रकाश में नहीं आई है। पर्यावरण विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार करियारी नदी एवं नालों में प्रदूषित पानी नहीं छोड़ा गया है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार रीवा संभाग अंतर्गत करियारी नाले एवं नदी के प्रदूषित पानी एवं फैक्ट्री द्वारा तेज ब्लास्टिंग से आमजन को बीमारी होने की जानकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) खनिज संसाधन विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार जिला रीवा स्थित कंपनी के प्लांट से लूज़ सीमेंट मेगा प्रोजेक्ट के लिए चुनिंदा ग्राहकों को भेजा जाता है, जिसका सीधा उपयोग बडे प्रोजेक्ट में किया जाता है, जो कि क्लोज्ड वल्कर में भेजा जाता है एवं इस लूज़ सीमेंट की पुनः पैकिंग नहीं की जाती है। कंपनी द्वारा संचालित केप्टिव पावर प्लांट का संचालन एम.पी.ई.बी. एवं अन्य वैधानिक नियमों के अधीन करता है। कंपनी द्वारा वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए चिमनियों में बैग हाऊस, ई.एस.पी., वैगफिल्टर एवं जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया है। फैक्ट्री द्वारा नियमित रूप से पर्यावरणीय मॉनिटरिंग की जाती है। चिमनी एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानक सीमा के अंदर है। प्लांट के अंदर संपूर्ण सुविधायुक्त Occupational Health Centre स्थापित किया गया है, जिसमें कर्मचारियों और आस-पास के गाँव के लोगों के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होने से दमा, श्वास जैसी बीमारी प्रकाश में नहीं आई है। जिला सतना स्थित कंपनी की यूनिट से लूज़ सीमेंट पैकिंग हेतु उत्तरप्रदेश को नहीं भेजी जाती है। कंपनी में कोयले को ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। सीमेंट एवं बिजली उत्पादन के दौरान चिमनियों से धूल एवं धुएं के कणों के रोकथाम हेतु अत्याधुनिक उपकरण जैसे हाईब्रिड फिल्टर, आर.ए.बी.एच., ई.एस.पी. तथा बैग नगण्य होता है। ट्रांसफर पाइन्ट में बैग फिल्टर्स लगाये गये हैं, जिससे वायु प्रदूषण लगभग नगण्य होता है। आस-पास के लोगों को दमा, श्वास, टीबी, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी संबंधित जानकारी प्रकाश में नहीं आई है। जिला सीधी स्थित कंपनी की यूनिट से लूज़ सीमेंट तैयार कर क्लीकर, वलकरों एवं ट्रेलरों द्वारा उत्तर प्रदेश भेजकर पैकिंग कराई जाती है। कंपनी की बारों सीमेंट वर्क्स जिला प्रयागराज (उ.प्र.) की ग्राइडिंग यूनिट होने से क्लिंकर भेजा जाता है। फैक्ट्री में कोयले से बिजली बनाते हैं, जिसके प्रदूषित धुएं से दमा, श्वास, टीबी, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने जैसी स्थिति प्रकाश में नहीं आयी है। पर्यावरण विभाग से प्राप्त जानकारी

अनुसार उल्लेखनीय है कि अल्ट्राटेक सीमेंट बेला, सीधी एवं मैहर द्वारा कोल आधारित केप्टिव पावर प्लांट का संचालन किया जाता है, जिसकी प्रक्रिया से उत्पन्न प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु आवश्यक प्रदूषण उपकरण स्थापित किये गये हैं। प्रदूषण स्तर मानकों के अनुरूप पाया जाता है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार रीवा संभाग अंतर्गत संचालित फैक्ट्रियों के धुएं से दमा, श्वास, टी.बी. कैंसर जैसी बीमारियों होने की प्रमाणित जानकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में फैक्ट्री की जांच उच्च स्तरीय कमेटी से कराये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

ग्राम की सीमा एवं संसाधन

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

5. ता.प्र.सं. 2 (क्र. 410) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** राजस्व ग्राम की सीमा याने पटवारी मानचित्र, खसरा पंजी में दर्ज भूमियों में से सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों, सामुदायिक, परम्परागत, रूढ़िक अधिकारों के लिए दर्ज संसाधनों पर संविधान की 11 वीं अनुसूची, पेसा कानून 1996 वन अधिकार कानून 2006 की किस-किस धारा में क्या-क्या प्रावधान दिए हैं? **(ख)** संसाधनों पर देश की सर्वोच्च अदालत ने सिविल अपील प्रकरण क्रमांक 19869/2010 के आदेश दिनांक 28 जनवरी, 2011 में पंचायती राज व्यवस्था को अधिकार, नियंत्रण एवं प्रबंधन सौंपे जाने बाबत् क्या-क्या निर्देश दिए हैं? **(ग)** पंचायती राज व्यवस्था को ग्राम से संबंधित राजस्व अभिलेख, पटवारी मानचित्र की प्रतियां दिए जाने बाबत् तथा संसाधनों का नियंत्रण, प्रबंधन, अधिकार सौंपे जाने बाबत् किस-किस दिनांक को पत्र, परिपत्र, आदेश, निर्देश जारी किया है? प्रति सहित बतावें। **(घ)** पंचायत विभाग ने किस नियम की किस-किस कंडिका में पंचायती राज व्यवस्था को संसाधनों पर अधिकार, नियंत्रण, प्रबंधन बाबत् क्या-क्या प्रावधान किया है?

पंचायत मंत्री : ***[(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार*** *है।* ***(ख) जानकारी संकलित की जा रही है।*** ***(ग)*** *तत्संबंधी प्रावधान मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्र. 589, दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को प्रकाशित म.प्र. पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 में कर दिया गया है।* ***(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार*** *है।]*
(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

लंबित भुगतान की जानकारी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

6. अता.प्र.सं.112 (क्र. 493) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नव-निर्वाचित सरपंचों को विकास कार्यों हेतु राशि कब जारी की जावेगी? **(ख)** मनरेगा का पूर्व सरपंचों (प्रधानों) का लंबित भुगतान कब तक कराया जावेगा? **(ग)** क्या संबल योजना के लंबित प्रकरणों का भुगतान समय-सीमा में कराया जावेगा।

पंचायत मंत्री : ***[(क)*** *संचालनालय के पत्र क्रमांक 12567 दिनांक 10.08.2022 के द्वारा राशि रूपये 588.80 करोड़ एवं पत्र क्रमांक 17572 दिनांक 05.12.2022 के द्वारा राशि रूपये 883.20 करोड़ जारी*

की जा चुकी है। ***संलग्न परिशिष्ट "अ" अनुसार*** *है, शेष राशि आवंटन की कार्यवाही प्रचलन में है।* ***(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट"ब" अनुसार*** *है।* ***(ग) जानकारी संकलित की जा रही है।]***

(ग) मुख्यमंत्री जनकल्याण संबंल योजनांतर्गत लंबित पात्र प्रकरणों का भुगतान द्वारा बजट उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।

रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाना

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

7. अता.प्र.सं.148 (क्र. 904) श्री आरिफ अक़ील : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के नाम पर वर्ष 2010 से 2018 तक विदेशों की सैर की थी? यदि हाँ, तो कब-कब और किन-किन के द्वारा इन दौरों के दौरान शासन की कितनी-कितनी राशि व्यय हुई और कहां-कहां के निवेशकों ने कितनी-कितनी राशि निवेश कर किस-किस कार्य के उद्योग स्थापित किए गए और कितने बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया? वर्षवार बतावें। **(ख)** वर्ष 2010 से प्रश्न दिनांक की स्थिति में किस-किस जिले में कितने-कितने रोजगार मेलों का आयोजन किया गया? उसमें कितने-कितने बेरोजगारों का पंजीयन हुआ और कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया? वर्षवार जिलेवार बतावें।

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री : ***[(क) एवं (ख) जानकारी संकलित की जा रही है।]***

(क) माननीय मुख्यमंत्री जी सहित अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के नाम पर वर्ष 2010 से 2018 तक विदेश यात्रायें नहीं की गई है। तथापि वर्ष 2010 से 2018 तक की अवधि में मान. मुख्यमंत्री जी सहित अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रदेश में उपलब्ध निवेश की अपार संभावनाओं एवं विभिन्न आकर्षक निवेश नीतियों से वैश्विक निवेशकों को अवगत कराने एवं मध्यप्रदेश को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करते हुये आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में प्रचारित करने हेतु विदेश यात्रायें की गई है। उक्त विदेश यात्राओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है,** जिसमें यात्राओं में हुये व्यय की जानकारी समाहित है। विदेशी निवेश मुख्यत: FDI एवं FII के माध्यम से होता है, जिसकी जानकारी राज्य शासन द्वारा संधारित नहीं की जाती है। **(ख)** तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।**

दिनांक 20 दिसम्बर, 2022

प्रश्नकर्ता के पत्रों पर कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

8. परि.अता.प्र.सं. 11 (क्र. 96) श्री कुँवरजी कोठार : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिनांक 01.04.2022 से प्रश्न दिनांक तक कितने पत्र किस-किस विभाग से संबंधित किस-किस दिनांक को दिये गये है? विभागवार, पत्रों की जानकारी

देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पत्रों को किस-किस विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु किस-किस दिनांक को माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा प्रेषित किये गये हैं? **(ग)** प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित पत्रों पर संबंधित विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी है? पत्रवार की गयी कार्यवाही से अवगत करावें एवं जिन पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी उसके कारणों की जानकारी बतावें।

मुख्यमंत्री : ***[(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।]*** **(क)** एवं **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** उत्तरांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** में अंकित विभागों को मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य के पत्र प्रेषित किये गये हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने भी पत्र क्रमांक एफ 6-42/2022/1/4, दिनांक 23/12/2022 के माध्यम से इन विभागों को लिखा है कि उनके विभाग से संबंधित पत्र पर कृत कार्यवाही से प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य को अवगत कराया जावे।

लोकायुक्त की पदस्थी

[सामान्य प्रशासन]

9. अता.प्र.सं.14 (क्र. 196) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में लोकायुक्त किन-किन स्थानों पर पदस्थ किये गये हैं तथा यहां किस रैंक के अधिकारी पदस्थ हैं? कृपया प्रत्येक लोकायुक्त में अधीनस्थ आने वाले जिले की जानकारी दें? **(ख)** क्या शासन भ्रष्टाचार में बढ़ते मामले पर लगाम लगाने की दृष्टि से जिला स्तर पर उप पुलिस अधीक्षक रैंक का अधिकारी पदस्थ करने पर विचार करेगी जिससे भ्रष्टाचार के मामलों पर तत्काल कार्यवाही की जा सके?

मुख्यमंत्री : ***[(क)*** *माननीय लोकायुक्त महोदय एवं माननीय उपलोकायुक्त महादेय मध्यप्रदेश भोपाल में पदस्थ है। मुख्यालय भोपाल में सचिव, महानिदेशक, अतिरिक्त महानिदेशक, उप सचिव, संयुक्त संचालक (वित्त), मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री पदस्थ है। संभागीय कार्यालयों में पुलिस अधीक्षक एवं उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी पदस्थ हैं। लोकायुक्त संगठन का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य है। लोकायुक्त संभागीय कार्यालय निम्नलिखित संभागों में स्थापित है:- भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, जबलपुर, रीवा एवं ग्वालियर।* ***(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।]*** **(ख)** विशेष पुलिस स्थापना में आवश्यकता अनुसार पुलिस अधिकारियों की पदस्थापना की जाती है।

परियोजना के लिये भूमि का चयन

[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]

10. अता.प्र.सं.25 (क्र. 444) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** गत पांच वर्षों में विभाग ने किस-किस परियोजना के लिए किस जिले के किस ग्राम के किस खसरा नम्बर का कितना रकबा आवंटित किए जाने के संबंध में आवेदन या मांग पत्र प्रस्तुत किया है? उस परियोजना में कितने उद्योगों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है? **(ख)** परियोजना के लिए मांग की गई भूमि में से यह भूमि भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237

(1) के तहत किस-किस प्रयोजन के लिए आरक्षित है? **(ग)** परियोजना के लिए भूमि का चयन, भूमि के आवंटन से संबंधित वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए भूमि का चयन एवं भूमि के आवंटन से संबंधित कौन-कौन सी कार्यवाही के लिए विभाग के किस स्तर के अधिकारी को जिम्मेदारी दी है किस परियोजना के लिए यह समस्त कार्य किस एजेंसी को किन-किन शर्तों पर दिया है? कार्य आदेश की प्रति सहित बतावें। **(घ)** भूमि का चयन एवं भूमि का आवंटन समय पर नहीं हो पाने के लिए किस-किस परियोजना का कार्य कितना विलंब से हुआ है? उसके लिए जिम्मेदार किस-किस के विरूद्ध आयुक्त उद्योग ने कब और क्या कार्यवाही की है?

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री : ***[(क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख)*** *राजस्व विभाग से जानकारी एकत्र की जा रही है।* ***(ग)*** *भूमि के चयन एवं आवंटन संबंधी कार्यवाही महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा की जाती है, किसी अन्य एजेंसी को यह कार्य नहीं दिया गया है।* ***(घ)*** *भूमि विभाग को हस्तांतरित होने के पश्चात् ही उसमें विकास कार्य करने का निर्णय लिया जाता है, अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।]* **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।**

<u>परिशिष्ट - "दो"</u>

अचल संपत्ति के अंतरण पर पंजीयन शुल्क

[वाणिज्यिक कर]

11. परि.अता.प्र.सं. 91 (क्र. 991) श्री चेतन्य कुमार काश्यप : क्या वित्त मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** पंजीयन विभाग द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों में अचल संपत्ति के अंतरण पर पंजीयन शुल्क के साथ तीन प्रतिशत अतिरिक्त मुद्रा पत्र शुल्क की वसूली की जाती है और फिर उसमें से नगरीय निकायों को एक प्रतिशत राशि विकास कार्यों के लिये और दो प्रतिशत राशि विकास कार्यों हेतु लिये गये ऋणों के भुगतान के लिये नगरीय निकायों को पात्रता अनुसार आवंटित की जाती है? **(ख)** यदि हाँ तो नगर निगम रतलाम से वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक पंजीयन विभाग द्वारा कुल कितना अतिरिक्त शुल्क संग्रहित किया गया? उसमें से निगम को कितनी राशि अंतरित की गई? शेष राशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? वर्षवार जानकारी प्रदान करें।

वित्त मंत्री : ***[(क)*** *एवं* ***(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।]*** **(क)** जी हाँ। **(ख)** नगर निगम रतलाम में वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956, मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत संग्रहित किए तथा नगर निगम रतलाम को अंतरित किये गये अतिरिक्त शुल्क की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। बजट की उपलब्धता अनुसार निकायों को राशि वितरित की जाती है।

<u>परिशिष्ट - "तीन"</u>

लंबित मांगों के संबंध में

[वित्त]

12. परि.अता.प्र.सं. 103 (क्र. 1061) श्री पी.सी. शर्मा : क्या वित्त मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या 2005 के बाद शासकीय सेवा में नियुक्त हुए अधिकारी/कर्मचारी को अन्य राज्यों की भांति पुरानी पेंशन बहाली किये जाने का शासन स्तर पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है? यदि हाँ तो कब तक घोषणा की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? **(ख)** क्या शासकीय/निगम मण्डल में कार्य करने वाले दैनिक वेतन भोगी/संविदा/आउटसोर्स/अतिथि शिक्षकों व स्थाई कर्मियों को नियमित करने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो कब तक नियमित करेंगे, यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** राज्य शासन के अधिकारी/कर्मचारियों को लंबित पदोन्नति के लिये शासन स्तर पर समिति बनाई गई है, उक्त समिति की अनुशंसा से प्रदेश के किस-किस विभाग में कितने-कितने अधिकारी/कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिल चुका है, यदि हाँ, तो सूची उपलब्ध करावें, यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** शासन द्वारा दैनिक वेतन भोगियों को स्थाईकर्मी के बनाये जाने के बाद क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? क्या नियमित कर्मचारियों की भांति सुविधाएं दी जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों? **(ड.)** क्या म.प्र. शासन के विभागों में रिक्त पदों पर की जा रही भर्तियों में लंबे समय से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी/स्थाई कर्मी/संविदा कर्मचारियों को भी सम्मिलित किया जायेगा और उन्हें विभाग में कार्य करने की प्राथमिकता/बोनस अंक दिये जाने का प्रावधान है? यदि है तो क्या प्रक्रिया होगी? **(च)** मध्यप्रदेश शासन के ऐसे कर्मचारी/अधिकारी जो पदोन्नति के पात्र होते हुए शासन की नीतियों के चलते लाभ नहीं मिल पाया और वे सेवानिवृत्त हो गये हैं उन्हें सेवानिवृत्ति उपरांत लाभ दिया जायेगा? यदि हाँ, तो क्या प्रक्रिया होगी? यदि नहीं, तो क्यों?

वित्त मंत्री : ***[(क)*** *ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।* ***(ख)*** *से* ***(च) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** ***]*** **(ख)** सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार इस सेवा में नियुक्त कर्मियों को उनके सेवा शर्तें एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी नीति-निर्देशों के अनुसार सुविधाएं देय हैं। स्थायी कर्मियों के नियमितीकरण हेतु पृथक से कोई प्रावधान नहीं है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार समिति की अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार विनियमित करने की योजना के तहत दैनिक वेतनभोगियों को स्थाई कर्मी बनाये जाने के उपरांत वेतनमान, वेतनवृद्धि, मंहगाई भत्ता, उपादान, अवकाश, राष्ट्रीय पेंशन स्कीम आदि सुविधायें देय हैं। स्थाईकर्मी शासकीय सेवक की श्रेणी में नहीं आने से नियमित शासकीय सेवक के समान सुविधाएं दिये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शेषांश का प्रशन उपस्थित नहीं होता। **(ड.)** सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार दिनांक 05 जून, 2018 को जारी परिपत्र की कंडिका 1.4 में प्रत्येक विभाग के भर्ती किए जाने वाले पदों में 20 प्रतिशत पद संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए आरक्षित करने एवं कंडिका 1.10 में नियुक्तिकर्ता विभाग द्वारा न्यूनतम कट ऑफ अंक निर्धारित करने के निर्देश हैं। दैनिक वेतनभोगी/स्थाई कर्मियों के लिए प्रावधान नहीं है। **(च)** सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार मान. सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दर्ज मामलों में अभियोजन की स्वीकृति

[सामान्य प्रशासन]

13. अता.प्र.सं.138 (क्र. 1529) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** लोकायुक्त संगठन पुलिस द्वारा राज्य शासन के किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों के ऊपर भ्रष्टाचार के मामले होने के कारण उनके खिलाफ अभियोजन प्रस्तुत के लिए संबंधित विभाग से स्वीकृति मांगी गई है लेकिन प्रश्न दिनांक तक स्वीकृति नहीं दी गई है? उपरोक्त मामलों में अलग-अलग, किस-किस तारीख को कितनी बार अभियोजन प्रस्तुत करने के लिए स्वीकृति मांगी गई है? **(ख)** ऐसे कितने प्रकरण हैं जिनमें लोकायुक्त संगठन पुलिस द्वारा अभियोजन प्रस्तुत करने के लिए की गई मांग को छह माह या उसे अधिक हो चुका है तथा इसका क्या कारण है? क्या सरकार ऐसे मामलों में सरकारी विभाग द्वारा लोकायुक्त को स्वीकृति देने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करेगी? **(ग)** लोकायुक्त में मण्डला जिले से सम्बंधित किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों की शिकायतें/प्रकरण दर्ज हैं? प्रत्येक प्रकरण/शिकायत की क्या स्तिथि है? उनमें अब तक क्या कार्यवाही हुई है, प्रकरणवार जानकारी प्रदान करें।

मुख्यमंत्री : ***[(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।]*** **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार**। **(ख)** विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त संगठन) म.प्र. द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रस्तुत करने के लिये की गई मांग को, शासन के विभिन्न विभागों के पास लंबित 120 प्रकरणों में तथा अन्य निकायों के पास लंबित 29 प्रकरणों में 06 माह या उससे अधिक अवधि हो चुकी है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ग)** विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त संगठन) म.प्र. में शिकायत जांच का प्रावधान नहीं है। (चूँकि प्रश्नांश में अवधि स्पष्ट नहीं है, अत: वर्ष 2015 से वर्तमान प्रकरणों की जानकारी दी जा रही है।) विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त संगठन) म.प्र. द्वारा मंडला जिले से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध दर्ज 42 प्रकरणों की प्रकरणवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है।

दिनांक 21 दिसम्बर, 2022

अधिसूचित वनग्राम

[वन]

14. अता.प्र.सं.28 (क्र. 451) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या राज्य शासन द्वारा राजपत्र में दिनांक 25/5/1962 एवं 7/10/1964 को हस्तांतरण के लिए अधिसूचित दिनांक 3.12.1975 को हस्तांतरण के लिए आदेशित एवं राजपत्र में अधिसूचित ग्रामों को भी वनग्राम बताकर आदेश दिनांक 26.5.2022 से राजस्व ग्राम का दर्जा दिए जाने के संबंध में राज्य मंत्रालय से आदेश दिया गया है? **(ख)** यदि हाँ तो वन विभाग द्वारा वर्तमान में प्रतिवेदित 925 वनग्रामों में से किस ग्राम के संबंध में राजपत्र में दिनांक 25.5.1962 एवं दिनांक 7.10.1964 को अधिसूचित किया गया? इस तरह के ग्रामों को वनग्राम माना जाकर राजस्व ग्राम का दर्जा दिए जाने की कार्यवाही किए जाने का क्या कारण रहा है? **(ग)** 925 वनग्रामों में से किस ग्राम की भूमियों को राजपत्र के अधिसूचना दिनांक 21.10.1954 को आरक्षित वन अधिसूचित किया जाना

एवं नवाब भोपाल के एलान नंबर 3 दिनांक 12 जनवरी 1916 से आरक्षित वन माना जाना वन विभाग ने प्रतिवेदित किया है, अधिसूचना एवं एलान में भू-स्वामी हक की दर्ज निजी भूमियों को आरक्षित वन माने जाने बाबत् क्या-क्या उल्लेख है? **(घ)** यदि इस तरह का कोई उल्लेख अधिसूचना एवं एलान में नहीं है तो निजी भूमियों के संबंध में शासन वर्तमान में क्या कार्यवाही कर रहा है?

वन मंत्री : *[**(क)** मध्यप्रदेश शासन राजपत्र दिनांक 25.05.1962 से 479 ग्राम तथा 07.10.1964 से 33 ग्राम एवं मध्यप्रदेश शासन के ज्ञाप दिनांक 03.12.1975 से 148 ग्राम राजस्व विभाग को हस्तांतरित किये जाने के निर्देश जारी किये गये। उक्त के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा 531 वनग्राम राजस्व विभाग को प्रबंधन हेतु हस्तांतरित किये गये हैं। शेष ग्रामों सहित 827 ग्रामों को जनजातीय कार्य विभाग द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 की धारा-3 (1) (ज) के तहत सम्परिवर्तन किये जाने हेतु दिनांक 26.05.2022 से निर्देश जारी किये गये हैं। **(ख)** उत्तरांश (क) अनुसार। शेष ग्रामों सहित 827 वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में सम्परिवर्तन हेतु एकजाई जानकारी तैयार कराई गई। **(ग) जानकारी संकलित की जा रही है।** प्रश्नांकित अधिसूचना एवं एलान में भू-स्वामी हक की निजी भूमियों को आरक्षित वन बनाये जाने से संबंधित कोई उल्लेख नहीं है। **(घ)** कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।]* **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

नवीन भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन

[वन]

15. अता.प्र.सं.79 (क्र. 868) श्री अर्जुन सिंह काकोड़िया : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधानसभा क्षेत्र बरघाट अंतर्गत विकासखण्ड कुरई जो कि एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, कुरई मुख्यालय में शासकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु वर्ष 2016 में घोषणा की गई थी। महाविद्यालय 2018 से प्रारंभ किया गया है एवं जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत कन्या शिक्षा परिसर पूर्व से संचालित है परन्तु भवन न होने के कारण छात्र/छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शासन द्वारा उक्त दोनों संस्थाओं के भवनों के निर्माण हेतु राशि भी स्वीकृत हो चुकी है परंतु भवन निर्माण हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? **(ख)** शासकीय महाविद्यालय एवं कन्या शिक्षा परिसर के नवीन भवन निर्माण हेतु राजस्व एवं वन विभाग की भूमि के आवंटन संबंधी कार्यवाही लम्बे समय से चल रही है राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग से 18.00 हेक्टेयर भूमि आवंटित किए जाने के एवज में 36.00 हेक्टेयर गैर वन भूमि को वन विभाग के नाम आरक्षित कर भूमि का कब्जा भी सौंपा जा चुका है। इसके बाद भी मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल द्वारा अनापत्ति पत्र प्रदान नहीं किया जा रहा है, कृपया अवगत करावे कि भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटित हो पायेगी या नहीं?

वन मंत्री : *[**(क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख)** 02 ऑनलाईन आवेदन स्वीकृति हेतु प्रचलित है, विवरण **जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर** है।]* **(क)** कुरई में शासकीय महाविद्यालय वर्ष 2018-19 से संचालित है। वर्तमान में कुरई महाविद्यालय का कार्यालय प्राथमिक विद्यालय के तीन कक्षों में एवं अध्यापन कार्य कन्या उच्चतर महाविद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय, शासकीय उच्च माध्यमिक कन्या विद्यालय तथा सामुदायिक भवन से संपादित हो रहा है। संबंधित विभाग द्वारा

प्रश्नांकित तिथि तक शासकीय महाविद्यालय कुरई, जिला सिवनी के भवन निर्माण हेतु राशि का आवंटन नहीं किया गया है।

लघु वनोपज के संबंध में

[वन]

16. अता.प्र.सं.86 (क्र. 906) श्री आरिफ अक़ील : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** लघु वनोपज के संबंध में मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियम) अधिनियम, 1969 मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम 2000, म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959, संविधान की 11वीं अनुसूची, पेसा कानून 1996, वन अधिकार कानून 2006 की किस धारा किस कंडिका में क्या-क्या प्रावधान दिया गया है? इनमें से किस धारा या कंडिका में किस लघु वनोपज के संग्रहण, परिवहन, भण्डारण एवं विपणन पर प्रतिबंध लगाने का क्या प्रावधान है? **(ख)** राज्य में किस लघु वनोपज का संग्रहण, विपणन, भण्डारण एवं परिवहन वन विभाग के नियंत्रण से मुक्त है किस लघु वनोपज के संग्रहण, विपणन, भण्डारण एवं परिवहन पर वन विभाग का कौन सा एवं कितना नियंत्रण है? पृथक-पृथक बतावें। **(ग)** भोपाल, सीहोर, रायसेन, खण्डवा एवं उज्जैन वनवृत्त के अंतर्गत गत तीन वर्षों में किस-किस के विरूद्ध कितनी और कौन सी लघु वनोपज का किस धारा में वन अपराध किन-किन कारणों से पंजीबद्ध कर कितनी वनोपज का वाहन राजसात किया?

वन मंत्री : *[**(क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। मध्यप्रदेश पंचायत (अधिसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2022 के नियम 25 (1) में अनुसूचित वनक्षेत्रों में शासकीय वनों के संवहनीय प्रबंधन हेतु ग्रामसभा, वन संसाधन योजना एवं नियंत्रण समिति गठित करेगी। नियम 25 (2) के अनुसार गौण वनोपज के प्रबंधन हेतु वन विभाग के परामर्श से सूक्ष्म प्रबंधन योजना तैयार करेगी। नियम 25 (3) के अनुसार गौण वनोपज का समुचित दोहन के साथ जैव विविधता एवं जैविक स्त्रोतों का संरक्षण एवं संवर्धन भी ग्रामसभा करेगी। नियम 25 (4) के अनुसार गौण वनोपज की मात्रा सीमित होने की स्थिति में वनोपज का संग्रहण प्रतिबंधित कर सकेगी। भारतीय वन अधिनियम, 1927, जैवविविधता (संरक्षण) अधिनियम, 2002 एवं मध्यप्रदेश वन उपज (जैव विविधता का संरक्षण एवं पोषणीय कटाई) नियम, 2005 के अंतर्गत विनाशकारी विदोहन की स्थिति में गौण वनोपजों के संरक्षण हेतु वन अधिकारियों को अधिकार दिये गये हैं। **(ख)** राज्य में तेन्दूपत्ता का संग्रहण, विपणन, भण्डारण एवं परिवहन मध्यप्रदेश तेन्दूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 से संचालित है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासियों के (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित नियम, 2008 की धारा 2 (1) (घ) एवं 3 (1) (ग) में वन अधिकार धारकों को गौण वन उत्पादों के संग्रहण, उपयोग एवं व्ययन के अधिकार दिये गये हैं। पंचायत उपबंध (अधिसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत मध्यप्रदेश में मध्यप्रदेश पंचायत (अधिसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2022 के नियम 25 में गौण वनोपज का परम्परागत प्रबंधन तथा नियम 26 में गौण वनोपज संबंधित अधिकार दिये गये हैं। इसके नियम 26 (4) में तेन्दूपत्ता का संग्रहण एवं विपणन मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ से कराये जाने का नियम है। यदि ग्रामसभा चाहे तो तेन्दूपत्ते का संग्रहण एवं विपणन स्वयं कर सकेगी बशर्ते ग्रामसभा इस संबंध में संबंधित संग्रहण वर्ष के पूर्व वर्ष में 15 दिसम्बर*

तक इस हेतु संकल्प पारित कर ग्राम पंचायत के माध्यम से वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों को अवगत कराये। अन्य लघु वनोपज का संग्रहण एवं विपणन तथा जैव विविधता एवं जैविक स्त्रोतों का संरक्षण एवं संवर्धन ग्रामसभा करेगी। लघु वनोपज के विनाशकारी विदोहन को रोकने के लिये प्रश्नांश (क) में उल्लेखित वन अधिनियमों में वनमंडलाधिकारी को अधिकार दिये गये हैं। ***(ग) जानकारी संकलित की जा रही है।]*** **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।**

राशन दुकानों से खाद्यान्न का वितरण

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

17. परि.अता.प्र.सं. 140 (क्र. 1557) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भंडारगृहों से खाद्यान्न प्रदाय के पूर्व खाद्यान्न गुणवत्ता की जांच/परीक्षण की क्या प्रक्रिया हैं और जांच/परीक्षण किन-किन शासकीय सेवकों द्वारा किस प्रकार किए जाने के नियम/निर्देश हैं? **(ख)** प्रश्नांश (क) कटनी जिले में विगत 02 वर्षों में किन-किन भंडारगृह के स्टेकों का चयन किन-किन शासकीय सेवकों द्वारा कब-कब किया गया? क्या प्रतिवेदन कब दिये गए? खाद्यान्न की निकासी कब-कब की गयी और किस-किस भंडारग्रह से किस-किस उचित मूल्य दुकान में खाद्यान्न कब-कब पहुंचा? **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) क्या उचित मूल्य दुकानों हेतु प्रदाय खाद्यान्न को गुणवत्ता जांच/परीक्षण की नियमानुसार कार्यवाही कर वितरण हेतु भेजा गया? यदि हाँ,तो कैसे जबकि नागरिकों द्वारा गुणवत्ता विहीन खाद्यान्न वितरण की शिकायतें की जाती हैं? यदि नहीं, तो क्या कार्यवाही प्रश्नाधीन अवधि में की गयी? बताइयें, **(घ)** क्या प्रश्नकर्ता के विधानसभा प्रश्न क्रमांक–1453 दिनांक-22/12/2021 के प्रश्नांश (ग) का उत्तर-"जब नान एफएक्यू राशन प्रदाय होने की जानकारी प्राप्त होती हैं, तो उसको उसी स्तर पर वितरण के पूर्व ही वापस कर एफएक्यू गुणवत्ता का राशन प्रदाय कर वितरण कराया जाता हैं," था? **(ड.)** प्रश्नांश (क) से (घ) के परिप्रेक्ष्य में जब गुणवत्ता की जांच कर खाद्यान्न क्रय किया जाता हैं, भंडारित किया जाता हैं,तो नान एफएक्यू खाद्यान्न किस प्रकार भंडारित हुआ और जब शासकीय सेवकों द्वारा स्टेक का चयन किया, तो नान एफएक्यू वितरण हेतु कैसे पहुँचा? स्पष्ट कीजिये। क्या इसका विभाग/शासन द्वारा संज्ञान लिया जाकर कार्यवाही की जाएंगी?

खाद्य मंत्री : ***[(क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।]*** **(क)** लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 की कंडिका 7 (6), (7) में अनाज की गुणवत्ता की जांच एवं परीक्षण प्रावधानित है। जिले में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी (खाद्य विभाग), गुणवत्ता निरीक्षण (नागरिक आपूर्ति निगम), गुणवत्ता निरीक्षक (वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन) दल द्वारा गुणवत्ता की जांच की जाती है। **(ख)** कटनी जिले में विगत 2 वर्षों में भंडारगृह के स्टेक का चयन, निकासी आदि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। खाद्यान्न की निकासी कब-कब की गई और किस-किस भंडारगृह से उचित मूल्य दुकान में खाद्यान्न कब-कब पहुंचा की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। **(ग)** जी, हाँ। प्रश्नाधीन अवधि में नागरिकों से गुणवत्ता विहीन खाद्यान्न वितरण की शिकायतें संज्ञान में नहीं आई हैं। **(घ)** जी, हाँ। **(ड.)** जी, हाँ, गुणवत्ता की जांच कर खाद्यान्न क्रय कर भंडारित कराया जाता है। भंडारण के दौरान

खाद्यान्न को सुरक्षित रखने का दायित्व भंडारण एजेंसी का होता है। अत: भंडारण के दौरान खाद्यान्न की गुणवत्ता खराब होने पर भंडारण एजेंसी के भंडारण शुल्क देयकों का भुगतान रोका जाता है। प्रश्नांश (क) के उत्तर में वर्णित समिति द्वारा Peripheral खाद्यान्न नमूना प्राप्त कर स्टेक चयन किया जाता है। यदि उचित मूल्य दुकान पर खाद्यान्न के NON FAQ होने की जानकारी प्राप्त होती है, तो उसको उसी स्तर पर वितरण के पूर्व ही वापस कर FAQ गुणवत्ता का खाद्यान्न प्राप्त कर वितरण कराया जाता है।

दिनांक 22 दिसम्बर, 2022

विद्युत वितरण कंपनी के कार्यों की जानकारी

[ऊर्जा]

18. अता.प्र.सं.114 (क्र. 1272) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या ऊर्जा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इन्दौर क्षेत्रान्तर्गत 15 वृत्तों में माह सितम्बर 2022 की स्थिति में कितने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के कृषकों के कितने नि:शुल्क विद्युत प्रदाय कृषि पंप कनेक्शन विद्यमान है की वृत्तवार संख्यात्मक जानकारी देवें। उपरोक्त में से कितने कृषि पंप उपभोक्ताओं के आधार नंबर बिलिग प्रणाली में दर्ज है कि संख्यात्मक जानकारी देवें? **(ख)** म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इन्दौर क्षेत्रान्तर्गत माह सितम्बर-2022 की स्थिति में नि:शुल्क विद्युत प्रदाय (सिंचाई) श्रेणी के अन्तर्गत विद्युत वितरण कंपनी इन्दौर द्वारा राज्य शासन से माह अप्रैल-2019 से माह सितम्बर 2022 तक कितनी सब्सिडी राशि की माग की गई, कितनी राशि राज्य शासन से प्राप्त हुई एवं कितनी राशि राज्य शासन पर बकाया है? वर्षवार जानकारी देवें? **(ग)** म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर के अन्तर्गत आर.डी.एस.एस. योजना में केन्द्र सरकार द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई है? उक्त राशि किस मद में खर्च होना है एवं किस प्रकार के विद्युत कार्यों में उपयोग किया जाना है उपरोक्त राशि खर्च करने पर विद्युत व्यवस्था में क्या बदलाव आएगा? **(घ)** क्या प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र संख्या 727 दिनांक 29 अगस्त 2022 को प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग को ई-मेल secyenergy@mp.gov.in पर प्रेषित किया गया? प्रश्नकर्ता ने उक्त पत्र द्वारा कितनी अवधि में किन-किन बिंदुओं पर क्या-क्या जानकारी मांगी? प्रश्न-दिनांक तक भी जानकारी उपलब्ध नहीं करवाए जाने का विधिसम्मत कारण बताएं। कब तक जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी? **(ड.)** प्रश्नकर्ता द्वारा SE (O&M) भोपाल, सिहोर से ई-मेल-पत्र में मांगी गई जानकारी प्रश्न-दिनांक तक भी उपलब्ध नहीं कराने का विधिसम्मत कारण बताएं। कब तक उपलब्ध कराई जाएगी?

ऊर्जा मंत्री : ***[(क)*** *म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर क्षेत्रांतर्गत कार्यरत 15 संचालन/संधारण वृत्तों में माह सितंबर 2022 की स्थिति में अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के कृषकों को पात्रता अनुसार प्रदाय किये गये निःशुल्क कृषि पंप विद्युत कनेक्शनों की एवं इन उपभोक्ताओं के आधार नंबर बिलिंग प्रणाली में दर्ज होने की प्रश्नाधीन चाही गयी वृत्तवार संख्यात्मक* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार*** *है।* ***(ख)*** *म.प्र. पश्चिम क्षेत्र*

विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर क्षेत्रांतर्गत माह सितंबर 2022 की स्थिति में निःशुल्क विद्युत प्रदाय (सिंचाई) श्रेणी के अंतर्गत विद्युत वितरण कंपनी द्वारा राज्य शासन से माह अप्रैल 2019 से माह सितंबर 2022 तक मांग की गई सब्सिडी की राशि, राज्य शासन से प्राप्त हुई राशि एवं राज्य शासन पर बकाया राशि की प्रश्नाधीन चाही गयी वर्षवार ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार*** *है। **(ग)** म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर के अंतर्गत केन्द्र शासन की आर.डी.एस.एस. योजना के तहत विद्युत हानियों को कम करने के उद्देश्य से विद्युत अधोसंरचना के कार्य हेतु राशि रु. 2534.63 करोड़ एवं स्मार्ट मीटर लगाये जाने हेतु राशि रु. 2572.12 करोड़, इस प्रकार कुल राशि रु. 5106.75 करोड़ स्वीकृत हुई है तथा उक्त के अतिरिक्त इन कार्यों के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी हेतु कुल राशि रु. 47.66 करोड़ स्वीकृत हुई है। म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर के अंतर्गत आर.डी.एस.एस. योजना में नवीन 33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेंद्र की स्थापना के कार्य, 33/11 के.व्ही. विद्युत लाईनों के विभक्तिकरण के कार्य, 11 के.व्ही. मिश्रित फीडरों के विभक्तिकरण के कार्य, सिंचाई हेतु स्थापित वितरण ट्रांसफार्मरों जो कि घरेलू फीडरों से संयोजित है के पृथक्कीकरण के कार्य, अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मरों की स्थापना के कार्य, निम्नदाब केबलीकरण के कार्य इत्यादि कार्यों में योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि का उपयोग किया जायेगा। उक्त योजना के क्रियान्वयन उपरांत वितरण कंपनी की समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी परिलक्षित होगी एवं बिजली की प्रति यूनिट लागत तथा राजस्व का अन्तर (ACS-ARR Gap) कम/समाप्त हो जायेगा तथा विद्युत अधोसंरचना और अधिक उन्नत होगी। जिससे विद्युत प्रदाय की गुणवत्ता बढ़ेगी। **(घ)** जी हाँ। माननीय प्रश्नकर्ता विधायक महोदय द्वारा प्रश्नांश में उल्लेखित पत्र के माध्यम से कुल 08 बिंदुओं पर 15 कार्य दिवस में जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु लेख किया गया था। माननीय प्रश्नकर्ता विधायक महोदय के प्रश्नांश में उल्लेखित पत्र की प्रति* ***पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार*** *है। अधीक्षण यंत्री, संचालन-संधारण वृत धार द्वारा उनके पत्र क्रमांक 3956 दिनांक 08.12.2022 के माध्यम से आंशिक जानकारी माननीय प्रश्नकर्ता विधायक महोदय को प्रेषित कर दी गई है, जिसकी छायाप्रति* ***पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'द' अनुसार*** *है। उल्लेखनीय है कि माननीय प्रश्नकर्ता विधायक महोदय द्वारा चाही गयी जानकारी वृहद स्वरूप की होने के कारण संकलित किये जाने में अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। अतः जानकारी संकलित होने के उपरांत पूर्ण जानकारी पृथक से माननीय प्रश्नकर्ता विधायक महोदय को प्रेषित कर दी जावेगी। **(ड.)** म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत संचालन-संधारण वृत्त भोपाल को कार्यालयीन ई-मेल आई.डी. पर प्रश्नांश (ड.) में उल्लेखित ई-मेल पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि संचालन-संधारण वृत्त सीहोर में दोनों संभाग (आष्टा एवं सीहोर) के उप महाप्रबंधको के स्थानांतरण होने के कारण जानकारी प्रेषित करने में विलंब हुआ है। सीहोर महाप्रबंधक के पत्र क्रमांक 5235 दिनांक 09.12.2022 के माध्यम से जानकारी ई-मेल द्वारा माननीय प्रश्नकर्ता विधायक महोदय को प्रेषित की जा चुकी है, जिसकी छायाप्रति* ***पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ई' अनुसार*** *है।]* **(घ)** जी हाँ। माननीय प्रश्नकर्ता विधायक महोदय द्वारा प्रश्नांश में उल्लेखित पत्र के माध्यम से कुल 08 बिंदुओं पर 15 कार्य दिवस में जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु लेख किया गया था। माननीय प्रश्नकर्ता विधायक महोदय के प्रश्नांश में उल्लेखित पत्र की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार** है। अधीक्षण यंत्री, संचालन-संधारण वृत धार

द्वारा उनके पत्र क्रमांक 3956, दिनांक 08.12.2022 के माध्यम से आंशिक जानकारी माननीय प्रश्नकर्ता विधायक महोदय को प्रेषित की गई थी। उल्लेखनीय है कि माननीय प्रश्नकर्ता विधायक महोदय द्वारा चाही गयी जानकारी वृहद स्वरूप की होने के कारण संकलित किये जाने में अतिरिक्त समय की आवश्यकता थी। तदोपरांत अधीक्षण यंत्री, संचालन-संधारण वृत्त धार द्वारा उनके पत्र क्रमांक-4365, दिनांक 06.01.2023 एवं म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के पत्र क्रमांक-9174, दिनांक 01.02.2023 के माध्यम से पूर्ण जानकारी माननीय प्रश्नकर्ता विधायक महोदय को प्रेषित कर दी गई है। उक्त पत्रों की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के क्रमश: प्रपत्र द-1, द-2 एवं द-3 अनुसार है।**

लोकार्पण कार्यक्रम में विधायकों की उपेक्षा

[नगरीय विकास एवं आवास]

19. परि.अता.प्र.सं. 112 (क्र. 1277) श्री महेश परमार : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रविवार दिनांक 30/05/2022 उज्जैन संभागीय मुख्यालय पर प्रशासनिक संकुल भवन का लोकार्पण क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया था? यदि हाँ, तो इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि किन-किन विधायकों को बनाया गया था? **(ख)** क्या उज्जैन जिले के 03 भाजपा विधायकों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था? यदि हाँ, तो क्या कारण है कि तराना, घट्टिया, बड़नगर और नागदा खाचरोद के काँग्रेस विधायकों को इस आयोजन में आमंत्रित नहीं किया गया और न ही लोकार्पण की शिलालेख में इन विधायकों के नाम उल्लेखित किए गए? क्या लोकार्पण कार्यक्रम के शिलालेख की प्रति उपलब्ध करायी जाएगी? यदि हाँ, तो क्या कारण है कि इस शिलालेख में उल्लेखित नामों में काँग्रेस विधायकों के नाम का लेख नहीं किया गया? **(ग)** क्या विभाग प्रोटोकाल उल्लंघन के नियमों के पालन करने में जो विधि की भूल की है? उस भूल के लिए दंडात्मक कार्यवाही किस अधिकारी पर कब तक करेगा और भविष्य में इस प्रकार की उपेक्षापूर्ण घटना न हो इस संबंध में क्या शासन कड़ाई से पालन कराये जाने हेतु दंडात्मक कानून लागू करेगा? हाँ तो कब तक?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : ***[(क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।]*** **(क)** जी नहीं अपितु दिनांक 29-05-2022 को मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में उज्जैन उत्तर, दक्षिण एवं महिदपुर के मान. विधायक उपस्थित थे। **(ख)** जी नहीं, लोकार्पण कार्यक्रम पूर्व नियोजित नहीं था, आकस्मिक रूप से किये जाने से आमंत्रण पत्र शीघ्र बनवाना एवं बांटा जाना संभव नहीं होने से, अल्प समय में मान. विधायकों को प्रत्यक्ष एवं उनके निज सचिव के माध्यम से कार्यक्रम की सूचना दी गई थी। लोकार्पण कार्यक्रम में जो मान. विधायक उपस्थित थे, उन मान. विधायको के नाम शिलालेख पर लेख किये गये हैं। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** किसी भी प्रकार के प्रोटोकाल का उल्लंघन नहीं हुआ है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>परिशिष्ट - "चार"</u>

विकास कार्यों की स्वीकृति

[नगरीय विकास एवं आवास]

20. अता.प्र.सं.143 (क्र. 1393) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिनांक 01 जनवरी, 2019 से 27/11/2022 तक खाचरौद व नागदा नगर पालिका क्षेत्र के विकास कार्यों क्या-क्या प्रेषित प्रस्तावों को शासन द्वारा किस योजना में कितनी- कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है? कितने कार्यों की, कितनी राशि की स्वीकृति शासन के पास लम्बित है व किन-किन मदों में कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई है? वर्षवार,मदवार विवरण दें। **(ख)** नगर पालिका खाचरौद की मांगों के निराकरण हेतु प्रश्नकर्ता के पत्रों पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिए गए निर्देश पर पी.एस. नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा उस पर कार्यवाही करते हुए पत्र 2187/2646, 2191/2640, 2193/2639, 2215/2647, 2176/2644, 2169/2642, 2173/2643 दिनांक 04/07/2019, 2915/3506 दिनांक 30/08/2019 के द्वारा आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास को स्वीकृति हेतु निर्देश प्रदान किए गए हैं आयुक्त महोदय द्वारा कितने कार्यों की कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है पत्रवार जानकारी दें। **(ग)** नगर पालिका नागदा में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, संविदा, डेली वेजेस, मस्टर में कितने कर्मचारियों को कब-कब भर्ती किया गया है? भर्ती दिनांक सहित किन-किन विभागों में नियम विरूद्ध मस्टर पर कर्मचारी रखे गए नाम सहित आदेश की छायाप्रति और नागदा नगर पालिका में अस्थायी और मस्टर पर कुल कितने कर्मचारी कार्यरत है। शासन द्वारा निर्देशित आरक्षण प्रक्रिया का मस्टर प्रक्रिया में पालन किया गया है? कि नहीं जानकारी दें व कितने कर्मचारियों को स्थायी करने की कार्यवाही की जा रही है विवरण दें। **(घ)** नगर पालिका के कितने अस्थायी/स्थायी कर्मचारी जिसमें ड्रायवर,कम्प्यूटर ऑपरेटर,सफाई व खाना बनाने वाली बाई,बगीचे व अन्य कार्यों हेतु नगर पालिका क्षेत्र को छोड़कर अन्यंत्र निजी स्थान पर कार्यरत/सेवाएं दे रहे है? नाम सहित विवरण दें?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : ***[(क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।]*** **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" पर** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" पर** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" पर** है। जी नहीं, अपितु पी.आई.सी./परिषद से स्वीकृति उपरांत कार्य की आवश्यकतानुसार अस्थाई कर्मचारियों को समय-समय कार्य पर रखा गया है। 468 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत है। जी नहीं, दैनिक वेतन पर रखे जाने हेतु आरक्षण संबंधी नियम/दिशा निर्देश निर्धारित नहीं है। दिनांक 16 मई, 2017 के पूर्व के 19 दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को विनियमित किया गया है। शैष दैनिक वेतन भोगी कर्मियों द्वारा मान. न्यायालय में पृथक-पृथक वाद दायर करने से विनियमितीकरण की कार्यवाही लंबित है। **(घ)** जी नहीं शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>दिनांक 23 दिसम्बर, 2022</u>

खाद वितरण की जानकारी

[सहकारिता]

21. अता.प्र.सं.13 (क्र. 339) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 23 नवंबर 2022 की स्थिति में छतरपुर जिले को रबि फसल 2022 हेतु सोसायटी के माध्यम

से बिक्री के लिए कितनी डी.ए.पी., एन.पी.के. और यूरिया खाद प्रदाय की गयी? **(ख)** छतरपुर जिले को रबी की फसल के लिए कितनी डी.ए.पी., एन.पी.के. और यूरिया खाद की आवश्यकता है? **(ग)** प्रश्न दिनाँक तक रबी की फसल के लिए कितनी डी.ए.पी., एन.पी.के. और यूरिया खाद कितने किसानों को वितरित की गयी?

सहकारिता मंत्री : *[**(क)** 23 नवम्बर, 2022 की स्थिति में छतरपुर जिले में रबी फसल 2022 हेतु सोसायटियों के माध्यम से बिक्री के लिये डी.ए.पी. 3546 मे.टन, एन.पी.के. 2485 मे.टन और यूरिया 5595 मे.टन प्रदाय की गई। **(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग)** छतरपुर जिले में प्रश्न दिनांक तक रबी की फसल के लिए डी.ए.पी. 6100 मे.टन, एन.पी.के. 2993 मे.टन और यूरिया खाद 6254 मे.टन कुल 31,693 किसानों को वितरित की गई।]* **(ख)** छतरपुर जिले को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के लिए रबी की फसलों के लिये अनुमानित डी.ए.पी. 6700 मे.टन, एन.पी.के. 4100 मे.टन एवं यूरिया 10,900 मे.टन खाद की आवश्यकता है।

यूरिया खाद का प्रदाय

[सहकारिता]

22. ता.प्र.सं. 19 (क्र. 343) श्री मुरली मोरवाल : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उज्जैन जिले की बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में प्रश्न दिनांक तक रबी की फसल के लिए सोसायटी के माध्यम से बिक्री के लिए कितनी-कितनी डी.ए.पी., एन.पी.के. और यूरिया खाद उपलब्ध कराई गई है? **(ख)** बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में रबी की फसल के लिए कितनी-कितनी डी.ए.पी., एन.पी.के. और यूरिया खाद की आवश्यकता है? **(ग)** किसानों को सोसायटी के माध्यम से नगद राशि में खाद उपलब्ध नहीं कराने के क्या कारण हैं? **(घ)** प्रश्न दिनांक तक रबी की फसल के लिए कितनी-कितनी डी.ए.पी., एन.पी.के. और यूरिया खाद कितने किसानों को वितरित की गई?

सहकारिता मंत्री : *[**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।]* **(क)** उज्जैन जिले की बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में प्रश्नावधि में रबी की फसल के लिये सहकारी संस्थाओं के माध्यम से बिक्री के लिये कुल 1685 मेट्रिक टन डी.ए.पी., 2388 मेट्रिक टन एन.पी.के. एवं 4292 मेट्रिक टन यूरिया खाद उपलब्ध कराई गई है। **(ख)** बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में रबी की फसल के लिए सहकारी क्षेत्र में डी.ए.पी. 2070 मेट्रिक टन, एन.पी.के. 2824 मेट्रिक टन एवं यूरिया 5974 मेट्रिक टन खाद की आवश्यकता है। **(ग)** किसानों को म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित जिला उज्जैन के बड़नगर स्थित डबल लॉक केन्द्र एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित बड़नगर से कृषकों को नगद राशि पर खाद का वितरण किया जा रहा है। **(घ)** बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में प्रश्नावधि में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से रबी की फसल के लिये 4872 कृषकों को 1548 मेट्रिक टन डी.ए.पी., 6166 कृषकों को 2242 मेट्रिक टन एन.पी.के. एवं 12138 कृषकों को 4157 मेट्रिक टन यूरिया खाद वितरित की गई है।

डीनोटीफाईड भूमियों के मान्य, अमान्य दावें

[जनजातीय कार्य]

23. अता.प्र.सं.17 (क्र. 428) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जनवरी 2008 से लागू वन अधिकार कानून 2006 में डीनोटीफाईड आरक्षित वन एवं

संरक्षित वन भूमि को वन भूमि परिभाषित नहीं किए जाने के बाद भी डीनोटीफाईड भूमियों के दावे मान्य एवं अमान्य किए गए? **(ख)** जनवरी, 2008 के बाद कितने राजस्व ग्रामों में से कितने वीरान ग्राम, कितने नगरीय सीमा में शामिल ग्रामों को छोड़कर कितने ग्रामों में वनाधिकार समिति का गठन किया? इनमें से कितने ग्रामों की समस्त भूमि वन विभाग ने राजपत्र में धारा 27 एवं धारा 34अ के अनुसार डीनोटीफाईड की थी? जिलेवार बतावें। **(ग)** जिन ग्रामों की समस्त भूमि धारा 27 एवं धारा 34अ में डीनोटीफाईड की गई ऐसे कितने ग्रामों में कितनी भूमि के कितने दावे मार्च, 2022 तक मान्य एवं अमान्य किए गए हैं? डीनोटीफाईड भूमियों के दावे मान्य एवं अमान्य किए जाने का शासन ने कब-कब आदेश या निर्देश दिया? **(घ)** डीनोटीफाईड भूमियों के मान्य एवं अमान्य दावों को वन अधिकार कानून 2006 की कार्यवाहियों से पृथक किए जाने के संबंध में शासन क्या कार्यवाही कर रहा है? कब तक करेगा?

जनजातीय कार्य मंत्री : ***[(क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।]*** **(क)** अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 2 (घ) में परिभाषित वनभूमि के एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक/एफ2-4/2014/सात-6, दिनांक 05.08.2014 तथा मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 20-3/2013/3-25, दिनांक 26.07.2016 के द्वारा जारी निर्देश अनुसार राजस्व भूमि के वनक्षेत्रों में निवासरत व्यक्तियों के दावे मान्य एवं अमान्य किये गये हैं। **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख)** एवं **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (घ)** उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

मंदसौर नवीन न्यायालय भवन का निर्माण
[विधि एवं विधायी कार्य]

24. ता.प्र.सं. 3 (क्र. 1135) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उज्जैन, इंदौर संभाग में किन-किन स्थानों पर नवीन न्यायालय भवन के निर्माण के प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुए हैं? किन-किन स्थानों पर नवीन न्यायालय भवन के लिए भूमि आरक्षित की जा चुकी है? **(ख)** प्रश्नांश (क) संदर्भित क्या आरक्षित भूमि वाले स्थलों के लिए विभाग द्वारा बजट का आवंटन कर दिया गया है? यदि हाँ, तो भवन की कुल लागत, टेंडर दिनांक, निर्माण एजेंसी का नाम, एजेंसी द्वारा कार्य प्रारंभ एवं पूर्ण अवधि दिनांक आदि जानकारी देवें। **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) संदर्भित क्या प्रश्नकर्ता विधायक के विधानसभा क्षेत्र में याचिका क्रमांक 703 में बताया गया है कि मंदसौर में न्यायालय भवन हेतु माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर से वर्तमान में कोई प्रस्ताव मंदसौर न्यायालय भवन हेतु प्राप्त नहीं हुआ है? इस हेतु विभाग ने कब-कब पुन: माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर को पत्र लिख कर मंदसौर भवन के प्रस्ताव/जानकारी चाही है? विभागीय पत्र क्रमांक, दिनांक सहित जानकारी देवें।

गृह मंत्री : ***[(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।]*** **(क)** विभाग में प्राप्त उज्जैन तथा इन्दौर संभाग के नवीन न्यायालय भवन के निर्माण के प्रस्तावों का विवरण निम्नानुसार है :-

संभाग - उज्जैन

1. रतलाम, जिला मुख्यालय, रतलाम
2. देवास, तहसील कन्नौद
3. देवास, तहसील बागली
4. रतलाम, रतलाम
5. आगर, आगर

संभाग - इन्दौर

1. इन्दौर, तहसील देपालपुर
2. इन्दौर, तहसील हातोद
3. बड़वानी, तहसील राजपुर
4. झाबुआ, तहसील थांदला
5. झाबुआ, जिला मुख्यालय, झाबुआ
6. धार, जिला मुख्यालय, धार
7. धार, तहसील कुक्षी
8. धार, तहसील मनावर
9. धार, तहसील धरमपुरी
10. धार, तहसील बदनावर
11. खण्डवा, जिला मुख्यालय, खण्डवा
12. बुरहानपुर, जिला मुख्यालय, बुरहानपुर

आरक्षित भूमि के संबंध में संबंधित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों से प्राप्त जिलावार **जानकारी का विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** विभाग द्वारा बजट का आवंटन अभी नहीं किया गया है। तहसील नागदा में नवीन न्यायालय भवन के निर्माण हेतु भूमि आवंटन की कार्यवाही प्रक्रिया में होने से वर्तमान में किसी भी प्रकार का बजट का आवंटन नहीं किया गया है। **(ग)** जी हाँ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर के पत्र क्रमांक 761, दिनांक 25.11.2022 के द्वारा मंदसौर में नवीन न्यायालय भवन के निर्माण हेतु प्रस्ताव माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को प्राप्त हुये हैं, जिन्हें माननीय अधीनस्थ न्यायालय भवन की बिल्डिंग कमेटी की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावेगा तथा प्रस्ताव का अनुमोदन माननीय कमेटी के द्वारा किये जाने के पश्चात, लोक निर्माण विभाग के द्वारा उक्त निर्माण कार्य हेतु विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया जाकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर के माध्यम से प्राप्त होने पर उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन माननीय कमेटी के द्वारा किये जाने के पश्चात उक्त प्रस्ताव को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विधि और विधायी कार्य विभाग को प्रेषित किया जावेगा।

परिशिष्ट - "पांच"

जिला न्यायालय का गठन

[विधि एवं विधायी कार्य]

25. अता.प्र.सं.44 (क्र. 1168) श्री अनिल जैन : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या नवगठित जिला निवाड़ी के गठन के 04 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत निवाड़ी जिले में जिला न्यायालय की स्थापना नहीं की गई है? यदि हाँ, तो कारण सहित बतावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में नवगठित जिला निवाड़ी में जिला न्यायालय की स्थापना कब तक कर दी जावेगी?

गृह मंत्री : *[(क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।]* **(क)** राज्य शासन द्वारा नवगठित जिला निवाड़ी के गठन हेतु प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी का पद उनके अमले सहित अभी स्वीकृत नहीं किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त जानकारी अनुसार नवगठित जिला निवाड़ी में न्यायिक जिला एवं सत्र न्यायालय भवन के लिए भूमि आवंटित की जा चुकी है, साथ ही नवीन न्यायालय भवन एवं आवासीय भवनों के निर्माण हेतु विस्तुत मानचित्र व प्राक्कलन तैयार कराये जाने हेतु लिखा गया है। **(ख)** निश्चित समयावधि बताई जाना सम्भव नहीं है।

अनियमितता की जांच
[सहकारिता]

26. अता.प्र.सं.50 (क्र. 1194) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** गौरव गृह निर्माण सहकारी समिति के संचालक मंडल को कब भंग किया था? आदेश की प्रति दें। **(ख)** क्या संयुक्त आयुक्त भोपाल द्वारा गौरव गृह निर्माण समिति के संचालक मण्डल को हटाये जाने के आदेश के विरूद्ध स्थगन जारी किया गया था और स्थगन अवधि में संचालक मंडल/अध्यक्ष द्वारा कई भू-खण्डों की रजिस्ट्रियां करा दी गई? यदि हाँ, तो स्थगन आदेश की प्रति दें तथा इस अवधि में किन-किन सदस्यों को भू-खण्डों की रजिस्ट्रियां की गई? उनका विवरण दें। **(ग)** क्या कुछ समय बाद संयुक्त आयुक्त द्वारा स्थगन समाप्त कर दिया गया? क्या संयुक्त आयुक्त द्वारा संचालक मण्डल में कोरम का अभाव होते हुए भी स्थगन जारी किया गया? यदि हाँ, तो क्या यह अनियमित कार्यवाही कर प्रश्रय दिया गया है? **(घ)** उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में क्या उत्तरदायी संयुक्त आयुक्त के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है? यदि हाँ, तो बतायें। यदि नहीं, तो क्यों? गौरव गृह निर्माण सहकारी समिति के विरूद्ध कुल कितनी शिकायतें लंबित हैं और उन पर अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई?

सहकारिता मंत्री : *[(क) उप पंजीयक सहकारी संस्थाऐं जिला भोपाल के आदेश क्रमांक/विधि/ 2020/311 दिनांक 28-01-2020 से। आदेश की* ***प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** *]* **(ख)** जी नहीं। संयुक्त आयुक्त भोपाल द्वारा स्थगन आदेश जारी नहीं किया गया है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** उत्तरांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** उत्तरांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता, गौरव गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल के विरूद्ध लंबित शिकायतों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है**।

नागदा में न्यायालय भवन के भूमि चयन में विलंब
[विधि एवं विधायी कार्य]

27. अता.प्र.सं.65 (क्र. 1391) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता द्वारा नागदा में न्यायालय भवन निर्माण हेतु भूमि चयन के संबंध में स्वीकृति प्रदान करने हेतु मांग करने पर माननीय मुख्यमंत्री के पत्र क्रमांक 2994/सीएमएस/एमएलए/212/2022 दिनांक 13/09/2022 व 3029/सीएमएस/एमएलए/212/2022 दिनांक 16/9/2022 व अन्य पत्रों द्वारा

पीएस राजस्व द्वारा क्या कार्यवाही की गई हैं? **(ख)** नागदा में न्यायालय भवन निर्माण हेतु स्थान का चयन कब तक कर लिया जाएगा? विलंब का क्या कारण हैं? विवरण दें। **(ग)** नागदा में दो अतिरिक्त जिला न्यायालय, चार प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी कार्यरत हैं? यदि हाँ, तो यह किन-किन स्थानों पर बैठकर न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करते है तथा इन न्यायालयों के अंतर्गत कितने प्रकरण विचाराधीन हैं? थानेवार विवरण दें।

गृह मंत्री : ***[(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है/]*** **(क)** उक्त जानकारी का संबंध राजस्व विभाग से हैं। तहसील नागदा में नवीन न्यायालय भवन के निर्माण हेतु चयनित शासकीय भूमि ग्राम पांडल्याकला, भूमि सर्वे नं. 1457/2 कुल रकबा 3.4570 हेक्टेयर को आवंटित किए जाने हेतु नजूल भूमि निवर्तन निर्देश 2020 एवं मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन दिनांक 24.09.2020 अनुसार निर्धारित प्रारूप एक व दो में आवश्यक दस्तावेजों सहित कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक 9116, दिनांक 22.09.2022 द्वारा कलेक्टर, जिला उज्जैन को ज्ञापन प्रेषित किया गया है। भूमि आवंटन अप्राप्त है। **(ख)** तहसील नागदा में नवीन न्यायालय भवन के निर्माण हेतु चयनित शासकीय भूमि ग्राम पांडल्याकला, भूमि सर्वे नं. 1457/2, कुल रकबा 3.4570 हेक्टेयर चयन कर लिया गया है। भूमि आवंटन होना अपेक्षित है। **(ग)** तहसील नागदा में पदस्थ 02 जिला एवं सत्र न्यायाधीश नागदा के नवीन न्यायालय में निर्मित न्यायालय कक्षों में न्यायालय का संचालन करते हैं। 02 व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय कक्षों में संचालित हो रहे हैं। तहसील नागदा में पदस्थ 02 व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्डों में से 01 व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड (श्रीमती सौम्या गौड) का न्यायालय अभिभाषक संघ, नागदा से प्राप्त कक्ष में संचालित हो रहा है एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड (श्री हिमांशु पालीवाल) का न्यायालय का संचालन नागदा परिसर में निर्मित ज्युडिशियल लॉकअप को परिवर्तित व परिवर्धित कर संचालित किया जा रहा है। तहसील नागदा में संचालित समस्त न्यायालयों में 688 सिविल एवं 6651 आपराधिक प्रकरण इस प्रकार कुल 7339 प्रकरण विचाराधीन हैं। उक्त प्रकरणों में सत्र प्रकरण, आपराधिक प्रकरण, अपील, निगरानी, एम.जे.सी. अपंजीकृत परिवाद आदि सम्मिलित है। तहसील नागदा के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र, नागदा से संबंधित 1899, आरक्षी केन्द्र बिरलाग्राम से संबंधित 896 एवं आरक्षी केन्द्र जी.आर.पी. नागदा से संबंधित 31 प्रकरण इस प्रकार विभिन्न आरक्षी केन्द्र के कुल 4000 प्रकरण विचाराधीन है।

कटनी जिले में खाद्यान्न उपार्जन

[सहकारिता]

28. ता.प्र.सं. 1 (क्र. 1558) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के विधानसभा प्रश्न क्रमांक 2142, दिनांक 14.03.2022 के उत्तरानुसार उद्भूत तथ्यों से कोई अनियमितता ज्ञात हुई और प्रश्न दिनांक तक कोई कार्यवाही की गयी? यदि हाँ, तो विवरण बताइये? यदि नहीं, तो कार्यवाही न करने का कारण बताइये? **(ख)** क्या विधानसभा प्रश्न क्रमांक 3138, दिनांक 17.03.2022 के प्रश्नांश (ग) का उत्तर "कटनी जिले में राशि रुपये 68321756/-की क्षति हुई है" था? यदि हाँ, तो उल्लेखित क्षति किन-किन प्रकरणों में किन-किन शासकीय सेवकों की किन-किन जांच प्रतिवेदनों के आधार पर आकलित की गयी? विवरण उपलब्ध

कराएं। **(ग)** विगत तीन वर्षों में समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न उपार्जन के खरीदी केन्द्रों में कौन-कौन से केंद्र/खरीदी प्रभारी एवं अन्य कर्मचारी पदस्थ/कार्यरत रहे,? **(घ)** क्या प्रश्नांश ''ग'' में केंद्र/खरीदी प्रभारियों पर अनियमितता के प्रकरण दर्ज हैं? यदि हाँ, तो किन-किन प्रभारियों पर तथा किस अनियमितता के चलते? इन्हें आयुक्त सहकारिता द्वारा दिनांक 18.11.2022 को दिये गये निर्देश के बाद भी आगामी विपणन वर्ष में केंद्र/खरीदी प्रभारी नियुक्त करने का कारण बताइये। **(ड.)** प्रश्नांश (क) से (घ) के परिप्रेक्ष्य में कटनी जिले में खाद्यान्न उपार्जन/परिवहन/भंडारण कार्यों में अनियमितताओं की शासन/विभाग स्तर से विशेष दल गठित कर समयबद्ध जांच और कार्यवाई की जायेगी? यदि हाँ, तो किस प्रकार और कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? जबकि कटनी में अनियमिततायें वर्षों से लगातार ज्ञात हो रही हैं?

सहकारिता मंत्री : ***[(क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।]*** **(क)** जी नहीं, इसलिये कोई कार्यवाही नहीं की गई, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** जी हाँ, विधानसभा प्रश्न क्रमांक 3138, दिनांक 17.03.2022 के उत्तर में राशि रू. 6,83,21,756/- की क्षति 06 प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित है, उक्त प्रकरणों की जांच क्षेत्रीय प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम जबलपुर, जिला आपूर्ति अधिकारी कटनी, जिला प्रबंधक वेयर हाऊसिंग कटनी, जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम कटनी एवं जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम रीवा के द्वारा की गई। प्रतिवेदनों की **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है**। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है**। **(घ)** जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ड.)** प्रश्नांश 'क' से 'घ' के परिप्रेक्ष्य में अनियमितताओं की जांच पूर्व में कराई जाकर अमानक स्कंध की संपूर्ण राशि रू. 32,06,980/- एवं उपभोक्ता सामग्री के अपयोजन से संबंधित 06 संस्थाओं में से 03 संस्थाओं से रूपये 1,39,975.35 जमा कराई जा चुकी है एवं 03 संस्थाओं के प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रचलन में है, जानकारी क्रमश: **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 एवं 4 अनुसार है**। विधानसभा प्रश्न क्र. 3138, दिनांक 17.03.2022 के उत्तर में राशि रूपये 6,83,21,756.00 की धान स्कंध में क्षति के संबंध में उत्तरांश 'ख' अनुसार जांच दल द्वारा की गई जांच में दोषी पाये गये 06 संस्थानों पर जांच प्रतिवेदन अनुसार जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम कटनी द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई जाकर कार्रवाई प्रचलन में है, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 5 अनुसार है**, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

तहसील सिहावल एवं बहरी में व्यवहारवाद न्यायालय की स्थापना
[विधि एवं विधायी कार्य]

29. ता.प्र.सं. 14 (क्र. 1579) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधानसभा क्षेत्र सिहावल अन्तर्गत तहसील सिहावल एवं बहरी में व्यवहारवाद न्यायालय के स्थापना की मांग ग्रामीणों द्वारा की जाती है, जिसके संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा समय-समय पर पत्राचार किया गया एवं प्रश्न पूछे गये, किन्तु शासन द्वारा मांग पूरी करने में सार्थक प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है? **(ख)** म.प्र. शासन विधि और विधायी कार्य विभाग का पत्र क्रमांक 6067/2019/21/c (एक) भोपाल, दिनांक 27.11.2019 एवं पत्र क्रमांक 5756/2019/21/c (एक) भोपाल,

दिनांक 07.11.2019 के संबंध में अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध कराई जाये। **(ग)** विधानसभा क्षेत्र सिहावल अन्तर्गत तहसील सिहावल एवं बहरी में व्यवहारवाद न्यायालय की स्थापना कब तक की जावेगी?

गृह मंत्री : ***[(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है/]*** **(क)** जी हाँ, (1) तहसील सिहावल, जिला सीधी में व्यवहार न्यायालय की स्थापना हेतु गरिमानुकूल न्यायालय भवन, न्यायाधीश आवासगृह, अन्य मूलभूत सुविधायें तथा न्यायाधीश व स्टाफ के पदों की स्वीकृति व आवश्यक फण्ड उपलब्ध कराये जाने पर न्यायालय स्थापना पर विचार किया जा सकेगा। साथ ही सिहावल में न्यायालय स्थापना हेतु तात्कालिक व्यवस्था के लिए उपयुक्त न्यायालय भवन एवं न्यायिक अधिकारी के लिए आवासीय भवन उपलब्ध होने पर सिहावल में तात्कालिक व्यवस्था की जा सकेगी। (2) तहसील बहरी, जिला सीधी में व्यवहार न्यायालय की स्थापना के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त मामला नवीन न्यायालयों की स्थापना हेतु गठित स्पेशल कमेटी में पारित प्रस्ताव के अनुपालन में माननीय प्रशासनिक कमेटी (एम.पी.जे.एस.) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है। अत: वर्तमान कार्यवाही प्रक्रियाधीन/विचाराधीन है। **(ख)** (1) मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग के पत्र क्रमांक 6067/2019/21-ब (एक), दिनांक 27.11.2019 द्वारा प्रकरण की वस्तुस्थिति से आपको अवगत कराया गया है, क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी को संबोधित आपकी टीप दिनांक 30.10.2019 पर ही उक्त पंजी प्राप्त की गई है तथा आपकी उक्त टीप विभाग में दिनांक 05.11.2019 को प्राप्त हो चुकी थी, जिसके अनुक्रम में आवश्यक कार्यवाही करते हुए माननीय उच्च न्यायालय को पत्र दिनांक 07.11.2019 एवं पत्र दिनांक 20.11.2019 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को लिखा गया है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** (2) माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त जानकारी अनुसार पत्र क्रमांक 5756/2019/21-ब (एक), दिनांक 05.11.2019 के द्वारा तहसील बहरी, जिला सीधी में व्यवहार न्यायालय की स्थापना संबंधी मांग रजिस्ट्री को प्राप्त हुई थी। तत्संबंध में प्रधान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी से प्राप्त अद्यतन रिपोर्ट के अनुक्रम में उक्त मामला माननीय प्रशासनिक कमेटी (एम.पी.जे.एस.) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है। **(ग)** निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

<u>परिशिष्ट - "छ:"</u>

उपार्जन केन्द्र की जानकारी

[सहकारिता]

30. अता.प्र.सं.111 (क्र. 1586) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या उपार्जन केन्द्र के माध्यम से खरीदी करने का नियम है? यदि हाँ, तो उपार्जन केन्द्र पर प्रति क्विंटल कितनी राशि व्यय की जाना चाहिए? यदि हाँ, तो इस संबंध में शासन स्तर से आदेश जारी किये जाते हैं? **(ख)** प्रश्नांश (क) का उत्तर यदि हाँ, है तो जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक जिले में कितने उपार्जन केन्द्र बनायें? सूची उपलब्ध करायें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) अनुसार अनूपपुर जिले में बनाये गये उपार्जन केन्द्र द्वारा कितना उपार्जन किया तथा प्रति क्विंटल कितना व्यय हुआ? उपार्जन केन्द्र अनुसार जानकारी दें। **(घ)** प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार क्या प्रति क्विंटल राशि से अधिक राशि व्यय की गई? कोई अनियमितता हुई तो क्या शासन दोषियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेगा?

सहकारिता मंत्री : *[(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।]* **(क)** जी हाँ, उपार्जन केन्द्रों पर सहकारी संस्थाओं के लिये प्रासंगिक व्यय की अधिकतम सीमा आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, म.प्र. के पत्र क्र. 630, दिनांक 28.02.2018 द्वारा गेहूं के लिये रू. 16.76 प्रति क्विंटल एवं धान के लिये रू. 15/- प्रति क्विंटल निर्धारित है। उक्त परिपत्र अनुसार। **(ख)** जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक अनूपपुर जिले में बनाए गए उपार्जन केन्द्रों की **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है**। **(ग)** अनूपपुर जिले में उपार्जन केन्द्रों द्वारा किये गये उपार्जन तथा प्रति क्विंटल किये गये व्यय की उपार्जन केन्द्रवार, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है**। **(घ)** जी नहीं, अनियमितता नहीं पाई गई, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

गृह निर्माण सहकारी समितियों पर कार्यवाही

[सहकारिता]

31. ता.प्र.सं. 2 (क्र. 1607) श्री भूपेन्द्र मरावी : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अप्रैल 2020 से दिसम्बर 2021 की अवधि में आयुक्त सहकारिता के कार्यालय से जबलपुर एवं सागर संभाग की किन-किन गृह निर्माण समितियों के संदर्भ में उपायुक्त सहकारिता एवं अध्यक्ष गृह निर्माण समितियों को आपराधिक/प्रशासनिक कार्यवाही हेतु किन आरोपों पर नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये थे? समितिवार, सूचना पत्रवार, दिनांकवार जानकारी दें। **(ख)** क्या उक्त सूचना पत्रों को गृह निर्माण शाखा के प्रभारी संयुक्त आयुक्त के पी.ए. के स्तर पर जावक पंजी संधारित कर पी.ए. कक्ष से जारी किया गया? यदि हाँ, तो क्या यह नियमानुसार है? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है? **(ग)** इन नोटिस एवं सूचना पत्रों पर जारीकर्ता अधिकारी द्वारा क्या अंतिम निर्णय लिये गये? क्या उन्हें अपने स्तर पर लंबित रखा गया? यदि हाँ, तो कार्यवाही न करने वाले अधिकारी के विरूद्ध क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी?

सहकारिता मंत्री : *[(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।]* **(क)** अप्रैल 2020 से दिसम्बर 2021 की अवधि में आयुक्त सहकारिता के कार्यालय द्वारा प्रश्न में उल्लेखित तथ्यों के संबंध में सागर संभाग की किसी भी गृह निर्माण सहकारी संस्था में कोई नोटिस/सूचना पत्र जारी नहीं किया गया है, जबलपुर संभाग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "एक" अनुसार**, जारी किये गये पत्रों की प्रति **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "दो" अनुसार है।** **(ख)** जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "एक" के कॉलम 05 एवं 06 अनुसार,** शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

गृह निर्माण समिति द्वारा प्रदाय प्रकोष्ठ

[सहकारिता]

32. परि.अता.प्र.सं. 117 (क्र. 1625) श्री सुखदेव पांसे : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता ने अपने अता. प्र.क्र. 1349, दिनांक 29.07.2022 के द्वारा भोपाल में विनायक परिसर स्थित डाक लेखा गृह निर्माण पंजीकृत सहकारी संस्था के जिन सदस्यों को प्रकोष्ठ प्राप्त हो चुके हैं उनका तथा जिन्हें प्रकोष्ठ प्राप्त नहीं हुए हैं, उनके नाम, पते, आवंटित प्रकोष्ठ क्रमांक

सहित सूची प्रदाय किये जाने संबंधी जानकारी चाही गई थी? **(ख)** क्या विभाग द्वारा प्रश्नांकित जानकारी निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करा दी गई है? यदि नहीं, तो क्या जानकारी इतने तकनीकी स्वरूप की है कि उसे इतने समय पश्चात भी उपलब्ध नहीं कराया जा सका है? क्या विभाग भी उक्त गृह निर्माण समिति में हुई अनियमितताओं को छुपाने में सहायता कर रहा है? यदि नहीं, तो उक्त प्रश्न का उत्तर कब तक उपलब्ध करा दिया जावेगा? **(ग)** क्या जानकारी देने में विलंब के दोषियों के उत्तरदायित्व का निर्धारण कर उन पर कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? **(घ)** विभाग द्वारा उक्त गृह निर्माण समिति के सदस्यों को प्रकोष्ठ दिलाने के लिए अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? दस्तावेज सहित जानकारी देवें।

सहकारिता मंत्री : ***[(क) जी हाँ। (ख) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।]*** **(ख)** जी नहीं, उपायुक्त सहकारिता जिला भोपाल के द्वारा प्रश्नांकित जानकारी समय-सीमा में कार्यालय में उपलब्ध कराई गई थी, परन्तु संस्था में दस्तावेज उपलब्ध न होने से पुन: परीक्षण कर एवं स्थल का निरीक्षण करा कर, वस्तुस्थिति प्राप्त कर संशोधित जानकारी प्रस्तुत की गई। जी नहीं, प्रश्न का उत्तर प्रेषित कर दिया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** उत्तरांश "ख" अनुसार। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** तत्कालीन दोषी संचालक मण्डल के विरूद्व म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 53 (1) क्रमांक/विधि/2012/3606, दिनांक 10.10.2012 को आदेश पारित कर उपायुक्त सहकारिता जिला भोपाल के द्वारा संस्था को अधिक्रमित कर श्री व्ही.के. गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया, आदेश की **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है**। प्रशासक को संस्था के कोई अभिलेख प्रभार में प्राप्त न होने के कारण उपायुक्त सहकारिता जिला भोपाल के द्वारा आदेश क्रमांक/विधि/2012/4016, दिनांक 20.11.2012 के द्वारा श्री आर.के. खत्री, सहकारी निरीक्षक को जप्ती अधिकारी नियुक्त किया गया, आदेश की **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है**। जप्ती अधिकारी को संस्था का रिकॉर्ड प्राप्त न होने पर न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी टी.टी. नगर भोपाल के द्वारा क्रमांक 47/अ.वी.आ.स.स./दिनांक 18.01.2013 को संस्था के पूर्व अध्यक्ष से संस्था के अभिलेख कब्जे में लेने हेतु संदिग्ध निक्षेप स्थान की तलाशी के लिये वारंट जारी किया गया था, आदेश की **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 अनुसार है**, किन्तु इसके बावजूद संस्था के कोई अभिलेख प्रशासक को प्राप्त नहीं हुये। संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं भोपाल संभाग भोपाल के आदेश क्र./पंजी./2015/1362, दिनांक 19.11.2015 द्वारा म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 49 (7) (क-ख) के अन्तर्गत श्री राजीव जैन, सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया, आदेश की **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-04 अनुसार है।** प्रशासक द्वारा संस्था के निवर्तमान अध्यक्ष श्री अजय डेविड को अभिलेख प्रभार में देने हेतु पत्र प्रेषित किया गया जो दिये गये पते पर न मिलने की टिप्पणी के साथ वापस आ गया। अभिलेख प्राप्त न होने के कारण प्रशासक द्वारा दिनांक 12.05.2017 को म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 76 (2) के अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति की कार्यवाही प्रस्तावित की गई, आदेश की **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-05 अनुसार है**। सही पता ज्ञात न हो पाने के कारण कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो सकी। उपायुक्त सहकारिता जिला भोपाल द्वारा प्रशासक को दोषी पदाधिकारियों के विरूद्व एफ.आई.आर. दर्ज कराने हेतु निर्देशित किया एवं गैर सदस्यों को पंजीकृत कराये गये प्रकोष्ठों के दोहरा विक्रय पत्रों के

निष्पादन को शून्य कराने बाबत निर्देशित किया गया। प्रशासक द्वारा अभिलेख प्राप्त न होने के कारण मौके पर विनायक परिसर में प्रकोष्ठों का भौतिक सत्यापन किया गया। प्रशासक द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन अनुसार 44 फ्लेट निर्मित एवं 41 रहवासी निवासरत पाये गये तथा 3 फ्लेट पर ताला लगा पाया गया, स्थल परीक्षण **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-06 अनुसार है**। चूंकि संस्था का मूल अभिलेख अप्राप्त है, अतः जिन सदस्यों को प्रकोष्ठ आवंटित नहीं हुये हैं, उनके संबंध में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर कोई निर्णय लिया जाना संभव नहीं है।